



अभिलेख महानिदेशक की
लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के
कार्यान्वयन के संबंध में अठारहवीं रिपोर्ट
वर्ष 2015

**EIGHTEENTH REPORT OF THE
DIRECTOR GENERAL OF ARCHIVES
ON THE IMPLEMENTATION
OF THE PUBLIC RECORDS ACT, 1993
FOR THE YEAR
2015**

भारत सरकार
राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली
2018

**GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA
NEW DELHI
2018**



अभिलेख महानिदेशक
की
लोक अभिलेख अधिनियम, 1993
के कार्यान्वयन के संबंध में
अठारहवीं रिपोर्ट
वर्ष 2015

EIGHTEENTH REPORT
OF THE
DIRECTOR GENERAL OF ARCHIVES
ON THE IMPLEMENTATION
OF THE
PUBLIC RECORDS ACT, 1993
FOR THE YEAR
2015

भारत सरकार
राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली
2018

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA
NEW DELHI
2018

विषय – सूची

क्रम संख्या	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1
2.	सिंहावलोकन	4
3.	आंकड़ों का विश्लेषण	5
4.	अभिलेख कक्षों की स्थापना	6
5.	अभिलेख अधिकारियों का नामांकन	8
6.	अर्द्ध-प्रचलित अभिलेखों के लिए स्थान की भागीदारी	12
7.	अर्द्ध-प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण व विनष्टीकरण	14
8.	अभिलेखों का सूचीकरण	17
9.	अभिलेख सर्जक एजेंसियां द्वारा अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूचियों का संकलन	19
10.	वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण	21
11.	निष्क्रिय आयोग/समितियाँ	23
12.	अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अभिलेखों पर की गई कार्रवाई	25
13.	अभिलेख सर्जक एजेंसियों का संगठनात्मक इतिहास	27
14.	“क” श्रेणी के अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग	30
राष्ट्रीय अभिलेखागार की गतिविधियां		
15.	राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा अभिलेखों का मूल्यांकन	32
16.	संदर्भ माध्यम तैयार करना	34
17.	अभिलेख अवाप्ति/अधिग्रहण	35
18.	अभिलेख सर्जक एजेंसियों के स्थायी कार्यों के अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूचियों की पुनरीक्षा	38
19.	परामर्शी कार्य	40
20.	प्रशिक्षण	43
21.	अभिलेखीय जागरूकता कार्यक्रम	45

CONTENTS

Sl. No.	CHAPTERS	Page No.
1	PREFACE	1
2	AN OVERVIEW	4
3	ANALYSIS OF THE DATA	5
4	SETTING UP OF RECORDS ROOMS	6
5	NOMINATION OF RECORDS OFFICERS	8
6	SHARING OF SPACE FOR SEMI-CURRENT RECORDS	12
7	RECORDING, REVIEWING AND WEEDING OUT OF SEMI-CURRENT RECORDS	14
8	INDEXING OF RECORDS	17
9	COMPILATION OF RETENTION SCHEDULES FOR RECORDS BY RECORDS CREATING AGENCIES	19
10	DOWNGRADING OF CLASSIFIED RECORDS	21
11	DEFUNCT COMMISSIONS/COMMITTEES	23
12	ACTION TAKEN BY RECORDS CREATING AGENCIES ON APPRAISAL OF RECORDS	25
13	ORGANISATIONAL HISTORY OF RECORDS CREATING AGENCIES	27
14	MICROFILMING OF 'A' CATEGORY RECORDS	30
ACTIVITIES OF NATIONAL ARCHIVES OF INDIA		
15	APPRAISAL OF RECORDS BY NATIONAL ARCHIVES OF INDIA	32
16	PREPARATION OF REFERENCE MEDIA	34
17	ACQUISITIONS/ACCESSIONS OF RECORDS	35
18	VETTING OF RETENTION SCHEDULES OF RECORDS OF SUBSTANTIVE FUNCTIONS OF RECORDS CREATING AGENCIES	38
19	ADVISORY WORK	40
20	TRAINING	43
21	ARCHIVAL AWARENESS PROGRAMME	45

अनुबंध

	पृष्ठ संख्या
अनुबंध-I क. लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन संबंधी महानिदेशक की 18वीं रिपोर्ट के लिए सूचना उपलब्ध कराने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची	50
अनुबंध-II अर्द्ध-प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण, सूचीकरण व विनष्टीकरण करने संबंधी जून और दिसंबर को समाप्त छमाही की विवरणियां प्रस्तुत करने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची (प्रपत्र 7, लोक अभिलेख नियम, 1997)	55
अनुबंध-III वर्गीकृत फाइलों का विवर्गीकरण करने संबंधी जून और दिसंबर को समाप्त छमाही की विवरणियां प्रस्तुत करने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची (प्रपत्र 4, लोक अभिलेख नियम, 1997)	59
अनुबंध-IV वर्ष 2015 में अभिलेख प्रबंधन अभिविन्यास पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले अभिलेख अधिकारियों के नाम	62
अनुबंध-V विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा नामित अभिलेख अधिकारियों की सूची	77

ANNEXURES

	PAGE No
Annexure-I List of Records Creating Agencies that have provided information for compiling the 18th Report of the Director General on the Implementation of Public Records Act, 1993	50
Annexure-II List of Records Creating Agencies that have submitted Half Yearly Returns in June & December on Recording, Reviewing, Indexing and Weeding of Semi Current Records (Form 7, Public Records Rules, 1997).	55
Annexure-III List of Records Creating Agencies that have submitted Half Yearly returns in June & December on downgrading of classifieds files (Form 4, Public Records Rules, 1997)	59
Annexure-IV List of Records Officers who attended Orientation Course on records management in 2015.	62
Annexure-V List of Records Officers nominated by various Ministries/Departments/PSUs etc.	77

प्रस्तावना

वर्ष 2015, लोक अभिलेख नियमावली, 1997 की अधिसूचना के 19वें वर्ष को चिह्नित करता है। यह वर्ष भारत सरकार और केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासन की विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 को लागू करने के 20 महत्वपूर्ण वर्षों को भी चिह्नित करता है। लोक अभिलेख नियमावली में प्रतिष्ठापित मुख्य पहलें कुछ राज्यों द्वारा लागू किए गए इसी प्रकार के विधानों में भी परिलक्षित हुई हैं। तथापि, इन कानूनी प्रावधानों और सार्वजनिक अभिलेखों के उचित रखरखाव के महत्व के प्रति बढ़ती जागरूकता के बावजूद अभिलेख प्रबंधन पद्धतियों तथा अभिलेख सर्जक एजेंसियों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई नहीं देता।

सूचना का अधिकार अधिनियम के बाद की अवधि में सरकारी संगठनों में लोक अभिलेखों के प्रबंधन ने एक महत्वपूर्ण आयाग प्राप्त कर लिया है, यह एक ऐसा तथ्य है जो शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में लोक अभिलेखों के महत्व के संबंध में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ए.आर.सी.) की टिप्पणियों के साथ मेल खाता है। इसलिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को सूचना और अधिकार देने की मांग को पूरा करने के एकमात्र उपाय के रूप में भारत सरकार के कार्यालयों में अभिलेख प्रबंधन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने पर जोर दिया जाए।

रिपोर्टधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार ने लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के क्रियान्वयन में विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों को पूरा सहयोग और समर्थन दिया था। उनके द्वारा राष्ट्रीय अभिलेखागार को प्रपत्र 5, लोक अभिलेख नियमावली, 1997 में प्रस्तुत रिपोर्टों से अभिलेख सर्जक एजेंसियों की प्रतिक्रिया देखी जा सकती है। यह पाया गया है कि सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियां अपने संगठन के अभिलेख प्रबंधन कार्यकलापों पर रिपोर्ट नहीं करती हैं। प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि कुछ अनिवार्य आवश्यकताएं जैसे कि अभिलेख अधिकारी का नामांकन, धारा 5(1) और अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यात्मक अभिलेख कक्ष की स्थापना तथा धारा 5(2) को भी अधिकांश अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा लागू नहीं किया गया है। रिपोर्टों का एक संक्षिप्त विश्लेषण नीचे दिया गया है :

- 1.1 वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 के दौरान अपने संगठनों में लोक अभिलेख अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों से प्राप्त समग्र प्रतिक्रिया में सुधार हुआ है। यह भी देखा गया है कि केवल कुछ मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने ही अनिवार्य प्रपत्र में अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की है लेकिन विभिन्न मंत्रालयों के अधीन अनेक अधीनस्थ विभागों उपक्रमों ने लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन पर सूचना प्रस्तुत नहीं की है। अभिलेख अधिकारियों के नामांकन जैसे मामलों पर कुछ अन्य अनिवार्य प्रावधानों जैसे विभागीय अभिलेख कक्ष की स्थापना और अभिलेखन, सूचकांक तैयार करना, आदि की तुलना में प्रतिक्रिया बेहतर रही है। प्रतिशत-वार देखें तो वर्तमान रिपोर्ट के लिए कुल प्रतिक्रिया 2014 में 4.2 प्रतिशत की तुलना में 6.62 प्रतिशत है।

PREFACE

The year 2015 marked the nineteenth year of the notification of the Public Records Rules, 1997. It also marks twenty eventful years of the implementation of the Public Records Act, 1993 by various records creating agencies of the Government of India. Major initiatives set forth in the Public Records Rules have also got reflected in similar legislations enacted by some of the states. However, in spite of these legislative provisions and increasing awareness about the importance of proper upkeep of public records, no remarkable transformation can be observed in the records management practices followed by the records creating agencies.

In the post-Right to Information Act era, the management of public records in the Government organisations has assumed a critical dimension, a fact which also resonates with the observations of the second Administrative Reforms Commission (ARC) regarding the importance of public records as a vital tool to ensure accountability in governance. Therefore, it is extremely imperative to undertake serious measures to streamline the records management practices in the Government of India as the only way to cope with the demands of an informed and empowered citizen under the Right to Information Act.

During the period under report, the National Archives of India had extended full cooperation and support to the records creating agencies towards the implementation of the Public Records Act, 1993. The response of the records creating agencies can be gauged from the reports submitted by them to the department in Form 5, the Public Records Rules, 1997. It has been observed that not all the records creating agencies report on the records management activities of their organisations. From the reports that have been received, it appears that some of the mandatory requirements such as the nomination of Records Officer under Section 5(1) and setting up of functional Records Room under Section 5(2) of the Act have not been complied with by large number of records creating agencies. A brief analysis of the reports is as follows:

- 1.1 The overall response received from various records creating agencies about the state of implementation of the Public Records Act in their organisations during 2015 reflects an improvement as compared to 2014. It has also been observed that only a few ministries/ departments/ offices have furnished the requisite information in the mandatory format but many of the subordinate/ attached offices, Public Sector Undertakings under various ministries have furnished information on the implementation of the Public Records Act. On some issues like the nomination of Records Officers, the response has been better compared to some other mandatory provisions like setting up of Records Rooms, recording, reviewing, weeding of records etc. Percentage wise, the total response is 6.62% for the present report as compared to 4.2% of 2014.

राष्ट्रीय अभिलेखागार

- 1.2 लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के अंतर्गत नामांकित अभिलेख अधिकारियों का प्रशिक्षण एक बेहद अहम पहलू है जो अभिलेख सर्जक एजेंसियों में एक ठोस अभिलेख प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करता है। अभिलेख अधिकारी राष्ट्रीय अभिलेखागार और अपने विभाग के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार 1998 से अभिलेख अधिकारियों के हित में नियमित रूप से अभिलेख प्रबंधन में अभिविन्यास पाठ्यक्रम संचालित करता आ रहा है। 2015 के दौरान 100 अधिकारियों ने पाठ्यक्रमों में भाग लिया। अभिलेख प्रबंधन में इन अभिविन्यास पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय अभिलेखागार के मुख्यालय, नई दिल्ली, राष्ट्रीय अभिलेखागार क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल तथा भुवनेश्वर, जयपुर और पुडुचेरी स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार अभिलेख केन्द्रों में आयोजित किया गया।
- 1.3 भारत सरकार द्वारा सभी लोक अभिलेखों का मूल्यांकन करने के बाद उन्हें अंतिम भंडार गृह के रूप में राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थायी महत्व के अभिलेखों का अंतरण करना लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 द्वारा परिकल्पित अनुसार अभिलेख प्रबंधन का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लेकिन कई वर्षों में स्थायी महत्व के ऐसे अभिलेख बहुत बड़ी संख्या में अभिलेख सर्जक एजेंसियों में जमा हो गए हैं। इस विभाग द्वारा निरंतर पहल करने के बावजूद ऐसे अभिलेख राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरित किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहां यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे सभी अप्रचलित अभिलेख, जो 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं, का राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है और उन्हें लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6 (1)(ग) और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के नियम 5 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय अभिलेखागार में जमा कराए जाने की आवश्यकता है। इस अनिवार्य प्रावधान के अनुपालन से यह सुनिश्चित होगा कि ये बहुमूल्य अभिलेख वैज्ञानिक रूप से संरक्षित किए जा सकेंगे और अनुसंधानकर्ताओं तक इनकी पहुंच लम्बे समय तक बनी रहेगी।
- 1.4 इस विभाग ने राष्ट्रीय अभिलेखागार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय परियोजनाओं पर मंत्रिमंडल सचिव की अनुमोदित कार्य-योजना पर पहले ही पहल शुरू कर दी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रालयों/विभागों की स्वतंत्रता के बाद की अवधि के अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन और स्थानांतरण करना शामिल है। विभिन्न प्रमुख मंत्रालयों/विभागों से वर्ष 2014 में 22,701 फाइलों की तुलना में 48,841 मूल्यांकित फाइलों को स्थायी तौर पर रखने के लिए चुना गया है, जिनमें से अधिकांश फाइलें गृह मंत्रालय से प्राप्त हुई हैं। इस कार्य को अभिलेखीय सहायकों द्वारा इस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में किया गया है।
- 1.5 पूर्व-वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकताओं के बिंदु निम्नलिखित हैं :
- लोक अभिलेख अधिनियम की धारा 5(1) और लोक अभिलेख नियमावली के नियम 3 के अंतर्गत अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अभिलेख अधिकारियों का नामांकन करना।
 - इस विभाग द्वारा आयोजित अभिलेख प्रबंधन में अभिलेख अधिकारियों का प्रशिक्षण।
 - अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत परिकल्पित अनुसार अभिलेख कक्षों की स्थापना।
 - मंत्रालयों/विभागों द्वारा वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण करना।

National Archives of India

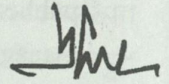
- 1.2 Training of the records officers nominated under the Public Records Act, 1993 is a vital component for establishing a sound records management system in the records creating agencies. The records officers serve as a link between the National Archives of India and their own departments. The National Archives of India has been, since 1998, conducting regular Orientation Courses in Records Management for the benefit of the records officers. 100 officers attended the courses in 2015. These Orientation Courses in Records Management were held at National Archives of India Headquarters, New Delhi, and one each in its Regional Office, Bhopal and three Records Centres located in Bhubaneswar, Jaipur and Puducherry.
- 1.3 Transfer of records of enduring value to the National Archives of India as the final repository of all public records of the Government of India after their appraisal is another critical area of records management as envisaged by the Public Records Act. However, over the years, a large number of such records have accumulated in various records creating agencies. Notwithstanding the continuous initiatives taken by the Department, these records still await their transfer to the National Archives of India. It cannot be overemphasized here that it is absolutely imperative that all non-current records of more than 25 years old be deposited with the National Archives of India as delineated in Section 6 (1) (c) of the Public Records Act, 1993 and Rule 5 of Public Records Rules, 1997. Compliance of this mandatory provision will ensure that these invaluable records are preserved scientifically with a view to prolong their longevity and facilitate research to the scholar community.
- 1.4 The Department had continued the approved Action Plan on Critical Area Projects concerning National Archives of India which included, *inter-alia*, appraisal and transfer of records of the Post-Independence period of Ministries/Departments etc. Total 48,841 appraised files selected for permanent retention have been transferred from various Ministries/Departments, as against 22,701 in 2014, bulk of which has come from the Ministry of Home Affairs. This work has been done by the Archival Assistants under the supervision of the senior officers of this Department.
- 1.5 In the light of the foregoing facts, I may reiterate the priorities as enumerated below:
 - Nomination of the Records Officers by the records creating agencies under the provision of Section 5(1) of the Public Records Act and Rule 3 of the Public Records Rules.
 - Training of Records Officers in records management conducted by this Department.
 - Establishment of Records Rooms as envisaged under section 5(2) of the Act.
 - Downgrading of classified records by Ministries/ Departments.

राष्ट्रीय अभिलेखागार

- 25 वर्ष से अधिक पुराने अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन करना।
- स्थायी अभिरक्षा और वैज्ञानिक परिरक्षण के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार को अभिलेखों का समय पर अंतरण करना, और
- अभिलेखों की रिकार्डिंग, समीक्षा और सूचीकरण करना।

मैं सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों से हृदय से यह अपील करता हूँ कि वे स्थिति पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और इन बिंदुओं पर कार्रवाई प्रारंभ करें ताकि उनके संबंधित संगठनों में अभिलेख प्रबंधन कार्यकलापों को व्यवस्थित किया जा सके।

दिनांक : 9.2.2018



(प्रीतम सिंह)

अभिलेख महानिदेशक

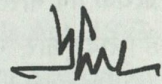
भारत सरकार

National Archives of India

- Appraisal of non-current records more than 25 years old and
- Timely transfer of appraised records to the National Archives of India for permanent custody and scientific preservation.
- Recording, reviewing and indexing of records.

It is my sincere appeal to all the Records Creating Agencies to take a serious view of the situation and initiate action on these points so as to streamline records management activities in their respective organisations.

Dated: 9.2.2018



(Pritam Singh)

Director General of Archives
Government of India

सिंहावलोकन

राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है जिसे राष्ट्र की दस्तावेजी विरासत के परिरक्षण का कार्य सौंपा गया है। यह लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 का क्रियान्वयन करने वाली नोडल एजेंसी भी है। लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के नियम 8(2) के उपबंधों के तहत अभिलेख महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार को लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) से (ठ) के अनुपालन में प्रत्येक वर्ष भारत सरकार को विभागीय अभिलेख अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट भेजनी होती है। तदनुसार, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सभी सचिवों को अभिलेख महानिदेशक द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 2016 का परिपत्र सं. 16-12(क)/2016-आरएम भेजा गया था, जिसमें उनसे वर्ष 2015 के दौरान ऊपर उल्लिखित खण्डों पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में निर्देशानुसार लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के प्रपत्र-5 में रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया था। मंत्रालयों/विभागों से उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को ऊपर उल्लिखित खंडों पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में लोक अभिलेख नियमावली के प्रपत्र-5 में वांछित रिपोर्ट देने के लिए भी आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सांविधिक निकाय, आदि शामिल थे जिससे अभिलेख महानिदेशक लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 पर अमल करने के बारे में रिपोर्ट संकलित कर भारत सरकार को प्रेषित कर सकें।

2.1 प्रस्तुत रिपोर्ट को अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा वर्ष 2015 के दौरान उनके द्वारा निम्नलिखित पहलुओं पर की गई कार्रवाई के बारे में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है :-

1. अभिलेख कक्ष की स्थापना करना;
2. अभिलेख अधिकारियों का नामांकन करना;
3. अभिलेख अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना;
4. अर्धप्रचलित अभिलेखों को रखने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार में जगह की भागीदारी करना;
5. अर्धप्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण और विनष्टीकरण करना;
6. 25 वर्ष से अधिक पुराने अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन करना;
7. स्थायी कार्यों के अभिलेखों की प्रतिधारण समय-सूची का संकलन/संशोधन करना;
8. वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण करना;
9. अभिलेखों का वार्षिक सूचिका का संकलन करना;
10. संगठनात्मक इतिहास का संकलन करना और
11. निष्क्रिय निकायों/समितियों आदि के अभिलेखों का राष्ट्रीय अभिलेखागार को अंतरण करना।

2.2 इस रिपोर्ट के आगे के अध्यायों में उपर्युक्त बिंदुओं पर सूचना का ब्यौरा दिया गया है।

AN OVERVIEW

The National Archives of India, an attached office of the Ministry of Culture, is entrusted with the preservation of the documentary heritage of the country. It is also the nodal agency for the implementation of the Public Records Act, 1993 and the Public Records Rules, 1997. Under the provisions of the Rule 8 (2) of the Public Records Rules, 1997, Director General of Archives is required to submit to the Government of India, an Annual Report every year on the action taken by the record officers in compliance with the provisions of clauses (a) to (l) of the Sub-section (1) of Section 6 of the Public Records Act, 1993. Accordingly, a circular letter No. 16-12(A)/2016-RM dated 12 April 2016 was issued to all the Secretaries of the Ministries/ Departments of Government of India requesting them to furnish their report in Form-5 under Rule 8(1) of the Public Records Rules, 1997, in respect of the action taken by them on the clauses mentioned above during the year 2015. The Ministries/Departments were also requested to issue necessary directives to all their attached and subordinate offices, including Public Sector Undertakings, Statutory Bodies, etc. under their administrative control to furnish the desired report in Form-5 of Public Records Rules, in respect of the action taken by them on the clauses mentioned above.

2.1 The present report has been prepared on the basis of the information received from various records creating agencies on the action taken by them during the year 2015 on the following aspects:-

1. Setting up of Records Rooms;
2. Nomination of Records Officers;
3. Training of records officers and staff;
4. Sharing of space in National Archives of India for housing semi-current records;
5. Recording, reviewing and weeding out of semi-current records;
6. Appraisal of records more than 25 years old;
7. Compilation/ revision of retention schedules of records of substantive functions;
8. Downgrading of classified records;
9. Compilation of annual indices of records;
10. Compilation of organisational history and
11. Transfer of records of defunct bodies/ committees etc. to National Archives of India.

2.2 Details of information on the aforesaid aspects have been delineated in the forthcoming chapters of the report.

आंकड़ों का विश्लेषण

सामान्य निष्कर्ष

वर्ष 2015 में लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन पर सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकायों, आदि से सूचना मांगी गई थी। उनसे वर्ष 2015 के दौरान लोक अभिलेख अधिनियम 1993 तथा लोक अभिलेख, नियमावली, 1997 के कार्यान्वयन पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के प्रपत्र-5 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। तथापि, उक्त अधिनियम और नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में केवल 103 अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने सूचना भेजी है। तथापि, मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित विभिन्न अभिलेख सृजन एजेंसियों द्वारा लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन को दर्शाने वाले विभिन्न अन्य पहलुओं पर भी सूचना लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से प्रपत्र 4, 5 और 7 में उपलब्ध कराई गई है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान विभिन्न संगठनों से प्राप्त उत्तरों को नीचे तालिका के रूप में दिया जा रहा है—

अभिलेख सर्जक एजेंसियाँ	अभिलेख सर्जक एजेंसियों की कुल संख्या	कुल प्राप्त उत्तर
मंत्रालय/विभाग/स्वतंत्र कार्यालय/समितियाँ आदि	90	19 (21%)
संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय, आदि	1239	76 (6.13%)
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, आदि	241	8 (3.31%)
योग	1570	104 (6.56%)

- 3.1 उपर्युक्त आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्तमान रिपोर्ट की कुल प्रतिक्रिया 2014 के 4.02 प्रतिशत की तुलना में केवल 6.56 प्रतिशत बैठती है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि अभिलेख सर्जक एजेंसियों नामतः मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा प्रत्येक के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अन्य संगठनों द्वारा अभिलेखन प्रबंधन को कम प्राथमिकता दी जाती है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि हालांकि अधिकांश महत्वपूर्ण मंत्रालयों/विभागों ने रिपोर्टें भेजने में चूक की है जबकि उनके अधीनस्थ अनेक संगठनों ने अपनी रिपोर्टें भेजी हैं।
- 3.2 जिन मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि ने इस रिपोर्ट में शामिल करने के लिए सूचना भेजी है, उनके नाम **अनुबंध-I** में देखे जा सकते हैं।

ANALYSIS OF THE DATA

GENERAL OBSERVATIONS

Information on the implementation of the Public Records Act, 1993 for the year 2015 was sought from all Ministries/Departments and their attached and subordinate offices including Public Sector Undertakings, Statutory Bodies, etc. to furnish their report in Form-5 of the Public Records Rules, 1997, in respect of the action taken by them on the implementation of the Public Records Act, 1993 and Public Records Rules, 1997 during the year 2015. However, only 103 records creating agencies furnished information in respect of the action taken by them on the implementation of the various provisions of the said Act and Rules and information on various aspects reflecting on the implementation of the Public Records Act, 1993 have also been provided by various records creating agencies including Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings in forms 4,5 and 7 as mandated under the Public Records Rules, 1997. Responses received during the period under report from various records creating agencies are indicated below in a tabulated form:

Records Creating Agencies	Total number of records creating agencies	Total response received
Ministries/Departments/ Independent Offices/ Committees, etc.	90	19 (21%)
Attached/Subordinate Offices etc.	1239	76 (6.13%)
Public Sector Undertakings etc.	241	8 (3.31%)
Total	1570	104 (6.56%)

- 3.1 An analysis of the above data reveals that the total response elicited is 6.56 per cent for the present report as compared to 4.02 per cent of 2014. These figures reflect the low priority given to records management by the records creating agencies namely Ministries/ Departments/ Public Sector Undertakings etc. It is important to note that some of the Ministries/ Departments did not send desired information but many organizations under their administrative control have sent their reports.
- 3.2 The names of the Ministries/Departments/Offices/Public Sector Undertakings, etc. which have furnished information for this report is appended at **Annexure-I**.

अभिलेख कक्षों की स्थापना

एक सुव्यवस्थित विभागीय अभिलेख कक्ष का होना अभिलेखों की बेहतर प्रबंधन प्रणाली के लिए बुनियादी पूर्वापेक्षा है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 5 की उप-धारा (2) में यह निर्धारित किया गया है कि सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को उपयुक्त स्थानों पर अपने अभिलेख कक्षों की स्थापना करनी चाहिए और प्रत्येक अभिलेख कक्ष, अभिलेख अधिकारी के प्रभार में होना चाहिए। विभागीय अभिलेख कक्ष स्थापित करने का उद्देश्य अभिलेखों का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण करने तथा उन्हें अभिलेखबद्ध करने, समीक्षा, सूचीकरण करने और उन अभिलेखों को नष्ट करने, जिनकी अब जरूरत नहीं रह गई है, के लिए समय पर कार्रवाई करना है। अभिलेख सर्जक एजेंसियों का उक्त प्रावधान की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने उन्हें अपने-अपने मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, आदि में अभिलेख कक्ष स्थापित करने का अनुरोध किया था।

कुल मिलाकर, 57 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि ने सूचना भेजी है जिसमें से 54 मंत्रालय/विभाग/सांविधिक निकाय हैं और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अधीन 3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। इस संबंध में प्राप्त सूचना का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है:

4.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया है कि उनके अभिलेख कक्ष सुव्यवस्थित हैं :

प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली, केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड, केरल, उद्योग निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन, अंडमान और निकोबार प्रशासन सचिवालय, पोर्ट ब्लेयर, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड (रक्षा मंत्रालय); ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय); पशुपालन और मात्स्यिकी विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन; आईआईएम, इंदौर; आईआईएम, रांची, बेतवा नदी बोर्ड, झांसी (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय), प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिण क्षेत्र), उच्चतर शिक्षा विभाग, चेन्नई (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मानसगंगोत्री, उच्चतर शिक्षा विभाग मैसूर (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); केन्द्रीय जल आयोग (जल संसाधन मंत्रालय); जल संसाधन नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय; केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान स्टेशन, नई दिल्ली (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय); क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़; नौवहन सेवा निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर; भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ, औद्योगिक नीति और संवर्धन विकास (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय); केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय); खान मंत्रालय, नई दिल्ली; इस्पात मंत्रालय,

SETTING UP OF RECORDS ROOMS

A well-organised Records Room is one of the basic pre-requisite of a sound Records Management system. Sub-Section (2) of Section 5 of the Public Records Act, 1993 stipulates that all records creating agencies should set up their records room at suitable locations and also place each records room under the charge of a Record Officer. The objective of setting up of the records room is to preserve the records scientifically and take timely action for their recording, reviewing, indexing and weeding out of those records which are no longer required. Drawing the attention of the records creating agencies to the said provision, National Archives of India requested them to set up Records Rooms in their respective Ministry/Department/Office/ Public Sector Undertaking etc.

In all, a total of 57 Ministries/Departments/Offices and Public Sector Undertakings have sent information, out of which 54 are Ministries/Departments/Offices/ Statutory bodies and 3 are Public Sector Undertakings under various Ministries of Government of India. Detailed analysis of information received in this regard is given below:

4.1 The following Ministries/Departments/Offices have informed that their records rooms are well organised:

Prime Minister's Office, New Delhi; Central Plantation Crops Research Institute, Kasaragod, Kerala; Directorate of Industries, Andaman & Nicobar Administration; Andaman & Nicobar Administration Secretariat, Port Blair; Kendriya Sainik Board (Ministry of Defence); Upper Yamuna River Board (Ministry of Water Resource, River Development & Ganga Rejuvenation); Department of Animal Husbandry & Fisheries, Chandigarh Administration; IIM, Indore; IIM, Ranchi; Betwa River Board, Jhansi, (Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation); Board of Apprenticeship Training (Southern Region), Department of Higher Education, Chennai (Ministry of Human Resource Development); Directorate General, Central Reserve Police Force (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Central Institutes of Indian Languages, Manasgangotri, Department of Higher Education, Mysore (Ministry of Human Resource Development); Central Water Commission (Ministry of Water Resources); Ministry of Water Resource, River Development & Ganga Rejuvenation; Central Soil & Material Research Station, New Delhi, (Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation); Regional Employment Exchange U.T., Chandigarh; Directorate of Shipping Service, Andaman & Nicobar Administration, Port Blair; Indian Rubber Manufacturers Research Association, Department of Industrial Policy & Promotion, (Ministry of Commerce & Industry);

राष्ट्रीय अभिलेखागार

नई दिल्ली; प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); आयोजना और स्थापत्य कला विद्यालय, विजयवाड़ा (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर; (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय); राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुंबई (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय।

4.2 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया है कि उनके पास अभिलेख कक्ष नहीं हैं :

भारत के उपराष्ट्रपति का सचिवालय, नई दिल्ली; भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय); पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; पत्तन प्रबंधन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, मेघालय (गृह मंत्रालय); राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय); आईआईएम, रायपुर; ग्रामीण विकास और पंचायत विकास, चंडीगढ़; राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान (गृह मंत्रालय) जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास और डिजाइन केन्द्र (खान मंत्रालय); भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय); जिला औद्योगिक केन्द्र, अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर; राष्ट्रीय बाल भवन, दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); केन्द्रीय संगठन ईसीएचएस एडज्युटेंट जनरल शाखा (रक्षा मंत्रालय); राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमिरपुर, हिमाचल प्रदेश (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान (खान मंत्रालय) तथा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, भोपाल (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)।

4.3 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि उनके पास सुव्यवस्थित अभिलेख कक्ष हैं :

चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई; भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद और कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुंबई (वस्त्र मंत्रालय)

4.4 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा ने सूचित किया है कि उनके पास सुव्यवस्थित अभिलेख कक्ष नहीं है:

4.5 **विश्लेषण** — यह देखा गया है कि लगभग सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जिन्होंने लोक अभिलेख नियम, 1997 के नियम 8(1) के तहत प्रपत्र 5 में सूचना उपलब्ध कराई है, ने अपने संगठन में एक समर्पित अभिलेख कक्ष होने की सूचना दी है। उत्तर न देने वाली अधिकांश अभिलेख सृजन एजेंसियों में अभिलेख कक्ष की स्थिति ज्ञात नहीं है। राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख अधिकारी/नोडल अधिकारी से संपर्क करने के अपने प्रयासों को जारी रखेगा और उन्हें अनिवार्य आवश्यकता तथा केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियमावली के पैरा 136(2) के प्रावधानों के अनुसार वर्ष में एक बार अभिलेख कक्ष की जांच कराने के प्रति जागरूक बनाएगा।

National Archives of India

Central Board of Film Certification Mumbai, (Ministry of Information & Broadcasting); Ministry of Mines, New Delhi; Ministry of Steel, New Delhi; Board of Apprenticeship Training, Kanpur (Ministry of Human Resource Development); School of Planning and Architecture, Vijayvada, (Ministry of Human Resource Development); Ministry of Road Transport of Highways; Board of Practical Training, Eastern Region, Kolkata (Ministry of Human Resource Development); Office of the Salt Commissioner, Jaipur; (Ministry of Commerce & Industry); National Institute of Technology, Kurukshetra, (Ministry of Human Resource Development); National Institute of industrial Engineering, Mumbai, (Ministry of Human Resource Development); Ministry of Road Transport & Highways and Ministry of Defence.

4.2 The following Ministries/ Departments/ Offices have informed that they do not have a 'Records Room:

Secretariat of the Vice-President of India, New Delhi; Indian Bureau of Mines (Ministry of Mines); Office of the Director General of Police, Andaman & Nicobar Islands ; Port Management, Andaman & Nicobar Islands; North Eastern Police Academy, Meghalaya (Ministry of Home Affairs); Department of Official Language, (Ministry of Home Affairs); IIM, Raipur; Rural Development & Panchayats Development, Chandigarh; National Foundation for Communal Harmony, (Ministry of Home Affairs); Jawaharlal Nehru Aluminum Research Development and Design Centre (Ministry of Mines); Indian Bureau of Mines,(Ministry of Mines); District Industry Centre, Andaman & Nicobar Administration, Port Blair; National Bal Bhawan, Delhi, (Ministry of Human Resource Development); Central Organisation ECHS Adjutant General's Branch, (Ministry of Defence); National Institute of Technology, Hamirpur, Himachal Pradesh, (Ministry of Human Resource Development); National Institute of Miners Health (Ministry of Mines); and National Institute of Technical Teacher's Training and Research, Bhopal, (Ministry of Human Resource Development).

4.3 The following Public Sector Undertakings have reported that they have well organised Records Rooms:

Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai; Bharat Dynamics Limited, Hyderabad, and Cotton Corporation of India Ltd. Navi Mumbai, (Ministry of Textile)

4.4 Goa Shipyard Limited, Goa has reported that they do not have well organised Records Room.

4.5 **Analysis-** It has been observed that almost all the Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings that have provided information in Form 5, under Rule 8(1) of Public Records Rules, 1997 have reported that they have dedicated Records Room in their organisations. However, the status of the Records Room in sizeable number of records creating agencies that have not responded is unknown. National Archives of India would continue to make its efforts to sensitize them about the mandatory requirement of having a Record Rooms which needs to be inspected once a year as per provisions of para 136(2) of the Central Secretariat Manual of Office Procedure.

अभिलेख अधिकारियों का नामांकन

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 5(1) में यह निर्धारित है कि प्रत्येक अभिलेख सर्जक एजेंसी को अपने एक अधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 6(1) के तहत निर्दिष्ट कार्यों का निष्पादन करने के लिए नामित करना होगा। अभिलेख अधिकारी से अपेक्षित है कि वह अपने संबंधित अभिलेख सर्जक एजेंसियों में विभिन्न अनुभागों / प्रभागों में समन्वय रखें एवं महानिदेशक अभिलेखागार के साथ विभिन्न कार्यकलापों पर संपर्क बनाए रखें जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ महत्वपूर्ण कार्यों की अभिलेख प्रतिधारण समय-सारणी का संकलन, अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन, स्थायी प्रकृति के 25 वर्ष से पुराने अभिलेखों के वैज्ञानिक संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थानांतरित करने के संबंध में महानिदेशक अभिलेखागार के साथ संपर्क भी बनाए रखना शामिल हो। इसको ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अधिनियम की परिधि में आने वाली सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को परिपत्र पत्र संख्या 16-1/2016 आरएम दिनांक 12 अप्रैल, 2016 जारी किया और अनुरोध किया कि वे अभिलेख अधिकारियों को जल्द से जल्द नामित करें उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में विभाग को अभिलेख अधिकारी नामित किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। (अनुबंध-V) इसके अलावा, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सभी अभिलेख सृजक एजेंसियों को दिनांक 12 अप्रैल, 2016 को पत्र सं. 16-12(क)/2016 आरएम भेजा था और उनसे लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करने का अनुरोध किया था। प्राप्त उत्तरों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

5.1 निम्नलिखित मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों ने अभिलेख अधिकारियों को नामित किया है :

प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली; भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय); केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, केरल; उद्योग निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन; अंडमान और निकोबार प्रशासन सचिवालय; पोर्ट ब्लेयर; केन्द्रीय सैनिक बोर्ड (रक्षा मंत्रालय); पशुपालन और मात्सिकी विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन; औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय); आईआईएम, रायपुर; आईआईएम, इंदौर; आईआईएम, रांची; बेतवा नदी बोर्ड, झांसी; सचिव का कार्यालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय); प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिण क्षेत्र); उच्चतर शिक्षा विभाग, चेन्नई (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली; केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मानसगंगोत्री, उच्चतर शिक्षा विभाग, मैसूर (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान (गृह मंत्रालय); केन्द्रीय जल आयोग (जल संसाधन मंत्रालय), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय; केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान स्टेशन, नई दिल्ली (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय); क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़; नौवहन सेवा निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर; भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय); खान मंत्रालय,

NOMINATION OF RECORDS OFFICERS

Section 5(1) of the Public Records Act, 1993 stipulates that every records creating agency shall nominate one of its officers as Record Officer to discharge the functions as outlined under Section 6(1) of the said Act. The Record Officer is required to coordinate and guide various sections/ divisions of their respective records creating agencies as well as liaising with the Director General of Archives for various activities which include *inter-alia*, the compilation of records retention schedule of substantive functions, appraisal of non-current records and transfer of records of permanent nature which are 25 years old to National Archives of India for scientific preservation. Taking into consideration the said provisions, National Archives of India issued a circular letter No. 16-1/2016-RM dated 12 April 2016 to all the records creating agencies falling under the purview of the Act to nominate their Record Officers at the earliest. In response to the said letter the Department has received information on nomination of Records Officers (**Annexure V**). Further, National Archives of India issued a circular letter No. 16-12(A)/2016-RM dated 12 April 2016 to all the records creating agencies for nomination of records for the implementation of the Public Records Act, 1993. Details of replies received are given below.

5.1 Following Ministries/Departments/Offices have nominated their Records Officers:

Prime Minister's Office, New Delhi; Indian Bureau of Mines (Ministry of Mines); Central Plantation Crops Research Institute, Kerala; Directorate of Industries, Andaman & Nicobar Administration; Andaman & Nicobar Administration Secretariat, Port Blair; Kendriya Sainik Board (Ministry of Defence); Department of Animal Husbandry & Fisheries, Chandigarh Administration; Department of Industrial Policy & Promotion, (Ministry of Commerce & Industry); IIM, Raipur; IIM, Indore; IIM, Ranchi; Betwa River Board Jhansi, Office of the Secretary (Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation); Board of Apprenticeship Training (Southern Region), Department of Higher Education, Chennai (Ministry of Human Resource Development); Directorate General, Central Reserve Police Force (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Central Institutes of Indian Languages, Manasagangotri, Department of Higher Education, Mysore (Ministry of Human Resource Development); National Foundation for Communal Harmony, (Ministry of Home Affairs); Central Water Commission (Ministry of Water Resources); Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation; Central Soil & Material Research Station, New Delhi, (Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation); Regional Employment Exchange U.T., Chandigarh; Directorate of Shipping Service Andaman & Nicobar Administration, Port Blair; Indian Rubber Manufacturers Research Association, Central Board of Film Certification Mumbai, (Ministry of Information & Broadcasting); Ministry of Mines, New Delhi; Ministry of Steel, New Delhi; Board of Apprenticeship Training, Kanpur (Ministry of

नई दिल्ली; इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली; प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); आयोजना और स्थापत्य कला विद्यालय, विजयवाड़ा (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय); राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुंबई (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, भोपाल (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय।

- 5.2 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि उन्होंने अभिलेख अधिकारियों को नामित नहीं किया है :

भारत के उपराष्ट्रपति का सचिवालय, नई दिल्ली; पुलिस महानिदेशक कार्यालय, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह; पत्तन प्रबंधन, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह; पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, मेघालय (गृह मंत्रालय); राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय); ग्रामीण विकास और पंचायत विकास, चंडीगढ़; जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास और डिजाइन केन्द्र (खान मंत्रालय); भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय); जिला उद्योग केन्द्र, अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर; राष्ट्रीय बाल भवन, दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); केन्द्रीय संगठन ईसीएचएस एडज्युटेंट जनरल शाखा (रक्षा मंत्रालय); राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमिरपुर, हिमाचल प्रदेश (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) तथा राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान (खान मंत्रालय)।

- 5.3 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने अभिलेख अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है :

भारत के उपराष्ट्रपति का सचिवालय, नई दिल्ली; केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, केरल; आईआईएम, इंदौर; आईआईएम, रांची, प्रधानमंत्री कार्यालय; राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान (गृह मंत्रालय); व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); केन्द्रीय संगठन ईसीएचएस एडज्युटेंट जनरल शाखा (रक्षा मंत्रालय); रक्षा मंत्रालय तथा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान, संस्थान भोपाल (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)।

- 5.4 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने अभिलेख अधिकारियों को प्रशिक्षित नहीं किया है :

भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय); उद्योग निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन, अंडमान और निकोबार प्रशासन सचिवालय, पोर्ट ब्लेयर; पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह; पत्तन प्रबंधन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, मेघालय (गृह मंत्रालय); राजभाषा विभाग, (गृह मंत्रालय); केन्द्रीय सैनिक बोर्ड (रक्षा मंत्रालय); पशुपालन और मात्सिकी विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन; औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग और मंत्रालय); आईआईएम, रायपुर, बेतवा नदी बोर्ड, झांसी; सचिव कार्यालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय); प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिण क्षेत्र); उच्चतर

Human Resource Development); School of Planning and Architecture, Vijayvada, (Ministry of Human Resource Development); Ministry of Road Transport of Highways; Board of Practical Training, Eastern Region, Kolkata (Ministry of Human Resource Development); Office of the Salt Commissioner, Jaipur; (Ministry of Commerce & Industry); National Institute of Technology, Kurukshetra, (Ministry of Human Resource Development); National Institute of industrial Engineering, Mumbai, (Ministry of Human Resource Development); National Institute of Technical Teacher's Training and Research, Bhopal, (Ministry of Human Resource Development); Ministry of Road Transport & Highways and Ministry of Defence.

- 5.2 The following Ministries/ Departments have informed that they have not nominated their Records Officers:

Secretariat of The Vice-President of India, New Delhi; Office of the Director General of Police, Andaman & Nicobar Islands ; Port Management, Andaman & Nicobar Islands; North Eastern Police Academy, Meghalaya (Ministry of Home Affairs); Department of Official Language, (Ministry of Home Affairs); Rural Development & Panchayats Development, Chandigarh; Jawaharlal Nehru Aluminum Research Development and Design Centre (Ministry of Mines); Indian Bureau of Mines, (Ministry of Mines); District Industry Centre, Andaman & Nicobar Administration, Port Blair; National Bal Bhawan, Delhi, (Ministry of Human Resource Development); Central Organisation ECHS Adjutant General's Branch, (Ministry of Defence); National Institute of Technology, Hamirpur, Himachal Pradesh, (Ministry of Human Resource Development) and National Institute of Miners Health (Ministry of Mines).

- 5.3 The following Ministries/ Departments/ Offices have reported that they have trained their records Officers:

Secretariat of The Vice-President of India, New Delhi; Central Plantation Crops Research Institute, Kerala; IIM, Indore; IIM, Ranchi; Prime Minister's Office; National Foundation for Communal Harmony, (Ministry of Home Affairs); Board of Practical Training, Eastern Region, Kolkata (Ministry of Human Resource Development); Central Organisation ECHS Adjutant General's Branch, (Ministry of Defence); Ministry of Defence and National Institute of Technical Teacher's Training and Research, Bhopal, (Ministry of Human Resource Development).

- 5.4 The following Ministries/ Departments/ Offices have intimated that they have not trained their records officers:

Indian Bureau of Mines (Ministry of Mines); Directorate of Industries, Andaman & Nicobar Administration; Andaman & Nicobar Administration Secretariat, Port Blair; Office of the Director General of Police, Andaman & Nicobar Islands ; Port Management, Andaman & Nicobar Islands; North Eastern Police Academy, Meghalaya (Ministry of Home Affairs); Department of Official

शिक्षा विभाग, चेन्नई (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (गृह मंत्रालय) नई दिल्ली; केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मानसंगोत्री; उच्चतर शिक्षा विभाग, मैसूर (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान (गृह मंत्रालय); केन्द्रीय जल आयोग (जल संसाधन मंत्रालय); जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय; केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान स्टेशन, नई दिल्ली (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय); क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़; नौवहन सेवा निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर; ग्रामीण विकास और पंचायत विकास, चंडीगढ़; जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास और डिजाइन केन्द्र (खान मंत्रालय); भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय); जिला उद्योग केन्द्र, अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर; राष्ट्रीय बाल भवन, दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमिरपुर, हिमाचल प्रदेश (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)।

- 5.5 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने अभिलेख अधिकारियों को नामित किया है :

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड, नई दिल्ली (जनजाति कार्य मंत्रालय); भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद (रक्षा मंत्रालय); चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड; राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको, भुवनेश्वर (खान मंत्रालय) तथा कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुंबई (वस्त्र मंत्रालय)।

- 5.6 सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने अभिलेख अधिकारियों को नामित नहीं किया है।

- 5.7 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने अभिलेख अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है :

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड, नई दिल्ली (जनजाति कार्य मंत्रालय); भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद (रक्षा मंत्रालय); चेन्नई पेट्रोलियम लिमिटेड, चेन्नई; राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको भुवनेश्वर (खान मंत्रालय) तथा कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुंबई (वस्त्र मंत्रालय)।

- 5.8 **विश्लेषण** – सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियां, जिन्होंने लोक अभिलेख नियम, 1997 के नियम 8(1) के तहत प्रपत्र 5 में सूचना दी है, ने सूचित किया है कि उनका संगठन लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के अनिवार्य प्रावधान का अनुपालन कर रहा है। तथापि, सूचित न करने वाली अन्य कई एजेंसियों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को अपने अभिलेख अधिकारियों को नामित करना अपेक्षित होता है और इस कार्यालय आदेश की एक प्रति लोक अभिलेख नियम, 1997 के नियम 3

Language, (Ministry of Home Affairs); Kendriya Sainik Board (Ministry of Defence); Department of Animal Husbandry & Fisheries, Chandigarh Administration; Department of Industrial Policy & Promotion, (Ministry of Commerce & Industry); IIM, Raipur; Betwa River Board Jhansi, Office of the Secretary (Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation); Board of Apprenticeship Training (Southern Region), Department of Higher Education, Chennai (Ministry of Human Resource Development); Directorate General, Central Reserve Police Force (Ministry of Home Affairs), New Delhi; Central Institutes of Indian Languages, Manasagangotri, Department of Higher Education, Mysore (Ministry of Human Resource Development); National Foundation for Communal Harmony, (Ministry of Home Affairs); Central Water Commission (Ministry of Water Resources); Ministry of Water Resource, River Development & Ganga Rejuvenation; Central Soil & Material Research Station, New Delhi, (Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation); Regional Employment Exchange U.T., Chandigarh; Directorate of Shipping Service, Andaman & Nicobar Administration Port Blair; Rural Development & Panchayats Development, Chandigarh; Jawaharlal Nehru Aluminum Research Development and Design Centre (Ministry of Mines); Indian Bureau of Mines, (Ministry of Mines); District Industry Centre, Andaman & Nicobar Administration, Port Blair; National Bal Bhawan, Delhi, (Ministry of Human Resource Development); National Institute of Technology, Hamirpur, Himachal Pradesh, (Ministry of Human Resource Development).

- 5.5 The following Public Sector Undertakings have reported that they have nominated their Records Officers:

Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, New Delhi (Ministry of Tribal Affairs); Bharat Dynamics Limited, Hyderabad (Ministry of Defence); Chennai Petroleum Corporation Limited; National Aluminium Company Limited, Nalco Bhubaneswar (Ministry of Mines) and The Cotton Corporation of India Ltd. Navi Mumbai, (Ministry of Textile).

- 5.6 Goa Shipyards Ltd., a Public Sector Undertakings have reported that they have not nominated their Records Officers:

- 5.7 The following Public Sector Undertakings have reported that they have trained their Records Officer:

Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, New Delhi (Ministry of Tribal Affairs); Bharat Dynamics Limited, Hyderabad (Ministry of Defence); Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai; National Aluminium Company Limited, NALCO, Bhubaneswar (Ministry of Mines) and Cotton Corporation of India Ltd. Navi Mumbai, (Ministry of Textiles).

- 5.8 **Analysis-** All the records creating agencies that have provided information in Form 5, under Rule 8(1) of the Public Records Rules, 1997 have reported that their organisation is complying

के प्रावधान के अनुसार महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा आयोजित अभिलेख प्रबंधन पर अभिविन्यास पाठ्यक्रमों के लिए भेजी जानी होती है। प्राप्त सूचना के अनुसार जहां किसी संगठन या संस्थान ने किसी अभिलेख अधिकारी को नामित किया है, उसे अभिलेख प्रबंधन में अनिवार्य तौर पर प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय अभिलेखागार में आयोजित किए जाने वाले अनेक अभिविन्यास पाठ्यक्रमों पर विस्तृत सूचना विभाग की वेबसाइट www.nationalarchives.nic.in पर उपलब्ध है। इस अवधि के दौरान आयोजित अभिविन्यास पाठ्यक्रमों का ब्यौरा और पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले अभिलेख अधिकारियों की सूची अनुबंध-IV में दी गई है।

National Archives of India

with the mandatory provision of Public Records Act, 1993. However, the status of many others who have not reported is unclear. All records creating agencies are required to nominate their Records Officers and a copy of this office order is required to be forwarded to Director General, National Archives of India, as per provision of Rule 3 of the Public Records Rules, 1997. The Records Officers are to be sent for Orientation Courses on Records Management conducted by National Archives of India. Detailed information on the Calendar is available on the Departmental website of National Archives of India i.e www.nationalarchives.nic.in Details of the Orientation Courses and list of records officers who attended the course is appended at *Annexure IV*.

अर्द्ध-प्रचलित अभिलेखों के लिए स्थान की भागीदारी

यह देखा गया है कि अर्द्ध-प्रचलित चरण में अभिलेखों का उनकी अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अच्छी तरह ध्यान नहीं रखा जाता, विशेषकर ऐसे मामलों में जहां अलग से अभिलेख कक्ष नहीं बनाए गए हैं। इन अधिकांश अभिलेखों को गलियारों में रख दिया जाता है या अलमारियों में बेतरतीब ढंग से रख दिया जाता है। इस प्रकार की स्थिति अभिलेखों के रखरखाव के लिए उपयुक्त नहीं है और परिणामस्वरूप इनमें से कई अभिलेख, जिनमें महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है, कट-फट जाते हैं, या नष्ट हो जाते हैं। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों से उनके एनेक्सी भवन, नई दिल्ली में तथा भोपाल के क्षेत्रीय कार्यालय तथा जयपुर, पुडुच्चेरी और भुवनेश्वर के अभिलेख केन्द्रों में स्थान की भागीदारी करने का प्रस्ताव दे रहा है। इस संबंध में प्राप्त उत्तरों के विवरण इस प्रकार हैं :

- 6.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया है कि वे वर्तमान में राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, उसके क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में तथा जयपुर, पुडुच्चेरी और भुवनेश्वर में स्थित अभिलेख केन्द्रों में अपने अर्द्ध-प्रचलित अभिलेखों को रखने के लिए स्थान की भागीदारी के लिए तैयार नहीं हैं :

भारत के उपराष्ट्रपति का सचिवालय; आईसीएआर-केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान, पुलिस महानिदेशक कार्यालय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; पत्तन प्रबंधन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, मेघालय (गृह मंत्रालय); राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, (रक्षा मंत्रालय); उपरी यमुना नदी बोर्ड (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय); पशुपालन तथा मात्सिकी विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन; आईआईएम रायपुर; आई आईएम, इंदौर; आईआईएम रांची; बेतवा नदी बोर्ड, झांसी, सचिव का कार्यालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय); उच्चतर शिक्षा विभाग; प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, (गृह मंत्रालय); उच्चतर शिक्षा विभाग, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मानसगंगोत्री; मैसूर (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); केन्द्रीय जल आयोग (जल संसाधन, विकास और गंगा विकास मंत्रालय); केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान स्टेशन (जल संसाधन नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय); प्रधानमंत्री कार्यालय; ग्रामीण विकास और पंचायत विकास, चंडीगढ़; क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़; नौवहन सेवा निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर; भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय); केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय); खान मंत्रालय, नई दिल्ली; राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान (गृह मंत्रालय); प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय); आयोजना और सथापत्य कला विद्यालय, विजयवाड़ा (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र

SHARING OF SPACE FOR SEMI-CURRENT RECORDS

It has been observed that during their semi-current stage the records are not well cared by the records creating agencies, especially in the cases where a separate records rooms have not been set up. The records kept in haphazardly manner. Such situations are not conducive for the health of the records resulting in wear and tear or destruction of many records containing valuable information. Keeping these issues in mind, National Archives of India has been inviting all the records creating agencies to share space in its headquarters at New Delhi and also in its Regional Office at Bhopal and its three Records Centres at Jaipur, Puducherry and Bhubaneswar. Details of replies received in this regard are as follows:

- 6.1 The following Ministries/Departments/Offices have informed that they do not want to share space at present in the National Archives of India, New Delhi or its Regional Office at Bhopal and Records Centers at Jaipur, Puducherry and Bhubaneswar for housing their semi-current records:

Secretariat of the Vice-President of India; ICAR-Central Plantation Crops Research Institute Office of the Director General of Police, Andaman & Nicobar Islands; Port Management, Andaman & Nicobar Islands; North Eastern Police Academy, Meghalaya (Ministry of Home Affairs); Department of Official Language, (Ministry of Home Affairs); Kendriya Sainik Board, (Ministry of Defence); Upper Yamuna River Board, (Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation); Department of Animal Husbandry & Fisheries, Chandigarh Administration; IIM, Raipur; IIM, Indore; IIM, Ranchi; Betwa River Board Jhansi Office of the Secretary (Ministry of Water Resources, Development & Ganga Rejuvenation); Department of Higher Education, Board of Apprenticeship Training (Southern Region), Chennai (Ministry of Human Resource Development); Directorate General, Central Reserve Police Force, (Ministry of Home Affairs); Department of Higher Education, Central Institutes of Indian Languages; Manasagangotri, Mysore (Ministry of Human Resource Development); Central Water Commission (Ministry of Water Resources, Development & Ganga Rejuvenation); Central Soil & Material Research Station (Ministry of Water Resources, Development & Ganga Rejuvenation); Prime Minister's Office; Rural Development & Panchayats Development, Chandigarh; Regional Employment Exchange U.T., Chandigarh; Directorate of Shipping Service, Andaman & Nicobar Administration Port Blair; Indian Rubber Manufacturers Research Association, Department of Industrial Policy & Promotion, (Ministry of Commerce & Industry);

Central Board of Film Certification Mumbai, (Ministry of Information & Broadcasting); Ministry of Mines, New Delhi; National Foundation for Communal Harmony, (Ministry of Home Affairs); Board of Apprenticeship Training, Kanpur (Ministry of Human Resource Development); Indian Bureau of Mines (Ministry of Mines); School of Planning and Architecture, Vijayvada, (Ministry of

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय); राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुंबई (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); राष्ट्रीय बल भवन, दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); केन्द्रीय संगठन ईसीएचएस एडज्युटेंट जनरल शाखा (रक्षा मंत्रालय); रक्षा मंत्रालय; राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान (खान मंत्रालय) तथा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, भोपाल (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)।

6.2 उद्योग निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन/अंडमान और निकोबार प्रशासन सचिवालय, पोर्ट ब्लेयर; जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय; इस्पात मंत्रालय; व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) ने सूचित किया है कि वे राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थल साझा करने के इच्छुक हैं।

6.3 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक निकाय/प्राधिकरण इत्यादि कई कारणों से भंडारण स्थल साझा नहीं करना चाहते हैं :

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (जनजाति कार्य मंत्रालय); नई दिल्ली; भारत डायनामिक्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय), हैदराबाद; चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई; राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको भुवनेश्वर (खान मंत्रालय); गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तथा कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुंबई (वस्त्र मंत्रालय)।

6.4 **विश्लेषण** – अधिकांश मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि वे राष्ट्रीय अभिलेखागार के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय या भोपाल में क्षेत्रीय कार्यालय या जयपुर, भुवनेश्वर और पुडुचेरी में अभिलेख केन्द्रों पर राष्ट्रीय अभिलेखागार के साथ जगह बांटने के लिए इच्छुक नहीं हैं। अर्द्ध-प्रचलित अभिलेखों के लिए स्थान की भागीदारी के लिए अभिलेख सर्जक एजेंसियों से अनुरोध प्राप्त होने पर राष्ट्रीय अभिलेखागार (मुख्यालय), नई दिल्ली तथा भोपाल में अपने क्षेत्रीय कार्यालय और जयपुर, पुडुचेरी और भुवनेश्वर में स्थित अपने तीन अभिलेख केन्द्रों में भी अपेक्षित जगह उपलब्ध करा सकता है।

National Archives of India

Human Resource Development); Ministry of Road Transport of Highways; National Institute of Technology, Kurukshetra, (Ministry of Human Resource Development); National Institute of Industrial Engineering, Mumbai, (Ministry of Human Resource Development); National Bal Bhawan, Delhi, (Ministry of Human Resource Development); Central Organisation ECHS Adjutant General's Branch, (Ministry of Defence); Ministry of Defence; National Institute of Technology, Hamirpur, Himachal Pradesh, (Ministry of Human Resource Development); National Institute of Miners Health (Ministry of Mines) and National Institute of Technical Teacher's Training and Research, Bhopal (Ministry of Human Resource Development).

6.2 Directorate of Industries, Andaman & Nicobar Administration; Andaman & Nicobar Administration Secretariat Port Blair; Ministry of Water Resource, River Development & Ganga Rejuvenation; Ministry of Steel; Board of Practical Training Eastern Region, Kolkata (Ministry of Human Resource Development); Office of the Salt Commissioner, Jaipur (Ministry of Commerce & Industry) have conveyed that they are willing to share space at National Archives of India.

6.3 The following Public Sector Undertakings/ Statutory bodies/Authorities etc. do not want to share records storage space for varied reasons:

Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, (Ministry of Tribal Affairs), New Delhi; Bharat Dynamics Limited (Ministry of Defence), Hyderabad; Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai; National Aluminum Company Limited, NALCO Bhubaneswar (Ministry of Mines); Goa Shipyard Limited and Cotton Corporation of India Ltd., Navi Mumbai, (Ministry of Textile).

6.4 **Analysis - Majority of the Ministries/ Departments and Public Sector Undertaking have reported that they are not keen on sharing space with the National Archives of India at its Headquarter at New Delhi or the Regional Office at Bhopal or the Record Centres at Jaipur, Bhubaneswar and Puducherry. On receipt of request from records creating agencies for sharing of space for their semi-current records, National Archives of India can provide the requisite space in the head quarter and its Regional Office at Bhopal and three of its Records Centers located at Jaipur, Puducherry and Bhubaneswar.**

अर्द्ध- प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण व विनष्टीकरण

प्रत्येक अभिलेख सर्जक एजेंसी अपने दिन-प्रतिदिन के लेनदेन में अभिलेखों का सृजन करती है। महत्वपूर्ण अभिलेखों को अल्पावधि वाले अभिलेखों से पृथक करने और इनका उचित प्रबंधन/रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए भी, उनका समय पर अभिलेखन, पुनरीक्षण और विनष्टीकरण करना, आदि ऐसे आवश्यक कदम हैं जिन्हें सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा किया जाना आवश्यक है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(ख) तथा लोक अभिलेख नियमावली, 1997 का नियम 9 उपबंधित करता है कि किसी भी अभिलेख को अभिलेखन और समीक्षा के बगैर नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। लोक अभिलेख नियमावली, 1997 का नियम 9(4) आगे उपबंधित करता है कि प्रत्येक अभिलेख सर्जक एजेंसी को इस विषय पर राष्ट्रीय अभिलेखागार के समक्ष अर्द्ध वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। तदनुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को दिनांक 12 अप्रैल, 2016 को एक परिपत्र सं. एफ. 16-4/2016 आर.एम. जारी किया गया था जिसमें सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकायों, आदि सहित भारत सरकार के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था। दिनांक 12 अप्रैल, 2016 के परिपत्र सं. एफ. 16-12क/2016- आर.एम. के उत्तर में निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों, आदि ने सूचना भेजी है। सूचना भेजने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची अनुबंध-II में देखी जा सकती है। इन दोनों परिपत्रों के उत्तर में प्राप्त सूचना का विश्लेषण नीचे दिया गया है।

7.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचना भेजी है कि वे अर्द्ध-प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण और अभिलेखों को नष्ट करने की कार्यवाही कर रहे हैं :

भारत के उपराष्ट्रपति का सचिवालय; भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय); आईसीएआर केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान; पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह; केन्द्रीय सैनिक बोर्ड (रक्षा मंत्रालय); ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय); पशुपालन और मात्स्यिकी विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन; औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय); आईआईएम, रायपुर (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); उच्चतर शिक्षा विभाग, प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली (गृह मंत्रालय); उच्चतर शिक्षा विभाग, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मानसगंगोत्री, मैसूर (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); केन्द्रीय जल आयोग (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय); केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान स्टेशन, नई दिल्ली (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय); प्रधानमंत्री कार्यालय; क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़; नौवहन सेवा

RECORDING, REVIEWING AND WEEDING OUT OF SEMI-CURRENT RECORDS

Every records creating agency creates records in their day-to-day transactions. To segregate the important records from those ephemeral in nature and to ensure their proper management/ maintenance, timely recording, reviewing and weeding of records are essential steps which are required to be taken by all the records creating agencies. Section 6(1) (b) of the Public Records Act, 1993 and Rule 9(1) of the Public Records Rules, 1997 stipulates that no records shall be destroyed without being recorded and reviewed. Rule 9(4) of the Public Records Rules, 1997 further stipulates that each records creating agency shall furnish half-yearly returns on the subject to National Archives of India. Accordingly, a circular letter No. F. 16-4/2016-RM dated 12 April, 2016 was issued to all Ministries/Departments wherein all the records creating agencies were requested to issue necessary directives to all the attached and subordinate offices including the Public Sector Undertakings, Statutory Bodies, etc. In response to another circular letter No. 16-12A/2016-RM, dated 12 April 2016 the following Ministries/Departments/Offices and Public Sector Undertakings/Statutory Bodies etc., have sent information. A list of records creating agencies that have sent information is appended at *Annexure-II*. The analysis of information received in response to both these circulars is given below.

- 7.1 The following Ministries/Departments/Offices have informed that they are attending to the job of recording, reviewing and weeding of records:

Secretariat of the Vice-President of India; Indian Bureau of Mines (Ministry of Mines); ICAR-Central Plantation Crops Research Institute; Office of the Director General of Police, Andaman & Nicobar Islands; Kendriya Sainik Board (Ministry of Defence); Upper Yamuna River Board, (Ministry of Water Resource, River Development & Ganga Rejuvenation); Department of Animal Husbandry & Fisheries, Chandigarh Administration; Department of Industrial Policy & Promotion (Ministry of Commerce & Industry); IIM, Raipur (Ministry of Human Resource Development); Department of Higher Education Board of Apprenticeship Training (Southern Region), Chennai (Ministry of Human Resource Development); Directorate General, Central Reserve Police Force, New Delhi (Ministry of Home Affairs); Department of Higher Education Central Institutes of Indian Languages, Manasagangotri, Mysore (Ministry of Human Resource Development); Board of Apprenticeship Training, Kanpur (Ministry of Human Resource Development); Central Water Commission (Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation); Ministry of Water Resource, River Development & Ganga Rejuvenation; Central Soil & Material Research Station, New Delhi, (Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation); Prime Minister's Office; Regional Employment Exchange U.T., Chandigarh;

निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर; केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय); खान मंत्रालय; जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास और डिजाइन केन्द्र (खान मंत्रालय); भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय); व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय); राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुंबई (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; केन्द्रीय संगठन ईसीएचएस एडज्युटेंट जनरल शाखा (रक्षा मंत्रालय) तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमिरपुर, हिमाचल प्रदेश (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)।

- 7.2 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया है कि वे अभिलेखन, समीक्षा और अभिलेखों को नष्ट करने का कार्य नहीं कर रहे हैं :

उद्योग निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन; अंडमान और निकोबार प्रशासन सचिवालय, पोर्ट ब्लेयर; पत्तन प्रबंधन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, मेघालय (गृह मंत्रालय); राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय); आईआईएम, इंदौर (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); आईआईएम, रांची (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); बेतवा नदी बोर्ड झांसी; सचिव का कार्यालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय); ग्रामीण विकास और पंचायत विकास, चंडीगढ़; राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान (गृह मंत्रालय); भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय); इस्पात मंत्रालय; आयोजना और स्थापत्य कला विद्यालय, विजयवाड़ा (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); जिला उद्योग केन्द्र; अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर; सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र, (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); राष्ट्रीय बाल भवन, दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान (खान मंत्रालय); राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, भोपाल (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; के. आर. सर्किल, बंगलौर; वित्त और योजना अधिकारी; सांख्यिकी प्रकोष्ठ, चंडीगढ़ प्रशासन तथा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)।

- 7.3 चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई ने सूचित किया है कि वे अभिलेखन, समीक्षा और अभिलेखों को नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं।

- 7.4 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि ने 'शून्य' रिपोर्ट प्रस्तुत की है:

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (जनजातीय कार्य मंत्रालय), भारत डायनामिक्स लिमिटेड; गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तथा नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड।

National Archives of India

Directorate of Shipping Service, Andaman & Nicobar, Administration, Port Blair; Central Board of Film Certification Mumbai (Ministry of Information & Broadcasting); Ministry of Mines; Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre (Ministry of Mines); Indian Bureau of Mines, (Ministry of Mines); Board of Practical Training Eastern Region, Kolkata (Ministry of Human Resource Development); Office of the Salt Commissioner, Jaipur (Ministry of Commerce & Industry); National Institute of Industrial Engineering, Mumbai, (Ministry of Human Resource Development); Ministry of Road Transport & Highways; Central Organisation ECHS Adjutant General's Branch (Ministry of Defence); and National Institute of Technology Hamirpur, Himachal Pradesh (Ministry of Human Resource Development).

- 7.2 The following Ministries/Departments/Offices have informed that they are not attending the job of recording, reviewing and weeding of records:

Directorate of Industries Andaman & Nicobar Administration; Andaman & Nicobar Administration Secretariat, Port Blair; Port Management, Andaman & Nicobar Islands; North Eastern Police Academy, Meghalaya (Ministry of Home Affairs); Department of Official Language (Ministry of Home Affairs); IIM, Indore (Ministry of Human Resource Development); IIM, Ranchi (Ministry of Human Resource Development); Betwa River Board Jhansi Office of the Secretary (Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation); Rural Development & Panchayats Development, Chandigarh; National Foundation for Communal Harmony (Ministry of Home Affairs); Indian Rubber Manufacturers Research Association Department of Industrial Policy & Promotion (Ministry of Commerce & Industry); Ministry of Steel; School of Planning and Architecture, Vijayvada (Ministry of Human Resource Development); District Industry Centre, Andaman & Nicobar, Administration, Port Blair; Ministry of Road Transport of Highways; National Institute of Technology, Kurukshetra, (Ministry of Human Resource Development); National Bal Bhawan, Delhi (Ministry of Human Resource Development); National Institute of Miners Health (Ministry of Mines); National Institute of Technical Teacher's Training and Research, Bhopal (Ministry of Human Resource Development); Ministry of Road Transport & Highways K.R. Circle, Bangalore; The Finance & Planning Officer, Statistical Cell, Chandigarh Administration and Department of Industrial Policy & Promotion (Ministry of Commerce & Industry).

- 7.3 The Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai has reported that they are attending the job of recording, reviewing and weeding out of records.

- 7.4 The following are those Public Sector Undertakings/Statutory Bodies etc. have furnished 'Nil' reports:

Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited; Bharat Dynamics Limited; Goa Shipyard Limited and National Aluminium Company Limited.

- 7.5 विश्लेषण – लोक अभिलेख नियम, 1977 तथा केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय नियमावली के अंतर्गत अभिलेखन, पुनरीक्षण और सूचीकरण एक अनिवार्य प्रावधान है। अतः अभिलेख सर्जक एजेंसियों को पूरी गंभीरता के साथ कार्य करना होता है तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार को लोक अभिलेख नियम, 1977 के प्रपत्र 7 में अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करनी होती है। सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा लोक अभिलेख नियम, 1997 के प्रपत्र 7 में अभिलेखों के अभिलेखन, पुनरुद्धार, सूचीकरण तथा विनष्टीकरण पर अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट भेजी जानी होती है तथा उपर्युक्त रिपोर्ट प्रपत्र 5 में प्राप्त सूचना तथा प्रपत्र 7 में प्रस्तुत छमाही रिपोर्टों पर आधारित होती है।

- 7.5 **Analysis** - Recording, reviewing and indexing is a mandatory provision under the Public Records Rules, 1997 as also under the provision of Central Secretariat Manual of Office Procedure. Hence, the records creating agencies are required to carry out the work with all seriousness and submit the requisite information in Form 7 of the Public Records Rules, 1997. Half yearly report on the Recording, Reviewing, Indexing and Weeding out of records in Form 7 of the Public Records Rules, 1997 is to be sent by all records creating agencies and the above report is based on information received in Form 5 as also the half yearly reports submitted in Form 7.

अभिलेखों का सूचीकरण

किसी भी अभिलेख सर्जक एजेंसी की प्रशासनिक दक्षता, प्राधिकारियों द्वारा समय पर सूचना देने और निर्णय लेने पर निर्भर करती है। अभिलेखों से तुरंत सूचना प्राप्त करने के लिए अच्छे संदर्भ मीडिया और वार्षिक विभागीय सूचियों को अभिलेखों का श्रेणी 'क' और 'ख' में नियमित रूप से संकलन करना अनिवार्य होता है। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों से इस संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना लोक अभिलेख नियम, 1997 के प्रपत्र 5 में देने का अनुरोध किया था (परिपत्र सं. एफ. 16-12(क)/2016 आर.एम. दिनांक 12 अप्रैल, 2016 देखें)। प्राप्त सूचना का ब्योरा निम्न प्रकार हैं:

- 8.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया है कि उन्होंने सूचियों का संकलन कर लिया है या संकलन कार्य चल रहा है :

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह; आईआईएम, इंदौर; महानिदेशालय, सीआरपीएफ, नई दिल्ली (गृह मंत्रालय); राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान मुंबई (मानव संसाधन विकास मंत्रालय), केन्द्रीय संगठन, ईसीएचएस एडज्युटेंट जनरल शाखा, रक्षा मंत्रालय।

- 8.2 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने कई तरह के नकारात्मक उत्तर भेजे हैं उदाहरणार्थ संकलन नहीं कर रहे हैं, आवश्यक नहीं है, अपेक्षित नहीं है, शून्य रिपोर्ट इत्यादि :

प्रधानमंत्री कार्यालय; भारत के उपराष्ट्रपति का सचिवालय; भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय); उद्योग निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन; अंडमान और निकोबार प्रशासन सचिवालय, पोर्ट ब्लेयर; आईसीएआर, केरल (कृषि मंत्रालय); पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह; पत्तन प्रबंधन, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह; पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, मेघालय (गृह मंत्रालय); राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय); केन्द्रीय सैनिक बोर्ड (रक्षा मंत्रालय); ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय); औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय); आईआईएम, रायपुर; प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (एचआर), चेन्नई; उच्चतर शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय, नई दिल्ली; केन्द्रीय जल आयोग (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय); केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान स्टेशन, नई दिल्ली (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय); ग्रामीण विकास और पंचायत विकास, चंडीगढ़; क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़; राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान (गृह मंत्रालय); नौवहन सेवा महानिदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर; भारत रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

INDEXING OF RECORDS

Administrative efficiency of a records creating agency depends upon the timely furnishing of information to the decision making authorities as also the information seekers. To facilitate quick retrieval of information from records, a good reference media with regular compilation of annual departmental indices of 'A' and 'B' Category of records is necessary. The National Archives of India had requested all the records creating agencies (vide its circular No. 16-12(A)/2016-RM dated 12 April 2016 to furnish information in Form 5, Public Records Rules, 1997 on the action taken by them. Details of information reported are as follows:

- 8.1 The following Ministries/Departments/Offices have informed that they have compiled indices or compilation of indices is in progress:

Office of the Director General of Police, Andaman & Nicobar Islands; IIM, Indore;

Directorate General, Central Reserve Police Force (CRPF), New Delhi (Ministry of Home Affairs); National Institute of Industrial Engineering, Mumbai, (Ministry of Human Resource Development), Central Organisation ECHS Adjutant General's Branch, Ministry of Defence

- 8.2 The following Ministries/Departments/Offices/ Committees have sent various negative responses e.g. not compiling, not applicable, not required, nil reports, etc.:

Prime Minister's Office; Secretariat of the Vice -President of India; Indian Bureau of Mines (Ministry of Mines); Directorate of Industries, Andaman & Nicobar Administration; Andaman & Nicobar Administration Secretariat, Port Blair; ICAR Kerala, (Ministry of Agriculture); Office of the Director General of Police, Andaman & Nicobar Islands; Port Management, Andaman & Nicobar Islands; North Eastern Police Academy, Meghalaya (MHA); Department of Official Language, Ministry of Home Affairs; Kendriya Sainik Board, Ministry of Defence; Upper Yamuna River Board, Ministry of Water Resource, River Development & Ganga Development; Department of Animal Husbandry & Fisheries, Chandigarh Administration; Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry; IIM, Raipur; Board of Apprenticeship Training (SR), Chennai, Department of Higher Education, (Ministry of Human Resource Development); Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Development, New Delhi; Central Water Commission (Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Development); Central Soil & Material Research Station, New Delhi, (Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Development); Rural Development & Panchayats Development, Chandigarh; Regional Employment Exchange U.T., Chandigarh; National Foundation for Communal Harmony, Ministry of Home Affairs; Directorate of Shipping Service Andaman &

(वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय); केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय); रक्षा मंत्रालय; खान मंत्रालय; इस्पात मंत्रालय; प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय); आयोजना और स्थापत्य कला विद्यालय, विजयवाड़ा (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); जिला उद्योग केन्द्र, अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय); राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र, (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुंबई (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); राष्ट्रीय बाल भवन, दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); केन्द्रीय संगठन ईसीएचएस एडज्युटेन्ट जनरल शाखा रक्षा मंत्रालय); राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान, हमिरपुर, हिमाचल प्रदेश (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान (खान मंत्रालय); राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड; राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, भोपाल (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय); के. आर. सर्किल, बंगलौर; वित्त और योजना कार्यालय, सांख्यिकी प्रकोष्ठ, चंडीगढ़ प्रशासन, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)।

- 8.3 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र को उपक्रमों ने कई प्रकार के नकारात्मक उत्तर भेजे हैं जैसे—“संकलन नहीं कर रहे हैं,” आवश्यक नहीं, “अपेक्षित नहीं”, “शून्य”।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (जनजातीय कार्य मंत्रालय), नई दिल्ली; भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद; (रक्षा मंत्रालय) चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लि. नाल्को; भुवनेश्वर; (खान मंत्रालय) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तथा कॉटन कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड, नवी मुंबई (वस्त्र मंत्रालय)।

- 8.4 **विश्लेषण** — अभिलेख सर्जक एजेंसियों का अनिवार्य दायित्व लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 में विनिर्दिष्ट अनुसार सूचियां तैयार करना है। तथापि, अधिकांश मंत्रालयों / विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा यह कार्यकलाप काफी समय से नहीं किया जा रहा है।

Nicobar Administration Port Blair; Indian Rubber Manufacturers Research Association, (Department of Industrial Policy & Promotion) Ministry of Commerce & Industry; Central Board of Film Certification Mumbai, (Ministry of Information & Broadcasting); Ministry of Defence; Ministry of Mines; Ministry of Steel; Board of Apprenticeship Training, Kanpur (Ministry of Human Resource Development); Indian Bureau of Mines, (Ministry of Mines); School of Planning and Architecture, Vijayvada, (Ministry of Human Resource Development); District Industry Centre, Andaman & Nicobar Administration, Port Blair, Ministry of Road Transport of Highways; Board of Practical Training Eastern Region, Kolkata (Ministry of Human Resource Development); Office of the Salt Commissioner, Jaipur, (Ministry of Commerce & Industry); National Institute of Technology, Kurukshetra, Ministry of Human Resource Development, National Institute of Industrial Engineering, Mumbai, Ministry of Human Resource Development; National Bal Bhawan, Delhi, Ministry of Human Resource Development; Central Organisation ECHS Adjutant General's Branch, (Ministry of Defence); National Institute of Technology Hamirpur, Himachal Pradesh, (Ministry of HRD); National Institute of Miners Health (Ministry of Mines); National Aluminium Company Limited; National Institute of Technical Teacher's Training and Research, Bhopal, (Ministry of Human Resource Development); Ministry of Road Transport & Highways, K.R. Circle, Bangalore; The Finance & Planning Office, Statistical Cell, Chandigarh Administration; Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry.

- 8.3 The following Public Sector Undertakings have sent varied negative responses including “not compiling”, “not necessary”, “not required”, “nil”:

Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, New Delhi (Ministry of Tribal Affairs), New Delhi; Bharat Dynamics Limited, Hyderabad (Ministry of Defence); Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai; National Aluminium Company Limited, NALCO Bhubaneswar (Ministry of Mines); Goa Shipyard Limited; and Cotton Corporation of India Ltd., Navi Mumbai, (Ministry of Textile)

- 8.4 ***Analysis - Preparation of Indices is a mandatory responsibility of the records creating agencies as specified in the Public Records Act, 1993. However, over a period of time this activity is not being undertaken by most of the Ministries/ Departments/ Public Sector Undertakings.***

अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूचियों का संकलन

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(ड.) के अंतर्गत परिकल्पित अनुसार स्थायी कार्यों से संबंधित अपना सरकारी कामकाज करते समय प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर ऐसी प्रतिधारण सारणी संबंधी एक ठोस अभिलेख प्रबंधन प्रणाली के लिए एक सुव्यवस्थित अभिलेख प्रतिधारण सारणी की आवश्यकता होती है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, आदि द्वारा सृजित किए जा रहे विभिन्न अभिलेख समूहों के लिए प्रतिधारण अवधि निर्धारित की गई हो। ऐसी प्रतिधारण सारणियों का उक्त अधिनियम की उपर्युक्त धारा के तहत राष्ट्रीय अभिलेखागार से परामर्श करके संकलन किया जाना चाहिए। कुल 26 अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने परिपत्र सं. एफ. 16-12(क)/2016 आर.एम. दिनांक 12 अप्रैल, 2016 के संदर्भ में उत्तर दिया है। प्राप्त उत्तरों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

9.1 निम्नलिखित कार्यालयों ने सूचित किया है कि उन्होंने प्रतिधारण अनुसूचियों का संकलन कर लिया है :

प्रधानमंत्री कार्यालय (प्रलेखन अनुभाग); भारत के महापंजीयक, नई दिल्ली; केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय); सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली; जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय; केन्द्रीय संगठन ईसीएचएस एडजुटेंट जनरल शाखा (रक्षा मंत्रालय); रक्षा मंत्रालय; नई दिल्ली, आईआईसीआर केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान; इस्पात मंत्रालय; नई दिल्ली; नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर; भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय), नागपुर; पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह; औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय); महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली; गृह मंत्रालय; उच्चतर शिक्षा विभाग, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); जिला उद्योग केन्द्र, अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर; आईआईएम, इंदौर; व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)।

9.2 निम्नलिखित अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने अपने अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूचियों का संकलन नहीं किया है और 'शून्य' या 'लागू नहीं होता' रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं :

उद्योग निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन; अंडमान और निकोबार प्रशासन सचिवालय, पोर्ट ब्लेयर; पत्तन प्रबंधन, अंडमान और निकोबार प्रशासन, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, मेघालय, गृह मंत्रालय; राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय; केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मंत्रालय; ऊपर यमुना नदी बोर्ड, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास

COMPILATION OF RETENTION SCHEDULES FOR RECORDS BY RECORDS CREATING AGENCIES

A sound records management system requires a well drawn up records retention schedule and laying down of suitable retention periods for various records groups created by different Ministries/Departments/Offices/Public Sector Undertakings etc. while conducting their official business pertaining to substantive functions, as envisaged under Section 6(1)(e) of the Public Records Act, 1993. Such retention schedules should be compiled in consultation with the National Archives of India under the aforesaid section of the said Act. In all, 26 records creating agencies have furnished information in response to the circular letter No.F. 16-12(A)/2016-RM dated 12 April 2016 on formulation of records retention schedules. Details of the replies received are indicated below:-

- 9.1 The following Ministries/Departments/offices have informed that they have compiled retention schedules:

Prime Minister's Office (Documentation Section); Registrar General of India, New Delhi; Central Board of Film Certification Mumbai (Ministry of Information & Broadcasting); Ministry of Road Transport & Highway; Central Water Commission, New Delhi, Ministry of Water Resources River Development & Ganga Rejuvenation; Central Soil & Material Research Station, New Delhi Water Resources River Development & Ganga Rejuvenation; Central Organisation ECHS adjutant General's Branch Ministry of Defence; Ministry of Defence, New Delhi; IICR-Central Plantation Corps Research Institute; Ministry of Steel, New Delhi; Office of the Salt Commissioner, Jaipur; Indian Bureau of Mines (Ministry of Mines), Nagpur; Office of the Director General of Police, Andaman & Nicobar Islands; Department of Industrial Policy & Promotion (Ministry of Commerce & Industry), Directorate General, Central Reserve Police Force, New Delhi Ministry of Home Affairs; Department of Higher Education, Central Institute of Indian Language, Mysore Ministry of Human Resource Development; District Industry Centre, Andaman & Nicobar Administration, Port Blair; IIM Indore; Board of Practice Training Eastern Region, Kolkata, Ministry of Human Resource Development.

- 9.2 The following records creating agencies have not compiled retention schedules of their records and have furnished 'Nil' or 'Not Applicable' reports:

Directorate of Industries Andaman & Nicobar Administration; Andaman & Nicobar Administration: Secretariat, Port Blair; Port Management Andaman & Nicobar Administration; North East Police Academy, Meghalaya, Ministry of Home Affairs; Department of Official Language, Ministry of Home Affairs; Kendriya Sainik Board, Ministry of Defence; Upper Yamuna

मंत्रालय; पशुपालन और मात्सिकी विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन; आईआईएम, रायपुर; आईआईएम, रांची; उच्चतर शिक्षा विभाग, प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई; मानव संसाधन विकास मंत्रालय; नौवहन सेवा निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन पोर्ट ब्लेयर; भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग); प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); आयोजना और स्थापत्य कला विद्यालय, विजयवाड़ा (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); एनआईटी, कुरुक्षेत्र, (मानव संसाधन मंत्रालय); राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुंबई (मानव संसाधन मंत्रालय); राष्ट्रीय बाल भवन, दिल्ली (मानव संसाधन मंत्रालय); राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान (खान मंत्रालय); राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, भोपाल (मानव संसाधन मंत्रालय); सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; के. आर. सर्किल बेंगलूर; वित्त और योजना अधिकारी, सांख्यिकी प्रकोष्ठ, चंडीगढ़ प्रशासन, बेतवा नदी बोर्ड, झांसी; सचिव कार्यालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय)।

- 9.3 उपराष्ट्रपति का सचिवालय, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमिरपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है।
- 9.4 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि उन्होंने प्रतिधारण अनुसूची संकलित की है :
चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड चेन्नई; गोवा शिपयार्ड लिमिटेड; पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन तथा कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नवी मुंबई।
- 9.5 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अपने अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूची का संकलन नहीं किया है और 'शून्य' या 'लागू नहीं' रिपोर्ट प्रस्तुत की है :
भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ, नई दिल्ली; भारत डायनामिक्स लिमिटेड तथा राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड।
- 9.6 **विश्लेषण** — यह देखा गया है कि बहुत कम मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने अपनी अभिलेख प्रतिधारण सारणियों का संकलन किया है और हमेशा से 'शून्य' रिपोर्टें भेज रहे हैं। कुछ मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने यह भी सूचित किया है कि वे अपनी निजी प्रणाली अपना रहे हैं। चूंकि अभिलेख प्रतिधारण सारणी का संकलन एक अनिवार्य प्रावधान है, अतः सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों से उनकी अभिलेख प्रतिधारण सारणियों को तैयार करने तथा इसके कार्यान्वयन से पूर्व राष्ट्रीय अभिलेखागार से जांच कराने की अपेक्षा की जाती है। राष्ट्रीय अभिलेखागार उन सभी सर्जक एजेंसियों को सहायता देगा जिन्होंने अभी तक अपनी प्रतिधारण सारणियां तैयार नहीं की हैं या उनमें संशोधन नहीं किया है।

River Board Ministry of Water Resource, Resources River Development & Ganga Rejuvenation; Department of Animal Husbandry & Fisheries, Chandigarh Administration; IIM, Raipur; IIM Ranchi; Department of Higher Education board of Apprenticeship Training (Southern Region), Chennai, Ministry of Human Resource Development; Directorate of Shipping Service Andaman & Nicobar Administration of Port Blair; Indian Rubber Manufacturers Research Association (Department of Industrial Policy & Promotion); Board of Apprenticeship Training, Kanpur (Ministry of Human Resource Development); School of Planning & Architecture, Vijayvada (Ministry of Human Resource Development); NIT Kurukshetra (Ministry of Human Resource Development); National Institute of Industrial Engineering, Mumbai (Ministry of Human Resource Development); National Bal Bhawan, Delhi (Ministry of Human Resource Development); National Institute of Miners Health (Ministry of Mines); National Institute of Technical Teacher's Training and Research, Bhopal (Ministry of Human Resource Development); Ministry of Road Transport & Highways K.R. Circle, Bangalore; The Finance & Planning Officer, Statistical Cells, Chandigarh Administration; Betwa River Board, Jhansi, Office of the Secretary, Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation).

9.3 Report furnished by the Vice-President's Secretariat, New Delhi and National Institute of Technology Hamirpur in this regard is not clear/vague.

9.4 The following Public Sector Undertakings have informed that they have compiled retention schedules:

Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai; Goa Shipyard Limited; Petroleum & Explosive safety Organization and Cotton Corporation of India Limited, Navi Mumbai.

9.5 The following Public Sector Undertakings have not compiled retention schedules of their records and have furnished 'Nil' or Not Applicable' reports:

Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India, New Delhi; Bharat Dynamics Limited and National Aluminium Company Limited.

9.6 **Analysis - It has been observed that very few Ministries/Departments/Offices have compiled their records retention schedules and are furnishing 'nil' reports. Some of Ministries/Departments/ Offices have also informed that the preparation of retention schedules is following their own system. Since the compilation of record retention schedule is a mandatory provision, all records creating agencies are required to expedite the preparation of their record retention schedules and get it vetted by National Archives of India before its implementation. The National Archives of India would assist all creating agencies who have not prepared or revised their retention schedules so far.**

वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण

वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण अभिलेख प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(च) और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के नियम 7 अपने क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों के लिए अपने वर्गीकृत अभिलेखों को पांच वर्षों में एक बार समीक्षा को अनिवार्य बनाता है ताकि इनकी श्रेणी को घटाया जा सके। इस संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों सहित सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को दिनांक 12 अप्रैल, 2016 को एक परिपत्र सं. एफ. 16-3/2016-आर.एम. जारी किया गया था। सूचना भेजने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों की सूची अनुबंध-III में देखी जा सकती है। विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अपने वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण करने के विषय पर उपलब्ध कराई गई सूचना नीचे दी गई हैं :

- 10.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने अपने वर्गीकृत अभिलेखों को विवर्गीकृत किया है या उन्होंने इस संबंध में कार्रवाई प्रारंभ की है :

केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड, केरल, ऊपर यमुना नदी बोर्ड (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय); औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय); महानिदेशालय, सीआरपीएफ, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोधी रोड़; नई दिल्ली (गृह मंत्रालय); केन्द्रीय जल आयोग (जल संसाधन मंत्रालय); प्रधानमंत्री कार्यालय; नौवहन सेवा निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर; आयोजना और स्थापत्य कला विद्यालय, विजयवाड़ा (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); केन्द्रीय संगठन ईसीएचएस एडज्युटेन्ट जनरल शाखा (रक्षा मंत्रालय); रक्षा मंत्रालय; पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)।

102. निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने विभिन्न टिप्पणियां भेजी हैं जैसे वे विवर्गीकरण नहीं कर रहे हैं/ 'वर्गीकृत अभिलेख' नहीं हैं अथवा निराधार रिपोर्टें भेजी हैं :

महापंजीयक का कार्यालय (गृह मंत्रालय); भारत के उपराष्ट्रपति का सचिवालय; भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय; उद्योग निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन; अंडमान और निकोबार प्रशासन सचिवालय, पोर्ट ब्लेयर; पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह; पत्तन प्रबंधन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, मेघालय (गृह मंत्रालय); राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय); केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, (रक्षा मंत्रालय); पशुपालन और मात्स्यिकी विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन; आईआईएम, रायपुर; आईआईएम, इंदौर; आईआईएम, रांची; उच्चतर शिक्षा विभाग, प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); उच्चतर शिक्षा विभाग, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मानसंगोत्री, मैसूर (मानव संसाधन विकास

DOWNGRADING OF CLASSIFIED RECORDS

Downgrading of classified records is one of the most important aspects of records management. Section 6 (1)(f) of Public Records Act, 1993 and Rule 7 of Public Records Rules, 1997, lays down that all records creating agencies falling within the purview of said Act shall review all the classified files once in five years with a view to downgrading them. A circular letter No. 16-3/2016-RM dated 12 April 2016 was issued to this effect to all Ministries/ Departments/Offices including Public Sector Undertakings/Statutory Bodies etc. A list of records creating agencies who have sent information is appended at *Annexure-III*. Information provided by various Records Creating Agencies on the issue of downgrading their classified records is given below:

- 10.1 The following Ministries/Departments/Offices have downgraded their classified records or that they have initiated action in this regard:

Central Plantation Crops Research Institute, Kasaragod, Kerala; Upper Yamuna River Board, (Ministry of Water Resource, River Development & Ganga Rejuvenation); Department of Industrial Policy & Promotion (Ministry of Commerce & Industry); Directorate General, Central Reserve Police Force, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi (Ministry of Home Affairs); Central Water Commission (Ministry of Water Resources); Prime Minister's Office; Directorate of Shipping Service Andaman & Nicobar Administration, Port Blair; School of Planning and Architecture, Vijayvada (Ministry of Human Resource Development); Ministry of Road Transport & Highways; Board of Practical Training Eastern Region, Kolkata (Ministry of Human Resource Development); Central Organisation ECHS Adjutant General's Branch (Ministry of Defence); Ministry of Defence; Petroleum and Explosives Safety Organisation (Ministry of Commerce & Industry).

- 10.2 The following Ministries/Departments/Offices have provided varying comments like they are not downgrading /do not have classified records or have submitted insubstantial reports:

Office of the Registrar General, India (Ministry of Home Affairs); Secretariat of the Vice- President of India; Indian Bureau of Mines, Ministry of Mines; Directorate of Industries Andaman & Nicobar Administration; Andaman & Nicobar Administration Secretariat Port Blair; Office of the Director General of Police, Andaman & Nicobar Islands; Port Management, Andaman & Nicobar Islands; North Eastern Police Academy, Meghalaya (Ministry of Home Affairs); Department of Official Language (Ministry of Home Affairs); Kendriya Sainik Board (Ministry of Defence); Department of Animal Husbandry & Fisheries, Chandigarh Administration; IIM, Raipur; IIM, Indore; IIM, Ranchi; Department of Higher Education Board of Apprenticeship Training (SR), Chennai (Ministry of Human Resource Development); Department of Higher Education Central Institutes

- मंत्रालय); जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय; केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान स्टेशन, नई दिल्ली (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय); ग्रामीण विकास और पंचायत विकास, चंडीगढ़, क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़; राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान (गृह मंत्रालय); भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय); केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय); खान मंत्रालय; इस्पात मंत्रालय; प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय); जिला उद्योग केन्द्र, अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर; नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय); राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); राष्ट्रीय बाल भवन, दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमिरपुर, हिमाचल प्रदेश (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान (खान मंत्रालय) तथा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, भोपाल (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)।
- 10.3 किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने यह सूचित नहीं किया है कि वे अपने वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण नहीं कर रहे हैं।
- 10.4 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि वे अपने वर्गीकृत अभिलेखों की सावधिक समीक्षा और विवर्गीकरण नहीं कर रहे हैं:
- कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुंबई; भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (जनजातीय कार्य मंत्रालय); नई दिल्ली, भारत डायनामिक्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय) हैदराबाद; चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., चेन्नई; राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको, भुवनेश्वर (खान मंत्रालय) तथा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड।
- 10.5 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, के. आर. सर्किल, बेंगलूर; वित्त एवं योजना कार्यालय, सांख्यिकी प्रकोष्ठ, चंडीगढ़ प्रशासन; औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 'शून्य' रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
- 10.6 **विश्लेषण** — यह देखा गया है कि बहुत कम मंत्रालय/विभाग/कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने वर्गीकृत अभिलेखों का नियमित रूप से विवर्गीकरण कर रहे हैं और इस संबंध में राष्ट्रीय अभिलेखागार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। अधिकांश मंत्रालयों/विभागों ने सूचित किया है कि उनके पास कोई वर्गीकृत अभिलेख नहीं है या गैर-प्रतिबद्ध उत्तर दिया है।

of Indian Languages, Manasagangotri, Mysore (Ministry of Human Resource Development); Ministry of Water Resource, River Development & Ganga Rejuvenation; Central Soil & Material Research Station, New Delhi, (Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation); Rural Development & Panchayats Development, Chandigarh; Regional Employment Exchange U.T., Chandigarh; National Foundation for Communal Harmony (Ministry of Home Affairs); Indian Rubber Manufacturers Research Association Department of Industrial Policy & Promotion, (Ministry of Commerce & Industry); Central Board of Film Certification, Mumbai (Ministry of Information & Broadcasting); Ministry of Mines; Ministry of Steel; Board of Apprenticeship Training, Kanpur (Ministry of Human Resource Development); Indian Bureau of Mines, (Ministry of Mines); District Industry Centre, Andaman & Nicobar Administration, Port Blair; Office of the Salt Commissioner, Jaipur (Ministry of Commerce & Industry); National Institute of Technology, Kurukshetra, (Ministry of Human Resource Development); National Institute of Industrial Engineering, Mumbai, (Ministry of Human Resource Development); National Bal Bhawan, Delhi (Ministry of Human Resource Development); National Institute of Technology, Hamirpur, Himachal Pradesh (Ministry of Human Resource Development); National Institute of Miners Health (Ministry of Mines) and National Institute of Technical Teacher's Training and Research, Bhopal (Ministry of Human Resource Development).

10.3 Non of the Public Sector Undertakings have informed that they are not downgrading their classified records.

10.4 The following Public Sector Undertakings have informed that they are not undertaking periodical review for downgrading of classified records:

Cotton Corporation of India Ltd. Navi Mumbai; Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited (Ministry of Tribal Affairs), New Delhi; Bharat Dynamics Limited (Ministry of Defence), Hyderabad; Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai; National Aluminium Company Limited, Nalco Bhubaneswar (Ministry of Mines) and Goa Shipyard Limited.

10.5 Ministry of Road Transport & Highways, K.R. Circle, Bangalore; The Finance & Planning Office, Statistical Cell, Chandigarh Administration; (Department of Industrial Policy & Promotion), Ministry of Commerce & Industry submitted Nil reports.

10.6 **Analysis** - It has been observed that very few Ministries/Departments/ Offices are downgrading their classified records regularly and submitting their report to National Archives of India. However, most of the Ministries/ Departments/Offices/ Public Sector Undertakings are not downgrading their classified records. Many of the Ministries/Departments have informed that no classified records are lying with them or have given non-committal responses.

निष्क्रिय आयोग/समितियाँ

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(झ) के साथ पठित धारा 3(2)(ठ) के अनुसरण में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निष्क्रिय निकायों के अभिलेखों के अंतरण से संबंधित सूचना एकत्र करने के प्रयास जारी रखे ताकि उन्हें वैज्ञानिक तरीकों से संरक्षित रखा जा सके और शोधकर्ताओं के परामर्श के लिए उपलब्ध कराया जाए। कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे निष्क्रिय निकायों के अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनमें निहित सूचना उन परिस्थितियों को समझने, जिनमें उनका गठन किया, और उनके द्वारा किए गए कार्य को जानने के लिए स्रोत सामग्री का काम करती है। इस संबंध में सूचना एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को दिनांक 12 अप्रैल, 2016 का एक परिपत्र सं. 16-5/2016-आर.एम. जारी किया था। दिनांक 12 अप्रैल, 2016 के परिपत्र संख्या 16-12क/2016-आरएम के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, इत्यादि ने सूचना भेजी है। दोनों परिपत्रों के प्रत्युत्तर में प्राप्त सूचना का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है।

11.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि ने सूचित किया है कि उनके पास निष्क्रिय निकायों के कोई अभिलेख नहीं हैं :

भारत के उपराष्ट्रपति का सचिवालय, भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय); उद्योग निदेशालय अंडमान और निकोबार प्रशासन; अंडमान और निकोबार प्रशासन सचिवालय, पोर्ट ब्लेयर; आईसीएआर, केरल (कृषि मंत्रालय); पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह; पत्तन प्रबंधन, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, मेघालय (गृह मंत्रालय); राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय; केन्द्रीय सैनिक बोर्ड (रक्षा मंत्रालय); ऊपरी यमुना नदी बोर्ड, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय; पशुपालन और मात्स्यिकी विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन; औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय; आईआईएम, रायपुर; प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिण क्षेत्र) चेन्नई, उच्चतर शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय, नई दिल्ली; केन्द्रीय जल आयोग (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय); केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान स्टेशन, नई दिल्ली (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय); ग्रामीण विकास और पंचायत विकास, चंडीगढ़; क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़; राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान, गृह मंत्रालय; नौवहन सेवा निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर, भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय; केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मंबई (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय) रक्षा मंत्रालय; खान मंत्रालय; इस्पात मंत्रालय; प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर (एचआरडी), भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय); आयोजना और स्थापत्य कला विद्यालय, विजयवाड़ा (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); जिला उद्योग केन्द्र,

DEFUNCT COMMISSIONS/COMMITTEES

In pursuance of Section 3(2) (n) read with Section 6(1) (I) of Public Records Act, 1993, National Archives of India continued its efforts to gather information in respect of transferring of records of defunct bodies with a view to preserve them in a scientific manner and to make them available for consultation by the researchers. Needless to mention that the records of defunct bodies are important as information contained therein serves as valuable source material for understanding the circumstances under which these were set up and the work accomplished by them. To collect information in this regard, National Archives of India issued (circular letter No. 16-5/2016-RM dated 12 April 2016 to all records creating agencies. In response to another circular letter No. 16-12A/2016-RM, dated 12 April 2016 and the following Ministries/Departments/Offices and Public Sector Undertakings/Statutory Bodies etc. have sent information. The analysis of information received in response to the circulars is given below:

- 11.1 The following Ministries/Departments/Offices etc. have intimated that they do not have any records of defunct bodies:

Secretariat of the Vice- President of India; Indian Bureau of Mines (Ministry of Mines); Directorate of Industries, Andaman & Nicobar Administration; Andaman & Nicobar Administration Secretariat, Port Blair; ICAR Kerala (Ministry of Agriculture); Office of the Director General of Police, Andaman & Nicobar Islands; Port Management, Andaman & Nicobar Islands; North Eastern Police Academy, Meghalaya (MHA); Department of Official Language, Ministry of Home Affairs; Kendriya Sainik Board, (Ministry of Defence); Upper Yamuna River Board, Ministry of Water Resource, River Development & Ganga Rejuvenation ; Department of Animal Husbandry & Fisheries, Chandigarh Administration; Department of Industrial Policy & Promotion , Ministry of Commerce & Industry; IIM, Raipur; Board of Apprenticeship Training (Southern Region), Chennai, Department of Higher Education, (Ministry of Human Resource Development); Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, New Delhi; Central Water Commission (Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation); Central Soil & Material Research Station, New Delhi, (Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation); Rural Development & Panchayats Development, Chandigarh; Regional Employment Exchange U.T., Chandigarh; National Foundation for Communal Harmony, Ministry of Home Affairs; Directorate of Shipping Service, Andaman & Nicobar, Administration Port Blair; Indian Rubber Manufacturers Research Association, (Department of Industrial Policy & Promotion) Ministry of Commerce & Industry; Central Board of Film Certification Mumbai, (Ministry of Information & Broadcasting); Ministry of Defence; Ministry of Mines; Ministry of Steel; Board of Apprenticeship Training, Kanpur (HRD); Indian Bureau of Mines, (Ministry of

राष्ट्रीय अभिलेखागार

अंडमान और निकोबार, प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर; व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय); राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुंबई (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); राष्ट्रीय बाल भवन, दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); केन्द्रीय संगठन ईसीएचएस एडज्युटेन्ट जनरल शाखा (रक्षा मंत्रालय) राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान (खान मंत्रालय); राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको (खान मंत्रालय); राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, भोपाल (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, के. आर. सर्किल, बेंगलूर; सांख्यिकी प्रकोष्ठ चंडीगढ़ प्रशासन; औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय); केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय); भारत के महापंजीयक का कार्यालय, गृह मंत्रालय; पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय); महापंजीकरण का कार्यालय, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) तथा जनगणना प्रचालन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश (गृह मंत्रालय)।

11.2 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया है कि उनके पास निष्क्रिय निकायों के अभिलेख हैं : प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय।

11.3 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कारपोरेशनों/सांविधिक निकायों आदि ने 'उन पर लागू नहीं होता' या 'शून्य' रिपोर्ट भेजी है।

भारतीय जनजातीय विपणन विकास संघ लिमिटेड, नई दिल्ली (जनजातीय कार्य मंत्रालय); भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद (रक्षा मंत्रालय); चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड; राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको भुवनेश्वर (खान मंत्रालय); गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तथा कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुंबई (वस्त्र मंत्रालय)।

11.4 **विश्लेषण** – संबंधित अभिलेख सर्जक एजेंसियों में कार्य कर रहे विभागीय अभिलेख अधिकारियों में निष्क्रिय आयोगों/समितियों के अभिलेखों के ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व के प्रति एजेंसियों में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। राष्ट्रीय अभिलेखागार इसे संबंधित अभिलेख सर्जक एजेंसियों में अभिविन्यास पाठ्यक्रमों या एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करके प्राप्त करने का प्रयास करता है।

National Archives of India

Mines); School of Planning and Architecture, Vijayvada, (Ministry of Human Resource Development); District Industry Centre, Andaman & Nicobar Administration, Port Blair; Board of Practical Training Eastern Region, Kolkata (Ministry of Human Resource Development); Office of the Salt Commissioner, Jaipur, (Ministry of Commerce & Industry); National Institute of Technology, Kurukshetra, (Ministry of Human Resource Development), National Institute of Industrial Engineering, Mumbai, (Ministry of Human Resource Development); National Bal Bhawan, Delhi, (Ministry of Human Resource Development); Central Organisation ECHS Adjutant General's Branch, (Ministry of Defence); National Institute of Technology Hamirpur, Himachal Pradesh, (Ministry of Human Resource Development); National Institute of Miners Health (Ministry of Mines); National Aluminium Company Limited, NALCO (Ministry of Mines); National Institute of Technical Teacher's Training and Research, Bhopal, (Ministry of Human Resource Development); Ministry of Road Transport & Highways, K.R. Circle, Bangalore; Statistical Cell, Chandigarh Administration; Department of Industrial Policy & Promotion, (Ministry of Commerce & Industry); Central Board of Workers Education, (Ministry of Labour & Employment); Office of the Registrar General India, Ministry of Home Affairs; Bureau of Police Research & Development, (Ministry of Home Affairs); Office of the Registered General, Language Division, India (Ministry of Home Affairs) and Directorate of the Census Operation Himachal Pradesh, (Ministry of Home Affairs).

- 11.2 The following Ministries/Departments/Offices etc. have intimated that they have records of defunct bodies:

Prime Minister's Office, New Delhi and Ministry of Road Transport & Highways.

- 11.3 The following Public Sector Undertakings/Corporations/Statutory Bodies etc. have submitted 'Not applicable to them' or 'Nil' reports :

Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, New Delhi (Ministry of Tribal Affairs); Bharat Dynamics Limited, Hyderabad (Ministry of Defence); Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai; National Aluminium Company Limited, NALCO Bhubaneswar (Ministry of Mines); Goa Shipyard Limited and Cotton Corporation of India Ltd. Navi Mumbai, (Ministry of Textile).

- 11.4 **Analysis** - There is a need to arouse consciousness among the records creating agencies particularly the Records officers for the historical and administrative importance of the records of the defunct Commissions/ Committees. National Archives of India strives to achieve it through organising orientation courses or customised workshops in the concerned records creating agencies.

अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अप्रचलित अभिलेखों पर आरंभ की गई कार्रवाई

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(ग) लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के नियम 5(1-3) के अंतर्गत मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन करना एक सांविधिक आवश्यकता है। यदि इसे कार्यान्वित किया जाए तो इससे नए अभिलेखों को वैज्ञानिक ढंग से रखने के लिए अतिरिक्त शेल्व जगह उपलब्ध होगी तथा स्थायी प्रकृति के अभिलेखों का राष्ट्रीय अभिलेखागार में अंतरण करने की सुविधा भी होगी। उपर्युक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, सभी उल्लेख सर्जक एजेंसियों को दिनांक 12 अप्रैल, 2016 का परिपत्र सं. 16-12क/2016 आर.एम. जारी किया गया था ताकि इस संबंध में उनके द्वारा की गई कार्रवाई का पता लगाया जा सके। प्राप्त सूचना का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है :

12.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया है कि वे अपने अभिलेखों का मूल्यांकन करा रहे हैं :

आईसीएआर - केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीजीओ काम्पलेक्स नई दिल्ली, गृह मंत्रालय; केन्द्रीय जल आयोग (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय), प्रधानमंत्री कार्यालय, खान मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर और रक्षा मंत्रालय।

12.2 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि ने सूचित किया है कि उन्होंने अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन नहीं किया है :

भारत के उपराष्ट्रपति का सचिवालय, भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय; उद्योग निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन सचिवालय, पोर्ट ब्लेयर, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पत्तन प्रबंधन, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह; पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, मेघालय (गृह मंत्रालय); राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय; परिवहन और राजमार्ग, के. आर. सर्किल, बेंगलूर, वित्त और योजना अधिकारी, सांख्यिकी प्रकोष्ठ, चंडीगढ़ प्रशासन, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) आई.एस. यूनिट।

ACTION TAKEN BY RECORDS CREATING AGENCIES ON APPRAISAL OF RECORDS

Appraisal of records more than 25 years old of the Ministries/Departments/Offices/Public Sector Undertakings is a statutory requirement under Section 6(1) (c) of the Public Records Act, 1993 and Rule 5(1-3) of the Public Records Rules, 1997. With a view to transfer of records of permanent nature to National Archives of India for permanent custody and scientific preservations. Keeping in view the above said provision, a circular letter No. F. 16-12A/2016-RM dated 12th April 2016 was issued to all records creating agencies so as to ascertain the action initiated by them in this regard. Detailed analysis of information received is indicated below:

- 12.1 The following Ministries/Departments/Offices have informed that work of getting their records appraised is being done:

ICAR-Central Plantation Crops Research Institute, Directorate General, Central Reserve Police Force, CGO Complex, New Delhi, Ministry of Home Affairs, Central Water Commission (Ministry of Water Resources), Ministry of Water Resource, River Development and Ganga Rejuvenation, Prime Minister's Office, Ministry of Mines, Ministry of Road Transport of Highways, Office of the Salt Commissioner, Jaipur and Ministry of Defence.

- 12.2 The following Ministries/Departments/Offices etc. have intimated that they have not conducted appraisal of records:

Secretariat of the Vice President of India, Indian Bureau of Mines, Ministry of Mines, Directorate of Industries, Andaman & Nicobar Administration Secretariat Port Blair, Office of the Director General of Police, Andaman & Nicobar Islands, Port Management, Andaman & Nicobar Islands, North Eastern Police Academy, Meghalaya (Ministry of Home Affairs), Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Kendriya Sainik Board, Ministry of Defence, Upper Yamuna River Board, Ministry of Water Resource, River Development & Ganga Rejuvenation, Department of Animal Husbandry & Fisheries, Chandigarh Administration, Department of Industrial Policy & Promotion Ministry of Commerce & Industry, IIM, Raipur, IIM, Indore, IIM, Ranchi, Department of Higher Education, Board of Apprenticeship Training (Southern Region), Chennai Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Central Institutes of Indian Languages, Manasagangotri, Mysore, Ministry of Human Resource Development, Central Soil & Material Research Station, New Delhi, (Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation), Rural Development & Panchayats Development, Chandigarh, Regional Employment Exchange U.T., Chandigarh, National Foundation for Communal Harmony,

राष्ट्रीय अभिलेखागार

- 12.3 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कारपोरेशनों/सांविधिक निकायों आदि ने सूचित किया है कि वे अभिलेखों के मूल्यांकन का कार्य कर रहे हैं :

चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई तथा राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको, भुवनेश्वर (खान मंत्रालय)।

- 12.4 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कारपोरेशनों/सांविधिक निकायों आदि ने सूचित किया है कि उन्होंने अभिलेखों का मूल्यांकन नहीं किया है :

भारतीय जनजातीय विपणन विकास संघ लिमिटेड (जनजातीय कार्य मंत्रालय) भारत डायनामिक्स लिमिटेड (रक्षा मंत्रालय) तथा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड।

- 12.5 **विश्लेषण**—अधिकांश अभिलेख सृजक एजेंसियों ने 25 वर्ष से अधिक पुराने अभिलेखों के मूल्यांकन का कार्य नहीं किया है। महत्वपूर्ण क्षेत्र परियोजनाओं के भाग के रूप में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने “विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अप्रचलित सार्वजनिक अभिलेखों के निरीक्षण और स्थानांतरण” परियोजना के अंतर्गत मामले में अपनी कार्रवाई जारी रखी है। इस परियोजना के माध्यम से नियमित मूल्यांकन करने, फाइलों की अंतरण सूची तैयार करने, इस विभाग के कस्टोमाइज्ड सॉफ्टवेयर अर्थात् एआईएमएस में मूल्यांकित फाइलों की डॉटा एंट्री तथा उन्हें स्थायी वैज्ञानिक परिरक्षण के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार को अंतरित करने की कार्रवाई की गई है।

Ministry of Home Affairs, Directorate of Shipping Service Andaman & Nicobar Administration, Port Blair, Chennai Petroleum Corporation Limited, Indian Rubber Manufacturers Research Association (Department of Industrial Policy & Promotion) Ministry of Commerce & Industry, Central Board of Film Certification Mumbai (Ministry of Information & Broadcasting), Ministry of Steel, Board of Apprenticeship Training, Kanpur (Ministry of Human Resource Development), Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre (Ministry of Mines), Indian Bureau of Mines, (Ministry of Mines), School of Planning and Architecture, Vijayvada Ministry of Human Resource Development, District Industry Centre, Andaman & Nicobar Administration, Port Blair, Board of Practical Training Eastern Region, Kolkata, Ministry of Human Resource Development, National Institute of Technology, Kurukshetra, Ministry of Human Resource Development, National Institute of Industrial Engineering, Mumbai, Ministry of Human Resource Development, National Bal Bhawan, Delhi, Ministry of Human Resource Development. Ministry of Road Transport & Highways, Central Organisation ECHS Adjutant General's Branch, Ministry of Defence, National Institute of Technology Hamirpur Himachal Pradesh (Ministry of Human Resource Development), National Institute of Miners Health (Ministry of Mines), National Institute of Technical Teacher's Training and Research, Bhopal (Ministry of Human Resource Development), Ministry of Road Transport & Highways, K.R. Circle, Bangalore, The Finance & Planning Officer, Statistical Cell, Chandigarh Administration., Ministry of Commerce & Industry (Department of Industrial Policy & Promotion) I.S. Unit.

- 12.3 The following Public Sector Undertakings/ Corporations/Statutory Bodies etc have informed that work of getting their records appraised is being done :-

Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai and National Aluminium Company Limited, NALCO, Bhubaneswar (Ministry of Mines)

- 12.4 The following Public Sector Undertakings/ Corporations/Statutory Bodies etc. have not appraised the records:

Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited (Ministry of Tribal Affairs, Government of India), Bharat Dynamics Limited (Ministry of Defence) and Goa Shipyard Limited.

- 12.5 **Analysis-** A large the number of records creating agencies has not taken up the appraisal of records more than 25 years old in the right earnest. As part of the Critical Area Projects, National Archives of India has continued the project "Survey, inspection and transfer of non-current public records of various Ministries/ Departments". Through this project, regular appraisal, preparation of transfer lists of files, data entry of appraised files in the customized software of this Department (Archival Information Management System) and their transfer to National Archives of India for permanent scientific preservation have been carried out.

अभिलेख सर्जक एजेंसियों का संगठनात्मक इतिहास

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(झ) में यह निर्धारित किया गया है कि अभिलेख सर्जक एजेंसी को अपने संगठनात्मक इतिहास को संकलित करना चाहिए क्योंकि यह वर्षों से सृजित अभिलेखों का स्वरूप समझने के लिए आवश्यक साधन है। इस लेख में उसकी स्थापना, कार्य विभिन्न स्कंधों, प्रभागों, इत्यादि के विकास के बारे में सूचना होनी चाहिए। इसके अनुसार, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सभी मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, इत्यादि को दिनांक 12 अप्रैल, 2016 के परिपत्र सं. 16-2/2016 आर.एम. जारी करते हुए उनसे अपने संगठनात्मक इतिहास का संकलन करने के लिए उनके द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना भेजने का अनुरोध किया था। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, इत्यादि से प्राप्त उत्तरों को नीचे संक्षेप में दिया गया है :-

- 13.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया कि उन्होंने संगठनों के इतिहास का संकलन किया है और उनकी प्रतियां प्रस्तुत की हैं :

आयुष मंत्रालय; वाणिज्य विभाग, ओ एंड एम प्रभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय); रक्षा उत्पादन विभाग (रक्षा मंत्रालय); केन्द्रीय संगठन ईसीएचएस एडज्युटेंट जनरल शाखा (रक्षा मंत्रालय); वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (रक्षा मंत्रालय); स्वापक नियंत्रण कार्यालय, नई दिल्ली (गृह मंत्रालय); महानिदेशालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, नई दिल्ली (गृह मंत्रालय); केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, (गृह मंत्रालय); राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमिरपुर (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भोपाल (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुंबई (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय); खान सुरक्षा महानिदेशालय (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय); कल्याण और उपकर आयुक्त का कार्यालय, जबलपुर; केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय); खान मंत्रालय; केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बेंगलूर (विद्युत मंत्रालय); केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूर (वस्त्र मंत्रालय); जनजातीय कार्य मंत्रालय; भारत के उपराष्ट्रपति का सचिवालय; ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (जल संसाधन, नदी

ORGANISATIONAL HISTORY OF RECORDS CREATING AGENCIES

Section 6 (1)(i) of the Public Records Act, 1993 stipulates that each records creating agency shall compile its organisational history, as it is an essential tool for having proper appreciation of the nature of records generated by it over the years. This write up should include the information about its setting up, functions, growth of different wings, divisions etc. In accordance with this, National Archives of India issued a circular letter No. 16-2/2016-RM, dated 12 April 2016 to all Ministries/ Departments/Offices/Public Sector Undertakings etc. requesting them to furnish the information and the following Ministries/ Departments/Offices and Public Sector Undertakings/Statutory Bodies etc., have sent information which are summarized below:-

- 13.1 The following Ministries/Departments/Offices have informed that they have compiled organisational history and submitted copies of the same:

Ministry of AYUSH; Department of Commerce O&M Division (Ministry of Commerce & Industry); Department of Defence Production (Ministry of Defence); Central Organisation ECHS Adjutant General Branch (Ministry of Defence); Directorate General of Aeronautical Quality Assurance (Ministry of Defence); Narcotics Control Bureau, New Delhi (Ministry of Home Affairs); Directorate General, The Indo-Tibetan Border Police, New Delhi (Ministry of Home Affairs); Central Industrial Security Force, (Ministry of Home Affairs); National Institute of Technology, Kurukshetra (Ministry of Human Resource Development); National Institute of Technology, Hamirpur (Ministry of Human Resource Development); Motilal Nehru National Institute of Technology, Allahabad (Ministry of Human Resource Development); Indian Institute of Science Education and Research, Bhopal (Ministry of Human Resource Development); Indian Institute of Management, Indore (Ministry of Human Resource Development); Indian Institute of Management, Ranchi (Ministry of Human Resource Development); Indian Institute of Management, Raipur (Ministry of Human Resource Development); National Institute of Industrial Engineering, Mumbai (Ministry of Human Resource Development); Board of Practical Training, Eastern Region, Kolkata (Ministry of Human Resource Development); National Bal Bhavan, New Delhi (Ministry of Human Resource Development); Central Board Film Certification, Mumbai (Ministry of Information & Broadcasting); Directorate General of Mines Safety (Ministry of Labour & Employment); Office of the Welfare & Cess Commissioner, Jabalpur; Central Board for Workers Education, Nagpur (Ministry of Labour & Employment); Ministry of Mines; Central Power Research Institute, Bangalore (Ministry of Power); Central Silk Board, Bangalore (Ministry of Textiles); Ministry of Tribal Affairs, Secretariat of the Vice President of India; Upper Yamuna

विकास और गंगा विकास मंत्रालय); केन्द्रीय जल आयोग (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय); नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय); राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय) तथा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)।

13.2 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने 'नहीं'/'शून्य' रिपोर्ट प्रस्तुत की है :

भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय); जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास और डिजाइन केन्द्र, नागपुर (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय); आईसीएआर केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान; उद्योग निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन; अंडमान और निकोबार प्रशासन सचिवालय, पोर्ट ब्लेयर; पत्तन प्रबंधन, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह; पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, मेघालय (गृह मंत्रालय); राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय); केन्द्रीय सैनिक बोर्ड (रक्षा मंत्रालय); पशुपालन और मात्सिकी, चंडीगढ़ प्रशासन; उच्चतर शिक्षा विभाग, प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); महानिदेशालय, सीआरपीएफ नई दिल्ली (गृह मंत्रालय); उच्चतर शिक्षा विभाग, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मानसगंगोत्री, मैसूर (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); जल संसाधन, नदी विकास और विकास मंत्रालय; प्रधानमंत्री कार्यालय; ग्रामीण विकास और पंचायत विकास, चंडीगढ़; क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़; राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान (गृह मंत्रालय); नौवहन सेवा निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर; भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ, इस्पात मंत्रालय; प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर (एचआरडी); आयोजना और स्थापत्य कला विद्यालय, विजयवाड़ा (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); रक्षा मंत्रालय; राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, भोपाल (मानव संसाधन विकास मंत्रालय); के. आर. सर्किल, बेंगलूर, वित्त और योजना अधिकारी (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), सांख्यिकी प्रकोष्ठ, चंडीगढ़ प्रशासन।

13.3 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/समितियों/कारपोरेशनों/आयोगों ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने संगठनात्मक इतिहास का संकलन किया है :

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद; कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुंबई; नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग तथा सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) लिमिटेड, शिमला।

River Board, (Ministry of Water Resource, River Development & Ganga Rejuvenation); Central Water Commission (Ministry of Water Resource, River Development & Ganga Rejuvenation); Narmada Control Authority (Ministry of Water Resource, River Development & Ganga Rejuvenation); National Institute of Hydrology, Roorkee (Ministry of Water Resources & Ganga Rejuvenation) and Department of Industrial Policy & Promotion (Ministry of Commerce & Industry).

13.2 The following Ministries/ Departments/ Offices have submitted 'No'/'Nil' report:

Film and Television Institute of India, Pune (Ministry of Information & Broadcasting); Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre, Nagpur (Ministry of Labour & Employment); ICAR-Central Plantation Crops Research Institute; Directorate of Industries Andaman & Nicobar Administration; Andaman & Nicobar Administration Secretariat Port Blair; Port Management, Andaman & Nicobar Islands; North Eastern Police Academy, Meghalaya (Ministry of Home Affairs); Department of Official Language (Ministry of Home Affairs); Kendriya Sainik Board (Ministry of Defence); Department of Animal Husbandry & Fisheries, Chandigarh Administration; Department of Higher Education Board of Apprenticeship Training (SR), Chennai (Ministry of Human Resource Development); Directorate General, CRPF, New Delhi (Ministry of Home Affairs); Department of Higher Education Central Institutes of Indian Languages, Manasgangotri, Mysore (Ministry of Human Resource Development); Ministry of Water Resource, River Development & Ganga Rejuvenation; Prime Minister's Office; Rural Development & Panchayats Development, Chandigarh; Regional Employment Exchange U.T., Chandigarh; National Foundation for Communal Harmony (Ministry of Home Affairs); Directorate of Shipping Service, Andaman & Nicobar Administration Port Blair; Indian Rubber Manufacturers Research Association Ministry of Steel; Board of Apprenticeship Training, Kanpur (HRD); School of Planning and Architecture, Vijayvada Ministry of Human Resource Development; Ministry of Defence; National Institute of Technical Teacher's Training and Research, Bhopal (Ministry of Human Resource Development); K.R. Circle, Bangalore, The Finance & Planning (Ministry of Road Transport & Highways) and Officer, Statistical Cell, Chandigarh Administration.

13.3 The following Public Sector Undertakings/ Statutory bodies/ Committees/ Corporations/Commissions have confirmed that they have compiled their organizational history:

National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad; Cotton Corporation of India Limited, Navi Mumbai; North Eastern Electric Power Corporation Limited, Shillong and Satluj Jal Vidyut Nigam (SJVN) Limited, Shimla.

राष्ट्रीय अभिलेखागार

- 13.4 विश्लेषण – लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1) (i) के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रतिवर्ष उनके संगठनात्मक इतिहास के संकलन पर सूचना प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष एक परिपत्र जारी करता है। हालांकि कुछ अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने सकारात्मक सूचना दी है, लेकिन बड़ी संख्या में अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने अभी तक अपने संगठनात्मक इतिहास का संकलन नहीं किया है। संबंधित अभिलेख एजेंसियों को अपने संगठनात्मक इतिहास का संकलन करने/उसे तैयार करने/अद्यतन बनाने के लिए गंभीर उपाय किए जाने अपेक्षित हैं और उसे राष्ट्रीय अभिलेखागार को प्रस्तुत करना चाहिए।

- 13.4 *Analysis* - As part of information being gathered on the implementation of section 6(1)(i) of the Public Records Act, 1993, the National Archives of India issues a circular letter every year to all the Central Government Ministries/Departments and Public Sector Undertakings in respect of compilation of their organisational histories. Positive information has been provided by some of the records creating agencies and a large number of the records creating agencies have not compiled their organisational histories so far. Concerned records creating agencies need to understand the importance of compiling/preparing/updating their organisational histories and submit the same to the National Archives of India.

“क” श्रेणी के अभिलेखों की माइक्रोफिल्म बनाना

माइक्रोफिल्मिंग के लिए अभिलेख सृजक एजेंसियों की अभिरक्षा में रखे ‘क’ श्रेणी के अभिलेखों की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को 12 अप्रैल, 2016 को परिपत्र संख्या एफ. 16-6/2016 आरएम जारी किया था।

14.1 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों ने सूचित किया है कि उनके पास इस श्रेणी के अभिलेख नहीं हैं और सूचना को शून्य माना जाए :

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय); रक्षा मंत्रालय (डीजीक्यूए) नौसेना, गृह मंत्रालय (एफएफआर प्रभाग, स्वापक नियंत्रण कार्यालय, राजभाषा विभाग, पुलिस समन्वय अनुभाग), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग, व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता), विद्युत मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड) नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर; कला और संस्कृति निदेशालय, कावरती; जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास और डिजाइन केन्द्र, नागपुर (खान मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय)।

14.2 निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचित किया है कि उनके पास इस श्रेणी के अभिलेख नहीं हैं तथा सूचना को शून्य माना जाए।

नेशनल हायड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड तथा टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उद्यम।

14.3 (क) प्रधानमंत्री कार्यालय ने सूचित किया है कि 112 फाइलों की ‘क’ श्रेणी के अभिलेखों के रूप में पहचान की गई है (वर्ष 1947-1978)।

(ख) उपराष्ट्रपति सचिवालय ने सूचित किया है कि कुछ फाइलों को ‘क’ श्रेणी के अभिलेखों के रूप में चिन्हित किया गया है (वर्ष 1952-1965)।

(ग) अंडमान और निकोबार अभिलेखागार/सचिवालय ने सूचित किया है कि 9056 फाइलों की ‘क’ श्रेणी के अभिलेखों के रूप में पहचान की गई है (वर्ष 1926-2013)।

(घ) विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि 826 फाइलों की ‘क’ श्रेणी के अभिलेखों के रूप में पहचान की गई है (वर्ष 1962-2016)।

(ङ) वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद और सीमा-शुल्क बोर्ड, प्रधान सीमाशुल्क आयुक्त कार्यालय (निवारक) ने सूचित किया कि 168 फाइलों की ‘क’ श्रेणी के अभिलेखों के रूप में पहचान की गई है।

MICROFILMING OF 'A' CATEGORY RECORDS

To ascertain the quantum of 'A' category records lying in the custody of records creating agencies for microfilming, the National Archives of India issued a circular letter No.F.16-6/2016-RM dated 12 April 2016 to all Ministries/Department/offices.

- 14.1 The following Ministries/Departments have informed that no such category of records are available and the information may be treated as nil:

Department of Industrial Policy & Promotion (Ministry of Commerce and Industries), Ministry of Defence (DGQA) Naval, Ministry of Home Affairs (FFR Division Narcotics Control Bureau, Department of Official Language, Police Coordination Section), Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education, Board of Practical Training Eastern Region, Kolkata), Ministry of Power, Ministry of Labour & Empowerment (Central Board for workers Education), Office of the Salt Commissioner Jaipur, Directorate of Art & Culture Kavaratti, Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Center Nagpur (Autonomous body under Ministry of Mines)

- 14.2 The following public Sector undertakings have informed that no such category of records are available and the information may be treated as nil.

National Hydroelectric Power Corporation Limited and Tehri Hydro Development Corporation India Limited a joint Venture of Govt. of India & Government of U.P.

- 14.3 (a) Prime Minister's Office has informed that 112 files have been identified as 'A' category records (inclusive years 1947-1978).
- (b) Vice-President Secretariat has informed that some files have been identified as 'A' category records (inclusive years 1952-1965).
- (c) Andaman & Nicobar Archives/Secretariat has informed that 9056 files have been identified as 'A' category records (inclusive years 1926-2013).
- (d) Ministry of External Affairs has informed that 826 files have been identified as 'A' category records (inclusive years 1962-2016).
- (e) Ministry of Finance, Department of Revenue Central Board of Excise and Customs, Office of the Principal Commissioner Customs (Preventive) has informed that 168 files have been identified as 'A' category records.

राष्ट्रीय अभिलेखागार

- (च) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, सीआरयू ने सूचित किया है कि 2 फाइलों की 'क' श्रेणी के अभिलेखों के रूप में पहचान की गई है।
- 14.3 (छ) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय) ने सूचित किया है कि सेंसर प्रमाणपत्र (3,00,000 प्रतिलिपियां), राजपत्र (10,000 पृष्ठ); सेंसर प्रमाणपत्र जारी करने वाला रजिस्टर (50,000 पृष्ठ) आवेदन (50,000 पृष्ठ) को 'क' श्रेणी अभिलेख माना गया (वर्ष 1951-2016)।

इन सभी संगठनों ने सूचित किया है कि अभिलेख अच्छी स्थिति में हैं।

- 14.4 **विश्लेषण** — यह देखा गया है कि बहुत कम मंत्रालयों/विभागों ने 'क' श्रेणी के अभिलेखों के माइक्रोफिल्मिंग के लिए आवश्यक पहल और रचनात्मक कदम उठाए हैं। अधिकांश अभिलेख सृजक एजेंसियों ने सूचित किया है कि उनके पास इस श्रेणी के अभिलेख नहीं हैं और सूचना को 'शून्य' माना जाए।

- (f) Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education CRU has informed that 02 files have been identified as 'A' category records(inclusive years 1965-1972).
- 14.3 (g) Central Board of Film Certification Mumbai (Ministry of Information & Broadcasting.) has inform that Censor Certificates (3,00,000 copies), Gazette 10,000 pages), Issue register of Censor Certificate (50,000 pages), Application (50,000 pages) as 'A' category records (inclusive years 1951-2016).

All these organizations have reported that the records are in good condition.

- 14.4 **Analysis - It has been observed that very few Ministry/Departments have taken the necessary initiative and constructive steps in respect of microfilming of 'A' category records. Most of the creating agencies have informed that no such category of records is available with them and the information may be treated as 'nil'.**

राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा अभिलेखों का मूल्यांकन

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2) और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के नियम 5 के अनुसार अभिलेखागार महानिदेशक को मूल्यांकन करने और स्थायी प्रकृति के जमा किए गए अभिलेखों को स्वीकार करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है। इसी प्रकार, लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(ग) के अंतर्गत विभागीय अभिलेख अधिकारियों को पच्चीस वर्ष से अधिक पुराने अभिलेखों का राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है ताकि वे स्थायी महत्व के अभिलेखों की पहचान कर सकें और उन्हें वैज्ञानिक परिरक्षण हेतु राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थानांतरित कर सकें।

- 15.1 इस विभाग ने राष्ट्रीय अभिलेखागार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र परियोजनाओं पर मंत्रिमंडल सचिव की अनुमोदित कार्य योजना को भी अग्रेषित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रालयों/विभागों, आदि के स्वतंत्रता-पूर्व अवधि के अभिलेखों के मूल्यांकन और स्थानांतरण शामिल हैं।
- 15.2 रिपोर्ट की अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 1,05,893 अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन किया है। इनमें से 27100 फाइलों को स्थायी तौर पर राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखने तथा 48,841 फाइलों को नष्ट करने की सिफारिश की गई थी। यह कार्य अभिलेखों/अभिलेखों कक्षों के सर्वेक्षण, निरीक्षण और स्थानांतरण की परियोजना के अंतर्गत इस विभाग के अभिलेखाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण के अंतर्गत सहायक अभिलेखाधिकारियों द्वारा किया गया है। स्थायी प्रतिधारण पर विचार करना दीर्घावधि प्रशासनिक महत्व का रहा है तथा यह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वित्तीय महत्व के अभिलेखों के रूप में भी उनकी उपयोगिता दर्शाता है।
- 15.3 मंत्रालयों तथा मूल्यांकन किए गए अभिलेखों की अवधि का ब्यौरा :
 - प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली (1951-2008)
 - पुनर्वास प्रभाग जैसलमेर हाउस (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली (1951-1969)
 - स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग, (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली (1948-1989)
 - विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली (1919-1989)
 - जल संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली (1988-1989)
 - प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (पूर्ववर्ती एमआरटीपी आयोग, कोटा हाउस, नई दिल्ली (1986-2006)
 - रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली (1956-1988)
 - रक्षा मंत्रालय, सेना भवन, नई दिल्ली (1957-1989)

APPRAISAL OF RECORDS BY NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Under Section 3(2) of the Public Records Act, 1993 and Rule 5 of the Public Records Rules, 1997, the Director General of Archives has been authorized to undertake the appraisal and also accept for deposit records of permanent nature. Similarly, under section 6 (1)(c) of the Public Records Act, 1993 Records Officers have been made responsible for appraisal of public records which are more than twenty-five years old in consultation with National Archives of India with a view to identify records of permanent value for subsequent transfer to the National Archives of India for scientific preservation and permanent custody.

- 15.1 This Department has also carried forward the approved action plan of the Cabinet Secretary on certain critical area projects concerning National Archives of India which includes, *inter-alia*, appraisal and transfer of records of the Post-Independence period of Ministries/Departments etc.
- 15.2 During the period, National Archives of India appraised 1,05,893 non-current public records. Out of these 27,100 files were marked for permanent retention and 48,841 files were recommended for destruction. This work has been done by Archival Assistants under the supervision of senior officers of the Department under the project "Survey and Inspection of Records/ Records Room, Appraisal and Transfer of Public Records". Records were appraised for their administrative utility, historical, and financial usefulness for posterity.
- 15.3 Details of the Ministries and inclusive periods of records appraised therein:
 - Prime Minister's Office New Delhi. (1951-2008)
 - Rehabilitation Division Jaisalmer House (Ministry of Home Affairs), New Delhi (1951-1969).
 - Freedom Fighters Division, (Ministry of Home Affairs), New Delhi (1948-1989).
 - Ministry of External Affairs, New Delhi (1919-1989).
 - Ministry of Water Resource, New Delhi (1988-1989).
 - Competition Appellate Tribunal, Ministry of Corporate Affairs (Erstwhile MRTP (Monopolies & Restrictive Trade Practices) Commission, Kota House, New Delhi (1986-2006).
 - Ministry of Railway (Railway Board), New Delhi (1956-1988)
 - Ministry of Defence, Sena Bhawan, New Delhi. (1957-1989)

राष्ट्रीय अभिलेखागार

- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (1953–1989)
 - नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, एनएचपीसी (1973–1989)
 - संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी (1950–1970)
 - रसायन और उर्वरक मंत्रालय (1952–1989)
 - उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (1944–1945)
 - मंत्रिमंडल सचिवालय (1985)
- 15.4 अभिलेख सर्जक एजेंसियों के पास पहले से मूल्यांकित अभिलेखों के राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थानांतरित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। संबंधित सर्जक एजेंसियों नामतः गृह मंत्रालय; राष्ट्रपति सचिवालय; भूमि और विकास कार्यालय, कोयला मंत्रालय; भारतीय निर्वाचन आयोग, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून; भारतीय सर्वेक्षण, देहरादून तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय (डीजीईएण्डटी) द्वारा उनके पास पहले से रखी मूल्यांकित अभिलेखों/फाइलों के अंतरण के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।)
- 15.5 अभिलेख केन्द्र (पूर्वी क्षेत्र) भुवनेश्वर में सूचित किया है कि उसने राष्ट्रीय आयुर्वेदिक औषध विकास अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर (1970–1990) के 243 अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन किया है। इनमें से 122 अभिलेखों को प्रतिधारण के लिए तथा 121 फाइलों को विनष्टीकरण के लिए चिन्हित किया गया है।
- 15.6 अभिलेख केन्द्र (दक्षिणी क्षेत्र), पुडुचेरी ने सूचित किया है कि गन्ना उत्पादन संस्थान कोयम्बतूर तमिलनाडु (1901–1953) कार्यालय के 143 खंडों/अभिलेखों का मूल्यांकन किया गया है।
- 15.7 **विश्लेषण** – सभी सर्जक एजेंसियों के भाग के रूप में राष्ट्रीय अभिलेखागार को उच्च प्राथमिकता के आधार पर 25 वर्ष से अधिक पुराने मूल्यांकन न किए गए बल्कि अप्रचलित सार्वजनिक अभिलेखों के संबंध में कार्रवाई किए जाने की जरूरत है ताकि राष्ट्रीय अभिलेखागार समय पर मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकें तथा तत्पश्चात् उन्हें राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थायी प्रकृति के अभिलेखों को स्थानांतरित किया जा सके।

National Archives of India

- Department of Personnel & Training (Ministry of Personnel, P.G. & Pension) , New Delhi (1953-1989)
 - National Hydroelectric Power Corporation, NHPC. (1973-1989)
 - Union Public Service Commission, UPSC. (1950-1970)
 - Ministry of Chemical & Fertilizer (1952-1989)
 - Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution. (1944-1945)
 - Cabinet Secretariat (1985)
- 15.4 Efforts are being made for transferring already appraised records lying with some the records creating agencies to the Department viz Ministry of Home Affairs, President Secretariat; Land and Development Office; Ministry of Coal; Election Commission of India; Forest Research Institute, Dehradun; Survey of India, Dehradun and Ministry of Labour & Employment (DGE&T) on their part for transfer of already appraised records/files lying with them.
- 15.5 Records Centre (Eastern Zone), Bhubaneswar has reported that they have appraised 243 non-currents records of National Research Institute of Ayurvedic Drug Development, Bhubaneswar (1970-1990). Out these, 122 records were marked for retention and 121 files marked for destruction.
- 15.6 Records Centre Puducherry (Southern Zone) has reported that it has appraised 143 volumes/records of Office of the Sugar Cane Breeding Institute, Coimbatore, Tamilnadu (1901-1953).
- 15.7 **Analysis - Action is required on the part of the records creating agencies to inform National Archives of India regarding the bulk of records which are more than 25 years on priority basis, so as to enable the Department to take necessary steps for their timely appraisal and subsequent transfer records of enduring value for permanent custody and scientific preservation.**

संदर्भ माध्यम तैयार करना

संदर्भ माध्यम एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक साधन है, जिसे प्रत्येक अभिलेख सर्जक एजेंसी द्वारा तैयार कराए जाने की जरूरत होती है। तदनुसार, लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2)(ड.) में निर्धारित अनुसार राष्ट्रीय अभिलेखागार ने वस्तु-सूची, संसूची, तालिका के रूप में अपनी अभिरक्षा में रखे अभिलेखों का उपयुक्त संदर्भ माध्यम तैयार करने के प्रयास जारी रखे ताकि अनुसंधान कर्ताओं और प्रशासकों के लिए तत्काल सूचना प्राप्त की जा सके।

16.1 इस विभाग ने लोक-अभिलेखों आदि के संदर्भ मीडिया तैयार करने संबंधी महत्वपूर्ण क्षेत्र की परियोजनाओं पर मंत्रिमंडल सचिव को अनुमोदित कार्य-योजना भी अग्रेषित की है।

16.2 इस अवधि के दौरान, विभाग ने मिलिटरी डिपार्टमेंट (मिलिटरी बोर्ड कार्यवाहियां 1786-1858, मिलिटरी वर्क्स, आपूर्ति, परिवहन और आपूर्ति तथा युद्ध, राज्य के अवर सचिव के अवर सचिव को प्रेषण, लाइब्रेरी शाखा, 1863-1951, स्टेट ब्रांच, 1843-1859, स्टेट पत्राचार 1824-1878, क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच 1822-1859); स्वास्थ्य मंत्रालय (भारतीय चिकित्सा सेवा महानिदेशक, 1896-1948); विदेश मंत्रालय के विविध तथा अन्य समूह (लिस्बन, लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया 1949-50, शंघाई, भारतीय कंसुलेट जनरल, केप टाउन पेपर, 1949-50, गोवा, भारतीय कंसुलेट जनरल -1937-50) तथा फॉरेन पॉलिटिकल (काबुल मिशन), ब्रिटिश व्यापार प्रतिनिधिमंडल काबुल 1922-23) का संदर्भ माध्यम तैयार किया है।

1. विषय सूची (हाथ से) : 1,0449 फाइलें

2. विषय सूची (ऑन लाइन) : 2,21,867 फाइलें

यह कार्य 'लोक अभिलेखों का संदर्भ माध्यम तैयार करना' नामक परियोजना में संविदा आधार पर नियुक्त अभिलेख सहायकों द्वारा तैयार किया गया।

16.3 प्राच्य अभिलेख (ओ. आर) प्रभाग ने वर्णनात्मक सूचीबद्ध 200 दस्तावेजों, सूचीबद्ध 400 पत्रों का संदर्भ माध्यम तैयार किया है।

16.4 निजी अभिलेख प्रभाग द्वारा डॉ. राजेंद्र प्रसाद कागजातों के 22,195 दस्तावेजों की विषय सूची तैयार की गई है।

16.5 मानचित्र अनुभाग द्वारा मानचित्र अभिलेखों की 750 प्रविष्टियां तैयार की गई हैं।

PREPARATION OF REFERENCE MEDIA

Reference Media is an important administrative tool, which needs to be prepared by each records creating agency. Accordingly, National Archives of India, as stipulated under section 3(2) (e) of the Public Records Act, 1993 continued its efforts to prepare suitable reference media in the form of inventories, indices, catalogues of the records in its custody to facilitate quick retrieval of information for researchers and administrators.

- 16.1 The Department has also carried forward the approved action plan of the Cabinet Secretary on critical area project on 'Preparation of Reference Media of Public Records'.
- 16.2 During the period, Department prepared reference media of Military Department (Military Boards Proceedings 1786-1858, Military Works, Supply, Transport & Supply and War, Dispatches to Under Secretary of State, Library Branch-1863-1951, State Branch-1843-1859, State Correspondence-1824-1878, Quarter Master General Branch-1822-1859); Ministry of Health (Director General of Indian Medical Services-1896-1948); Misc. & Other Group of Ministry of External Affairs (Lisbon, Legation of India-1949-50, Shanghai, Consulate General of India, Cape Town Paper -1949-50, Goa Indian Consulate General-1937-50) and Foreign Political (Kabul Mission, British Trade Delegation Kabul-1922-23).
1. Subject List (manually): 1,0449 files
 2. Subject List (online): 2,21,867 files

The work was undertaken by Archival Assistants, engaged on contract basis in the project 'Preparation of Reference Media of Public Records'.

- 16.3 The Oriental Records (O.R.) Division has prepared reference media of descriptively listed 2000 documents, Calendared 400 letters:
- 16.4 The subject list of 22,195 documents of Dr. Rajendra Prasad Papers has been prepared by Private Archives Section.
- 16.5 750 entries of Cartographic records have been prepared by Cartographic Section.

अभिलेख अवाप्ति / अधिग्रहण

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2)(ख) के अनुसार महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार को अधिनियम की परिधि में आने वाले समस्त अभिलेख, सर्जक एजेंसियों से स्थायी प्रकृति के लोक अभिलेखों को स्वीकार करने का अधिकार है। इसी प्रकार, उक्त अधिनियम की धारा 11(1) में भी ऐतिहासिक या राष्ट्रीय महत्व के किसी अभिलेख की किसी निजी स्रोत से उपहार, खरीद या अन्य ढंग से स्वीकार्य करने का प्रावधान है। ऊपर उल्लिखित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने रिपोर्ट की अवधि के दौरान लोक अभिलेखों और निजी कागजातों की निम्नलिखित शृंखला प्राप्त की है।

- 17.1 इस विभाग ने लोक अभिलेखों की प्रोसेसिंग और प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र परियोजनाओं पर मंत्रिमंडल सचिव की अनुमोदित कार्य-योजना को अग्रणीत किया है। इस कार्य को इस विभाग के अभिलेखविदों और वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में अभिलेखीय सहायकों द्वारा किया गया है।
- 17.2 इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निम्नलिखित अभिलेख सर्जक एजेंसियों से स्थानांतरित 1,57,965 लोक अभिलेखों को प्राप्त किया :
 1. गृह मंत्रालय, स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग — 24,040 (1972-1987)
 2. श्रम और रोजगार मंत्रालय — 494 (1978-1986)
 3. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण — 5,830 (1903-1978)
 4. गृह मंत्रालय, पुनर्वास प्रभाग, पंजाब/सियालकोट, मुलतान, झंग, सरगोधा, लाहौर आदि—97,361 (1951-1953)
 5. मोनोपोलिज एंड रेजिस्ट्रिकिटव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमिशन—14,635 (1884-2009)
 6. रक्षा मंत्रालय — 37, (1957-1989)
 7. रेल मंत्रालय — 2,537 (1952-1989)
 8. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग — 3,809 (1913-2000)
 9. 11वां वित्त आयोग—722 (1998-2002)
 10. भूमि और विकास कार्यालय — 8,500 (1919-1997)
- 17.3 मानचित्र अनुभाग ने 'शून्य' अवाप्ति रिपोर्ट दी है।

ACQUISITIONS/ ACCESSIONS OF RECORDS

As per Section 3(2) (b) of the Public Records Act, 1993, the Director General, National Archives of India is empowered to accept public records of permanent nature from all the records creating agencies falling within the purview of said Act. Likewise, Section 11(1) of the said Act also stipulates about the acceptance of any records of historical or national importance from any private source by way of gift, purchase or otherwise. Keeping in view of the above said provisions, the National Archives of India acquired the following series of public records as well as private papers during the period under report.

- 17.1 The Department has also carried forward the approved action plan of the Cabinet Secretary on the critical area projects on processing and accessioning of Public Records. This work has been done by the Archival Assistants under the supervision of the Archivists and senior officers of this Department.
- 17.2 During the period, National Archives of India accessioned 1, 57,965 files/items public records transferred from the following records creating agencies:
1. Ministry of Home Affairs, Freedom Fighters Division -24,040, (1972-1987)
 2. Ministry of Labour and Employment – 494, (1978-1986)
 3. Archaeological Survey of India-5,830, (1903-1978)
 4. Ministry of Home Affairs, Rehabilitation Division, Punjab/Sialkot, Multan, Jhung, Sargodha, Lahore etc. -97,361, (1951-1953)
 5. Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission-14,635, (1884-2009)
 6. Ministry of Defence-37, (1957-1989)
 7. Ministry of Railways-2,537, (1952-1989)
 8. Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP)-3,809 (1913-2000)
 9. 11th Finance Commission-722 (1998-2002)
 10. Land and Development Office -8,500 (1919-1997)
- 17.3 Cartography Section has given 'Nil' accession Report

राष्ट्रीय अभिलेखागार

17.4 पुस्तकालय :

1. वर्ष 2015 के दौरान अवाप्ति की गई पुस्तकों की कुल संख्या : 500
2. बाइंडिंग की गई पुस्तकों की संख्या : 482
3. लैमिनेशन किए गए पुस्तकों की संख्या : 281

17.5 क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल ने लोक और निजी अभिलेखों के लिए 'शून्य' अवाप्ति रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

17.6 अभिलेख केन्द्र (पूर्वी क्षेत्र), भुवनेश्वर में किया गया अवाप्ति कार्य :

1. पुस्तकालय : कार्यालय पुस्तकालय हेतु "सृजनिका" से उपहार स्वरूप 190 पुस्तकें और गजेटियर रिपोर्टें आदि श्री विनोद कानूनगो के कुछ पत्र, हस्तलिपियां और 2 सीडी उनके पुत्र श्री प्रबल कानूनगो द्वारा दान किया गया।

17.7 अभिलेख केन्द्र पुडुचेरी में किया गया अवाप्ति कार्य।

1. गन्ना उत्पादन संस्थान, कोयम्बतूर, तमिलनाडु के 1901-1953 की अवधि के भारतीय जिला गजेटियर के 173 खंड।
2. समाचार पत्रों के कतरन/फोटोग्राफ/पत्रों इत्यादि के 46 फोल्डर (पांडेचेरी और दक्षिण भारत की राजनीति, संस्कृति से संबंधित विषय (अवधि 1967-2004) तथा दुर्लभ पेटिंग (प्रथम आवृत्ति) के साथ विलियन शेक्सपियर के ऐतिहासिक नाटकों के 3 लेदर बाउंड खंड श्री एन नंदीवर्मन द्वारा दान किए गए।

17.8 अभिलेख केन्द्र, जयपुर ने लोक और निजी अभिलेखों के लिए 'शून्य' अवाप्ति रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

17.9 राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली के निजी अभिलेख अनुभाग ने 'शून्य' रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

17.10 राष्ट्रीय अभिलेखागार की अभिरक्षा के अंतर्गत अभिलेखों की सुरक्षा माइक्रोफिल्मिंग का कार्य :

क्रम संख्या	परियोजना/योजना/कार्यक्रम का नाम	कुल कार्य
1.	राष्ट्रीय अभिलेखागार की अभिरक्षा के अंतर्गत अभिलेखों की सुरक्षा माइक्रोफिल्मिंग दस्तावेजों का ब्यौरा :- 1) मिलिटरी डिपार्टमेंट (कच्चा मसौदा) (अवधि -जून 1838 से जून 1849) 2) मिलिटरी डिपार्टमेंट (एबीसी) (अवधि -अप्रैल 1856 से जुलाई 1856)	265 माइक्रोफिल्म रोल्ल्स (1,68,830 एक्सपोजर/3,37,660 पृष्ठ)

National Archives of India

17.4 Library:

1. Total number of books accessioned during the year 2015: 500
2. Number of books stitched and bound: 482

17.5 Regional Office, Bhopal has given 'Nil' accession report for public and private records.

17.6 Accession work undertaken in Records Centre (Eastern Zone), Bhubaneswar:

1. Library: Received 190 books and gazetteers, reports etc. from "Srujanika", as gift, few letters, manuscript and 2 CDs of Shri Binode Kanungo were donated by his son Shri Pabal Kanungo.

17.7 Accession work undertaken in Records Centre, Puducherry.

1. 173 volumes of district gazetteers of India covering period 1901-1953 of Sugar Cane Breeding Institute, Coimbatore, Tamil Nadu.
2. 46 folders of press clippings/photographs/letters etc. (Subject relating to political, culture history of Pondicherry and Southern India covering period 1967-2004 and 3 leather bound volumes of William Shakespeare historical plays with rare paintings (first edition) were donated by Sh. N. Nandhivarman.

17.8 Records Centre, Jaipur has given 'Nil' accession report for public and private records.

17.9 Private Archives Section of the National Archives of India, New Delhi has submitted 'Nil' report.

17.10 Output of the Security Microfilming of records under the custody of National Archives of India:

Sl. No.	Name of the Project/ scheme/program	Total out-put
1	Security Microfilming of Records under the custody of NAI. Details of the documents:- 1) Military Deptt. (Rough Draft) (Period- from June 1838 to June 1849) 2) Military Deptt. (ABC) (period- from April 1856 to July 1856)	265 Microfilm Rolls (1,68,830 Exposures) (3,37,660 pages.)

राष्ट्रीय अभिलेखागार

क्रम संख्या	परियोजना / योजना / कार्यक्रम का नाम	कुल कार्य
	3) राजस्व और कृषि ('क' श्रेणी) (अवधि - मई 1905 से जुलाई 1923) 4) राजस्व और कृषि ('ख' श्रेणी) (अवधि जून 1882 से सितम्बर 1905) 5) वित्त विभाग विनियमन (अवधि - वर्ष 1929 से 1933) 6) राष्ट्रीय अभिलेखागार की पुस्तकें	
2.	राष्ट्रीय अभिलेखागार की माइक्रोफिल्म रिपोजिटरी की अभिरक्षा के तहत माइक्रोफिल्म की पाजिटिव प्रिंटिंग	4,219 मीटर (143 रोल्ल्स)
3.	राष्ट्रीय अभिलेखागार की अभिरक्षा में स्थिति दस्तावेजों से शोधार्थियों तथा बाह्य एजेंसियों को प्रतिलिपियां (साधे कागज / फोटो / रीडर प्रिंटर / माइक्रोफिल्म में / सीडी में डिजिटल	1,98,678 प्रतिलिपियां
4.	माइक्रोफिल्म स्कैनर द्वारा राष्ट्रीय अभिलेखागार के माइक्रोफिल्मों का डिजिटलीकरण / स्कैनिंग	2,55,535 चित्र

National Archives of India

Sl. No.	Name of the Project/ scheme/program	Total out-put
	3) Revenue & Agriculture ('A' Category) (Period- from May 1905 to July 1923)	
	4) Revenue & Agriculture ('B' Category) (Period- from June 1882 to September 1905)	
	5) Finance Deptt. Regulations (Period- from year 1929 to 1933)	
	6) NAI Library Books.	
2	Positive Printing of Microfilms under the custody of NAI Microfilm Repository.	4,219 Mts. (143 Rolls)
3	Supply of copies (on Plain paper/ Photo/Reader Printer/Microfilm/ Digital on CDs) to Scholars and outside agencies from the documents in the custody of NAI.	1,98,678 Copies
4	Digitalization/Scanning of Microfilms of NAI by Microfilm Scanner.	2,55,535 Images

अभिलेख सर्जक एजेंसियों के स्थायी कार्यों के अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूचियों की पुनरीक्षा

लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 6(1)(ड.) में यह प्रावधान है कि अभिलेख अधिकारी राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से अभिलेख प्रतिधारण सारणी के संकलन के लिए उत्तरदायी होगा। इन अभिलेख प्रतिधारण सारणियों को पांच वर्ष में एक बार संशोधित किया जाना अपेक्षित है ताकि नए विषय शीर्ष शामिल किए जा सकें जो पांच वर्ष की अवधि में संबंधित अभिलेख सर्जक एजेंसियों के बदलते और बढ़ते कार्यकलापों के कारण शामिल हो गए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने वर्ष 2015 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न निदेशालयों के महत्वपूर्ण कार्यों की अभिलेख प्रतिधारण सारणियों की पुनरीक्षा की है। विस्तृत सूचना नीचे दी गई है :-

- 18.1 जनवरी-दिसम्बर, 2015 के दौरान पुनरीक्षण के लिए प्राप्त स्थायी अभिलेखों की अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियों (आरआरएस) की कुल संख्या : 07
- 18.2 निम्नलिखित 9 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/पीएसयू के स्थायी अभिलेखों से संबंधित अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची के पुनरीक्षण के लिए मौके पर अध्ययन किया गया :
 - i) भारत के महापंजीयक का कार्यालय, नई दिल्ली
 - ii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (कृषि मंत्रालय), नई दिल्ली
 - iii) सेंट्रल कोलफिल्ड लिमिटेड, रांची
 - iv) नेशनल हायड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि., फरीदाबाद
 - v) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
 - vi) सचिवीय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली
 - vii) मंत्रिमंडल, सचिवालय नई दिल्ली
- 18.3 अंतिम रूप दिया गया तथा उसे कार्यान्वयन के लिए मंत्रालयों/विभागों को भेजी गई स्थायी अभिलेखों की अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची की संख्या: 06
 - i) भारत के महापंजीयक का कार्यालय, नई दिल्ली
 - ii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (कृषि मंत्रालय), नई दिल्ली
 - iii) सेंट्रल कोलफिल्ड लिमिटेड, रांची

VETTING OF RETENTION SCHEDULES OF RECORDS OF SUBSTANTIVE FUNCTIONS OF RECORDS CREATING AGENCIES

Section 6(1) (e) of the Public Records Act, 1993 provides that the Record Officer shall be responsible for compilation of records retention schedules in consultation with the National Archives of India. These records retention schedules are also required to be revised once in five years with a view to accommodate new subject heads which might have been added due to the changing and expanding activities of the concerned records creating agencies during the span of preceding five years. Keeping this in view, National Archives of India has vetted records retention schedules of substantive functions of various Ministries/Departments/Offices/Public Sector Undertakings etc., during 2015. Detailed information is given below:-

- 18.1 Total number of Records Retention Schedules of Substantive functions received for vetting during (January–December), 2015:- 07.
- 18.2 On the spot studies for vetting of the Records Retention Schedule of pertaining to Substantive functions of the following nine Ministries/Department/Offices/PSUs were taken up:
- i. Office of the Registrar General of India, New Delhi
 - ii. Indian Council of Agricultural Research (Ministry of Agriculture), New Delhi
 - iii. Central Coal Field Limited, Ranchi
 - iv. National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad.
 - v. Ministry of Environment, Forest & Climate Change.
 - vi. Institute of Secretaries Training & Management, New Delhi.
 - vii. Cabinet Secretariat, New Delhi.
- 18.3 Number of Records Retention Schedule of Substantive functions finalized and sent to Ministries/Departments for implementation: 06
- i. Office of the Registrar General of India, New Delhi.
 - ii. Indian Council of Agricultural Research (Ministry of Agriculture), New Delhi.
 - iii. Central Coal Field Limited, Ranchi

राष्ट्रीय अभिलेखागार

- iv) मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
 - v) सचिवीय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली
 - vi) नेशनल हायड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि., फरीदाबाद
- 18.4 स्थायी अभिलेखों की अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची की पुनरीक्षा के कार्य में महसूस की गई कठिनाइयां, यदि कोई हों :
- कुछ अभिलेख सृजक एजेंसियों द्वारा अग्रेषित स्थायी अभिलेखों की अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियों का प्रारूप निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं।
 - संगठनों के अनुभागों/शाखा में फाइल रजिस्टर जैसे बुनियादी संदर्भ दस्तावेजों का न होना।
- 18.5 **विश्लेषण** – यह देखा गया है कि अधिकांश मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने अभी तक अपनी अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियां तैयार नहीं की हैं, तथा अधिकांश मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों की अभिलेख प्रतिधारण अनुसूचियों का भी संशोधन किया जाना है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी सर्जक एजेंसियों द्वारा बेहतर अभिलेख प्रबंधन हेतु तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

- iv. Cabinet Secretariat, New Delhi.
- v. Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi.
- vi. National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad.

18.4 Difficulties experienced, if any, in the work of vetting of Records Retention Schedule of Substantive functions:

- The draft Records Retention Schedules of Substantive Records forwarded by some Records Creating Agencies are not as per the prescribed guidelines.
- Lack of basic reference documents, such as File Registers, in the sections/ branch of the organizations.

18.5 Analysis - It has been observed that some of the Ministries/Departments/Offices have not prepared their records retention schedules as mandated and records retention schedules of many Ministries/Departments/Offices are also due for revision. Keeping this in view, action is required on the part of all creating agencies to take up this urgent step for better records management practice.

परामर्शी कार्य

लोकअभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 3(2)(प) के तहत महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार से यह अपेक्षित है कि वह अभिलेखों के सृजन, निपटान और उनके अर्द्ध-प्रचलित चरण के दौरान अभिलेखन प्रबंधन के मानदंडों, तकनीकों और वैज्ञानिक संरक्षण के अनुप्रयोग के संबंध में सभी मंत्रालयों/विभागों, इत्यादि को परामर्श दें। तदनुसार, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभिलेख प्रबंधन कार्यकलापों से संबंधित मामलों पर विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों को परामर्श देने के प्रयास जारी रखे हैं।

19.1 अर्द्ध-प्रचलित अभिलेखों के रखरखाव और संरक्षण को अभिलेख प्रबंधन का एक मुख्य कार्य मानते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के विभागीय अभिलेख कक्षों का निरीक्षण किया और उन्हें मौजूदा स्थितियों को सुधारने के लिए मौके पर सलाह और मार्गदर्शन दिया।

19.2 राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली द्वारा निम्नलिखित को तकनीकी सलाह प्रदान की गई :

क) रेप्रोग्राफिक सेवाएं :

1. श्री दिव्यांशु वोहरा, प्रशासक, सरदार पटेल न्यास, करमसद
2. श्री राजीव लोचन साहू, मुख्य अभिलेखाधिकारी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर्काइव्स, पुणे
3. श्री एम.सी.एस. बिष्ट, पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, सीएसएल, संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली
4. डॉ. जी.डी. पुंगले, आईडीएस, प्रधान नियंत्रक, प्रधान सीडीए (पेंशन) का कार्यालय, इलाहाबाद
5. श्री रंजन भगत, पुलिस उपायुक्त, अपराध (सीआरओ एवं पीआरओ), पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली
6. डॉ. लालता प्रसाद, निदेशक, उत्तराखंड राज्य अभिलेखागार, देहरादून

ख) अभिलेखों के संरक्षण/परीक्षण पर तकनीकी सलाह :

1. डॉ. जहांगीर इकबाल, सहायक प्रोफेसर, फारसी विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर
2. वरिष्ठ परामर्शदाता और टीम लीडर, एप्टिको लिमिटेड, हैदराबाद

ग) राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली द्वारा निम्नलिखित को अभिलेख प्रबंधन पर सलाह दी गई:

1. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
2. दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली
3. भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड, चंडीगढ़

ADVISORY WORK

Under Section 3(2) (i) of The Public Records Act, 1993, Director General, is required to render advice to all Ministries/Departments etc., on the creation, disposal of records and application of standards, techniques of records management and scientific preservation during their semi-current stage. Accordingly, National Archives of India continued its efforts to advise various records creating agencies.

19.1 Considering the upkeep and preservation of semi-current records as one of the prime areas of the records management, National Archives of India inspected the departmental records rooms of various Ministries/Departments/Offices and provided on the spot advice and guidance for improvement in the existing conditions.

19.2 Technical advice was rendered by the National Archives of India, to the following:

A) Reprographic services:

1. Shri Divyanshu Vohra, Administrator, Sardar Patel Trust, Karamsad.
2. Shri Rajib Lochan Sahoo, Chief Archivist, Reserve Bank of India Archives, Pune.
3. Shri M C S Bisht, Library and Information officer, CSL, Ministry of Culture, New Delhi.
4. Dr. G.D. Pungle, IDAS, Principal Controller, office of the Pr. CDA (pensions), Allahabad.
5. Shri Rajan Bhagat, Deputy. Commissioner of Police, Crime (CRO & PRO), PHQ, Delhi.
6. Dr. Lalta Prasad, Director, Uttarakhand State Archives, Dehradun.

B) Technical advice on Conservation /Preservation of records:

1. Dr. Jahangir Iqbal, Assistant Professor, Department of Persian, Kashmir University, Srinagar.
2. Senior Consultant & Team Leader, Aptico Ltd., Hyderabad.

C) Advice on Records Management was provided by the National Archives of India, New Delhi to the following :

1. Food Safety and Standards Authority of India.
2. Delhi Development Authority, Delhi.
3. Bhakra Beas Management Board, Chandigarh.

राष्ट्रीय अभिलेखागार

4. महिला और बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
5. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
6. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल
7. अंडमान और निकोबार अभिलेखागार सचिवालय, पोर्ट ब्लेयर
8. आई.एस.पी.आर लिमिटेड
9. टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, ऋषिकेश और टिहरी

घ) फिल्मांकन सुविधाएं:

1. राष्ट्रीय अभिलेखागार पर डाक्यूमेंटरी फिल्म बनाने के लिए राज्य सभा टी.वी. को सुविधाएं मुहैया कराई गई।
 2. डाक्यूमेंटरी फिल्म बनाने के लिए मि. मेक्सांडर, यू. के. को ब्रिटिश काल पर राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध सूचना दी गई।
 3. भारत में आपातकाल पर डाक्यूमेंटरी फिल्म बनाने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित दस्तावेजों के फिल्मांकन हेतु दूरदर्शन को आवश्यक सुविधाएं दी गई।
 4. सुश्री अनुराधा, आकार फिल्मस को उनकी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार के दस्तावेजों के इस्तेमाल हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई।
 5. जनगणना संबंधी पुराने अभिलेखों के डाटा प्रयोक्ताओं को संवेदनशील बनाने पर एक लघु फिल्म बनाने के लिए महापंजीयक कार्यालय, नई दिल्ली की टीम को अनुमति दी गई।
 6. एकेडमी ऑफ फिल्म, हांगकांग बेप्टिस्ट यूनिवर्सिटी को विभाग स्थित अभिलेखों में से उनके द्वारा चयनित अभिलेखों के डिजीटल चित्र उनकी वेबसाइट पर अपलोड करने की अनुमति दी गई।
 7. राष्ट्रीय अभिलेखागार के पुस्तकालय संग्रह के फिल्मांकन के लिए महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय के सदस्यों को सुविधाएं प्रदान की गई।
- 19.3 क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल तथा भुवनेश्वर, पुडुचेरी और जयपुर स्थित अभिलेख केंद्रों में परामर्शी कार्य किया गया :
1. क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल :
एनएचडीसी (विद्युत मंत्रालय), भोपाल के तकनीकी अधिकारियों को अभिलेख प्रबंधन पर सलाह दी गई।
 2. अभिलेख केंद्र (दक्षिण क्षेत्र), पुडुचेरी – शून्य
 3. अभिलेख केंद्र (पश्चिम क्षेत्र), जयपुर – शून्य

4. Ministry of Women and Child Development, New Delhi
5. Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.
6. National Handloom Development Corporation Limited, Bhopal.
7. Andaman & Nicobar Archives, Secretariat, Port Blair.
8. I.S.P.R. Ltd.
9. Tehri Hydro Development Corporation Limited, Rishikesh and Tehri

D) Filming facilities :

1. Facilities were provided to Rajya Sabha TV for shooting a documentary film on NAI.
 2. Information about the holdings of NAI records on British Period was sent to Mr. Mexander, UK for shooting of a documentary film.
 3. Necessary facilities were provided to DD News in shooting documents from NAI for their documentary film on Emergency in India.
 4. Necessary facilities were provided to Ms. Anuradha, Producer, AAKAAR films for using NAI documents for uploading on their website.
 5. Permission was provided to the team of the Office of the Registrar General, New Delhi for shooting of a short film on sensitization data users of old Census records.
 6. Academy of Film, Hong Kong Baptist University was given permission to upload digital images on their website, selected by them from the holdings of the Department.
 7. Facilities were provided to the crew members of the Registrar General and Census Commissioner, Government of India for shooting library collections of NAI.
- 19.3 Advisory Work undertaken in Regional Office, Bhopal and Records Centres, Bhubaneswar, Puducherry and Jaipur respectively:
1. Regional Office, Bhopal:
Rendered advice on Records Management to the technical Officers of the NHDC, Bhopal (Ministry of Power).
 2. Records Centre (Southern Zone) Puducherry- Nil
 3. Records Centre (West Zone) Jaipur- Nil

4. अभिलेख केंद्र (पूर्वी क्षेत्र), भुवनेश्वर :

राष्ट्रीय आयुर्वेदिक औषध विकास संस्थान, भुवनेश्वर को अभिलेख प्रबंधन पर सलाह दी गई।

19.4 निम्नलिखित संस्थानों की अभिलेख सर्जक एजेंसियों का निरीक्षण किया गया तथा अभिलेखों के उचित रखरखाव के लिए मौके पर मार्गदर्शन किया गया :

- 1) कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली
- 2) उर्वरक विभाग, नई दिल्ली
- 3) नौवहन मंत्रालय नई दिल्ली
- 4) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली
- 5) वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली
- 6) संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली
- 7) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अभिलेखागार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 41 मंत्रालयों/विभागों के अभिलेख कक्ष के निरीक्षण के प्रयोजनार्थ उनसे बातचीत की गई/दौरा किया गया।

19.5 अभिलेखों, दस्तावेजों इत्यादि के उचित परिरक्षण के संबंध में निम्नलिखित संस्थाओं का निरीक्षण किया गया।

1. उच्चतम न्यायालय संग्रहालय, नई दिल्ली
2. पंजीयक, उच्चतम न्यायालय

19.6 उत्तराखंड राज्य अभिलेखागार, देहरादून में 18-20 मार्च, 2015 को 'अभिलेखों और दुर्लभ पुस्तकों के परिरक्षण' पर तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

19.7 **विश्लेषण** – राष्ट्रीय अभिलेखागार प्रबंधन कार्यकलापों अर्थात् अभिलेखनसूचीकरण, समीक्षा करना, अभिलेखों को नष्ट करना, मूल्यांकन करना और अप्रचलित स्थायी प्रकृति के अभिलेखों का अंतरण करना तथा 'क' श्रेणी के अभिलेखों की माइक्रोफिल्म बनाना, आदि से संबंधित मामलों पर सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परामर्श दे रहा है। अभिलेख सृजक एजेंसियां राष्ट्रीय अभिलेखागार की सहायता से कार्यशालाओं/संगोष्ठियों के माध्यम से अपने संगठन में अपने अभिलेखों के अभिलेख प्रबंधन, संरक्षण पर जागरूकता पैदा करने के प्रयास करें।

4. Records Centre (Eastern Zone) Bhubaneswar:

Advice tendered on Records Management to National Institute of Ayurvedic Drug Development, Bhubaneshwar.

19.4 Inspection of Records Creating Agencies and on the spot guidance for proper upkeep of records was provided to the following institutions:

1. Department of Agriculture and Cooperation, New Delhi.
2. Department of Fertilizers, New Delhi.
3. Ministry of Shipping, New Delhi.
4. Department of Science and Technology, New Delhi.
5. Department of Commerce, New Delhi.
6. Ministry of Culture, New Delhi.
7. Food & Public Distribution, New Delhi

In addition, 41 Ministries/Departments were interacted/ visited by the senior officers of National Archives of India for the purpose of inspection of their records room.

19.5 Inspection was carried out regarding proper preservation of records, documents etc. in the following institutions:

1. Supreme Court Museum, New Delhi.
2. Registrar, Supreme Court of India.

19.6 Conducted a three day workshop on 'Preservation of Archives and Rare Books' at Uttarakhand State Archives, Dehradun from 18-20 March, 2015.

19.7 **Analysis - National Archives of India is rendering advice to all Ministries/Departments/ Offices/Public Sector Undertakings etc. on matters related to records management activities i.e. recording, indexing, reviewing, weeding of records, appraisal & transfer of non-current records and microfilming of 'A' category records etc. Records Creating Agencies should make efforts to create awareness on Records management, conservation of their records in their organization through workshops/ seminars with the support of National Archives of India.**

प्रशिक्षण

राष्ट्रीय अभिलेखागार का अभिलेखीय अध्ययन पीठव्यवसायिक और अपव्यावसायिक स्तरों पर अभिलेख विज्ञान की विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा है। इनमें अभिलेख और रिकार्ड प्रबंधन में एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम; अभिलेखागार प्रबंधन, रेफ़ोग्राफी, अभिलेख प्रबंधन, अभिलेखों का रखरखाव और मरम्मत, पुस्तकों की देखभाल और संरक्षण, एमएसएस तथा उप-व्यावसायिक स्तर पर अभिलेखागारों में अल्पकालिक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम शामिल हैं। मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, आदि इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और विभागीय अभिलेख कक्षों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षित करवा सकते हैं। इसके अलावा, सचिवों की समिति के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निर्दिष्ट विभागीय अभिलेख अधिकारियों के लिए अभिलेख प्रबंधन में पांच दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम शुरू किया ताकि वे लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 6(1) के तहत यथानिर्धारित कार्य करने में समर्थ हो सकें।

- 20.1 शैक्षणिक वर्ष 2014–2015 के लिए अभिलेखागार और अभिलेख प्रबंधन में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के बैच में 21 छात्र थे। इनमें से, एक उम्मीदवार प्रायोजित उम्मीदवार था।
अभिलेखागार और अभिलेख प्रबंधन सत्र (2013–2014) में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सफल प्रशिक्षुओं का छमाही इंटरशिप कार्यक्रम (मई, 2015–अक्टूबर, 2015) पूरा किया गया।
- 20.2 रेफ़ोग्राफी में दो अल्पावधि पाठ्यक्रम (6–अप्रैल से 15 मई, 2015) और (7 सितम्बर से 16 अक्टूबर, 2015) आयोजित किए गए जिसमें 24 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इसमें से 6 उम्मीदवार प्रायोजित थे।
- 20.3 अभिलेख प्रबंधन में दो अल्पावधि पाठ्यक्रम (5 मई से 29 मई, 2016 तक) और (1 से 26 सितम्बर, 2016) आयोजित किए गए जिसमें 34 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इसमें से 2 उम्मीदवार प्रायोजित थे।
- 20.4 अभिलेखों के रखरखाव और मरम्मत में दो अल्पावधि पाठ्यक्रम (18 मई से 26 जून, 2015) और (7 सितम्बर से 16 अक्टूबर, 2015 तक) आयोजित किए गए जिसमें 36 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इसमें से 8 उम्मीदवार प्रायोजित थे।
- 20.5 पुस्तकों, पाण्डुलिपियों और अभिलेखों की देखभाल और संरक्षण में दो अल्पावधि पाठ्यक्रम (6 जुलाई से 28 अगस्त, 2015 तक और 26 अक्टूबर से 19 दिसम्बर, 2015 तक) का आयोजन किया गया जिसमें 22 उम्मीदवारों ने भाग लिया।
- 20.6 अभिलेख प्रबंधन में एक अल्पावधि पाठ्यक्रम (9 फरवरी से 20 मार्च, 2015) आयोजित किया गया जिसमें 14 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इनमें से एक उम्मीदवार प्रायोजित था।

TRAINING

The School of Archival Studies of the National Archives of India continued to conduct training courses in various disciplines of Archival Science at both professional and sub-professional levels. These comprise of One-Year Diploma Course in Archives and Records Management; Short Term Certificate Courses in Archives Management, Reprography, Records Management, Servicing and Repairing of Records, Care and Conservation of Books, Manuscripts and Archives at sub-professional level. Ministries/Departments/Offices/Public Sector Undertakings etc., can avail of this facility and get their staff working in Records Room trained. Besides, as per the directives of the Committee of Secretaries, National Archives of India started five days Orientation Courses in Records Management for designated Departmental Records Officers with a view to enable them to discharge various functions as stipulated under Section 6 (1) of the Public Records Act, 1993.

- 20.1 One-Year Diploma Course in Archives and Records Management for the academic year 2014-2015 had a batch of 21 students. Out of these 01 candidate was sponsored.

Internship programme for six month (May 2015- October 2015) of the 08 successful trainees of the one year diploma course in Archives and Records Management session (2013-2014) has been completed.

- 20.2 Two Short Term Courses in Reprography (6th April to 15th May 2015 and 7th September to 16th October 2015) were conducted which were attended by 24 candidates. Out of these, 06 were sponsored.
- 20.3 Two Short Term Courses on Records Management (5th May to 29th May 2015 and 1st to 26th September 2015) were conducted which were attended by 34 candidates. Out of these, 02 were sponsored.
- 20.4 Two Short Term Courses on Servicing and Repair of Records (18th May to 26th June 2015 and 7th September to 16th October 2015) were conducted and attended by 36 candidates.
- 20.5 Two Short Term Course on Care and Conservation (6th July to 28th August 2015 and 26th October to 18th December 2015) of books, manuscripts and archives were attended by 22 candidates.
- 20.6 One Short Term Course in Archives Management (9th February to March to 20th March 2015) was conducted which was attended by 14 candidates. Out of these 01 candidate was sponsored.

राष्ट्रीय अभिलेखागार

20.7 वर्ष के दौरान अभिलेखीय अध्ययन पीठ द्वारा आयोजित संगोष्ठियों और कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों का ब्यौरा :

क) अभिलेख प्रबंधन, संरक्षण, माइक्रोफिल्मिंग आदि में मानव संसाधन विकास कार्यक्रम :

संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के सहयोग से अभिलेखीय अध्ययन पीठ के मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के 35 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

20.8 क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल ने एमएलएम महाविद्यालय, भोपाल के शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए 4-5 मार्च, 2015 को 'अभिलेखों की मरम्मत और संरक्षण' पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया और राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें 35 अधिकारियों ने भाग लिया।

20.9 वर्ष के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा आयोजित अभिविन्यास पाठ्यक्रमों का ब्यौरा :

क्रम संख्या	स्थान	पाठ्यक्रम की अवधि	भाग लेने वालों की संख्या	अभ्युक्तियां
1.	राष्ट्रीय अभिलेखागार अभिलेख केन्द्र, पूर्वी क्षेत्र एम-79, मधुसूदन नगर यूनिट-4, भुवनेश्वर	07-09 जनवरी, 2015 (3 दिन)	34	
2.	राष्ट्रीय अभिलेखागार जनपथ नई दिल्ली	9-11 फरवरी, 2015 (3 दिन)	17	
3.	राष्ट्रीय अभिलेखागार जनपथ नई दिल्ली	25-27 मई, 2015 (3 दिन)	17	
4.	राष्ट्रीय अभिलेखागार क्षेत्रीय कार्यालय, सिविल लाइन्स, एम.एल.बी. कॉलेज के पास, भोपाल	01-3 जुलाई, 2015 (3 दिन)	08	
5.	राष्ट्रीय अभिलेखागार अभिलेख केंद्र, 10ए, झालाना डुंगरी सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004	19-21 अगस्त, 2015 (3 दिन)	06	
6.	राष्ट्रीय अभिलेखागार जनपथ, नई दिल्ली-110001	22-24 सितम्बर, 2015 (3 दिन)	18	
7.	राष्ट्रीय अभिलेखागार अभिलेख केन्द्र, दक्षिण क्षेत्र जीवनआनंदपुरम, लापेट पुडुचेरी-605008	18-20 नवम्बर, 2015 (3 दिन)	09	

National Archives of India

20.7 Details of seminars and workshops/ trainings organized by the National Archives of India during the year:

(A) Human Resources Development Programme in Records Management, Conservation, microfilming etc.

Training has been imparted to 35 officials of Union Public Service Commission under the Human Resources Development programme of School Archival Studies in collaboration with UPSC, New Delhi

20.8 Regional Office, Bhopal conducted a two days workshop on "Repair and Conservation of Archival records" was organized on 4-5 March 2015 for the teachers and student of MLM College Bhopal and one day workshop on Records Management was conducted for the officers of National Handloom Development Corporation Limited in which 35 officers participated.

20.9 Details of Orientation Courses for records officers organized by National Archives of India during the year:

Sl. No	Venue	Duration of course	No. of participants	Remarks
1	National Archives of India, Records Centre, Eastern Zone, M-79, Madhusudan Nagar, Unit-4, Bhubneshwar-751001	07-09 January, 2015 (03 days)	34	
2	National Archives of India, Janpath, New Delhi -110001	09-11 February 2015 (03 days)	17	
3	National Archives of India, Janpath, New Delhi -110001	25 th – 27 th May, 2015	25	
4	National Archives of India, Regional Office, Civil Lines, Near M.L.B.College, Bhopal-462001	1 st -3 rd July 2015 (03 days)	08	
5	National Archives of India, Records Centre, 10-A, Jhalana Doongri Institutional Area, Jaipur- 302004	19 th -21 st August 2015, (03 days)	06	
6	National Archives of India, Janpath, New Delhi -110001	22 nd -24 th September 2015 (03 days)	18	
7	National Archives of India, Records Centre, Southern Zone, Jeevananandapuram, Lawspet, Puducherry-605008	18 th -20 th November 2015, 2015 (03 days)	09	

अभिलेखीय जागरूकता कार्यक्रम

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2)(घ) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अभिलेख महानिदेशक को लोक अभिलेखों के प्रदर्शन आयोजित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ताकि जनता के बीच अभिलेखीय जागरूकता का सृजन किया जा सके। तदनुसार, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रदर्शनियां आयोजित की हैं।

21.1 राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रदर्शनियां :

1. **13वां प्रवासी दिवस** : राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अनिवासी भारतीय कार्य मंत्रालय कार्य मंत्रालय को गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी तथा परिवर्तन के प्रतीक के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में भारत को उनके योगदान से संबंधित दुर्लभ फोटो और दस्तावेज मुहैया कराए। यह समारोह 7-9 जनवरी 2015 को सोशल मीडिया और प्रसार-प्रचार अभियान के लिए 13वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर गांधीनगर में आयोजित किया गया था।
2. **राष्ट्रीय अभिलेखागार की निधि** : राष्ट्रीय अभिलेखागार के 125वें स्थापना दिवस के अवसर पर, नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार की अभिलेखीय निधि नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था।
3. **लोगो का उद्घाटन** : राष्ट्रीय संग्रहालय में डॉ. महेश शर्मा, माननीय संस्कृति मंत्री द्वारा राष्ट्रीय अभिलेखागार की 125वीं वर्षगांठ समारोह के लोगो का उद्घाटन किया गया।
4. **मोहन से महात्मा** : गांधी स्मृति और दर्शन समिति के प्रांगण में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था।

21.2 क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में अभिलेख जागरूकता कार्यक्रम :

क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा 29.9.2015 से पंद्रह दिनों के लिए "रियासते शहाजहानी - बेनजीर महल के विशेष संदर्भ के साथ शहाजहां बेगम के जीवन की झलकी" पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी।

21.3 आगंतुक :

1. राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान से 5 प्रशिक्षुओं के एक समूह ने अपने पाठ्यक्रम के भाग के रूप में 8 जनवरी, 2015 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया।
2. पेटेंट डिजाइन महानियंत्रक, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के 4 अधिकारियों के समूह ने 16 जनवरी, 2015 को दौरा किया।

ARCHIVAL AWARENESS PROGRAMME

Under Section 3(2) (d) of the Public Records Act, 1993, the Director General of Archives is authorized by the Central Government to hold exhibition of public records to create archival awareness among the masses. Accordingly, National Archives of India mounted the following exhibitions during the period under report.

21.1 Exhibitions organized by the National Archives of India, New Delhi:

1. **13th Pravasi Bhartiya Divas:** National Archives of India provided rare photos and documents to Ministry of Overseas Indian Affairs, New Delhi related to Gandhiji's return from South Africa, and his contribution to India in various fields as an agent of change. The event was organised on the occasion of the 13th *Pravasi Bhartiya Divas* at Gandhinagar for social media and publicity campaign from 7-9 January 2015.
2. **Treasures of National Archives of India:** On the occasion of 125th Foundation Day of National Archives of India, an exhibition entitled **Treasures of National Archives of India** was organized in New Delhi.
3. **Launch of logo:** The logo for 125th Anniversary Celebrations of National Archives of India was launched by Dr. Mahesh Sharma, Hon'ble Minister of Culture at a function in National Museum.
4. **Mohan to Mahatma:** An exhibition was organized on the occasion of Gandhi Jayanti on 2 October in the premises of Gandhi Smriti and Darshan Samiti, New Delhi. The exhibition was inaugurated by Dr. Mahesh Sharma, Hon'ble Minister of Culture.

21.2 Archival Awareness programme in Regional office, Bhopal:

An exhibition organized by regional office Bhopal on "Riysat-e-Shahjajani- Glimpses of the times of Shahjahan Begum with special reference to Benazeer place" was organized from 29.09.2015 for a fortnight.

21.3 Visitors

1. A group of five trainees from the National Museum Institute visited on 8 January 2015 as part of their course.
2. A group of four officers from the office of the Controller General of Patents Designs, Ministry of Commerce & Industry visited on 16 January 2015.

राष्ट्रीय अभिलेखागार

3. डॉ. महेश शर्मा, पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा नागर विमानन राज्य मंत्री ने 15 जनवरी, 2015 को दौरा किया।
4. डॉ. स्टीफन आर्नोर्ट, सहायक सचिव, संस्कृति मंत्रालय, आस्ट्रेलिया ने सुश्री हेमा सिंह रांस, प्रबंधक-संस्कृति और कार्यक्रम तथा श्री सांझा ओ मेलै, प्रथम सचिव (पब्लिक अफेयर्स) के साथ 28 जनवरी, 2015 को दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रीय अभिलेखागार के अभिलेख महानिदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकत की और अभिलेख क्षेत्र में साझा हितों पर चर्चा की।
5. डॉ. निकोलस क्रोफ्ट, सीआईडीओसी के अध्यक्ष ने 21 जनवरी, 2015 को दौरा किया तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार के अभिलेख महानिदेशक तथा वरिष्ठ अधिकारियों से सीआईडीओसी के वार्षिक सम्मेलन के आयोजन पर चर्चा की जिसे नई दिल्ली में सितम्बर, 2015 को आयोजित किया गया था।
6. श्री विक्रम दारायस्वामी, भारतीय राजदूत, ताश्कंद ने 12 फरवरी, 2015 को दौरा किया और उज्बेक की संस्थाओं जिनके पास भारतीय हितों के ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, के साथ कार्य करने के तरीकों पर बातचीत की।
7. भारत में श्रीलंका के राजदूत ने 13 फरवरी, 2015 को दौरा किया तथा साझा हितों पर चर्चा करने के लिए विभाग के अभिलेख महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बैठक की।
8. भारत में सर्बिया के राजदूत ने 13 फरवरी, 2015 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया और अभिलेख महानिदेशक से चर्चा की।
9. फिलिपीन्स दूतावास के एक प्रतिनिधिमंडल ने 13 फरवरी, 2015 को दौरा किया।
10. तमिलनाडु राज्य अभिलेखागार के आयुक्त ने 2 फरवरी, 2015 को दौरा किया।
11. आईटीबी के 50 छात्रों ने 11 फरवरी, 2015 को दौरा किया।
12. श्री अरविंद दत्त अब्दाली, डीआरजी (आईटी) बीएसएफ ने 17 फरवरी, 2015 को दौरा किया। उन्होंने कम्प्यूटरीकरण और डिजीटलीकरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय अभिलेखागार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की।
13. श्री अली अशरफ, अध्यक्ष, दिवेही भाषा अकादमी, मालदीव सरकार की अध्यक्षता में 7 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने 30 मार्च, 2015 को दौरा किया।
14. संस्कृत एमएसएस के सर्वेक्षण हेतु जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के 26 विद्यार्थियों के एक समूह ने 10 अप्रैल, 2015 को दौरा किया।
15. प्रो. ए. के. रशिद, कल्बर काउंसिलर और श्री. सैफुल्ला दिलावर, द्वितीय सचिव (मीडिया) अफगानिस्तान दूतावास ने 24 अप्रैल, 2015 को दौरा किया।

National Archives of India

3. Dr. Mahesh Sharma, Hon'ble Minister of State (IC) of Tourism & Culture and Minister of State of Civil Aviation visited on 15 January 2015.
4. Dr. Stephen Arnott, Assistant Secretary, Ministry of Culture, Australia along with Ms. Hema Singh Rance, Manager-Culture and Programs and Mr. Sandra O'Malley, First Secretary (Public Affairs) visited on 28 January 2015. They had meeting with Director General of Archives and Senior Officers of NAI and discussed on common interest in the field of archives.
5. Dr. Nicolas Croft, Chair of the CIDOC visited on 21 January 2015 and held meeting with Director General of Archives and other senior officers of and discussed on the planning of the CIDOC Annual Conference which was held in September 2015 in New Delhi.
6. Shri Vikram Doraiswami, Ambassador of India, Tashkent visited on 12 February 2015 and discussed possible ways to work with Uzbek Institutions, who have historical documents of Indian interest.
7. Ambassador, Embassy of Sri Lanka in India paid a visit on 13 February 2015 and held meeting with Director General of Archives and other senior Officers of the Department to discuss matters on common interest.
8. Ambassador, Embassy of Serbia in India paid a visit to NAI on 13 February 2015 and held meeting with Director General of Archives.
9. A delegation from the Embassy of Philippines visited on 13 February.
10. Commissioner, Tamil Nadu State Archives visited on 2 February 2015.
11. 50 students of ITB visited on 11 February 2015.
12. Shri Arvind Dutt Abdali, DIG (IT) BSF visited on 17 February 2015. He had discussion with the senior officers of NAI in the area of Computerization and Digitization.
13. A delegation of seven members headed by Mr. Ali Ashraf, President of the Dhivehi Languages Academy, Government of the Republic of Maldives visited on 30 March 2015.
14. A group of 26 students from JNU visited on 10 April 2015 to survey the Sanskrit Mss.
15. Prof. A.K.Rashid, Cultural Counselor and Mr. Safiulla Delawar, Second Secretary (Media), Embassy of Afghanistan visited on 24 April 2015.

राष्ट्रीय अभिलेखागार

16. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे केन्द्रीय तिब्बत प्रशासन के 25 उपसचिव और अवर सचिव स्तर के अधिकारियों के समूह ने अपने पाठ्यक्रम समन्वयक के साथ 7 मई, 2015 को दौरा किया।
17. दक्षिण अफ्रीका में प्रदर्शनी के संबंध में सचिव (संस्कृति) ने 30 मई, 2015 को दौरा किया।
18. श्री एम. गोंडाले, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय ने 30 मई, 2015 को दौरा किया।
19. सचिवीय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान के 47 प्रशिक्षणार्थियों के एक समूह ने अपने पाठ्यक्रम के भाग के रूप में 22 और 23 मई, 2015 को दौरा किया।
20. विधि और न्याय मंत्रालय के 6 प्रशिक्षणार्थियों के एक समूह ने 5 मई, 2015 को दौरा किया।
21. 45 प्रतिभागियों के एक समूह ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के लिपिकीय प्रशिक्षण पीठ के स्टॉफ सदस्यों के साथ 25 जून, 2015 को दौरा किया।
22. बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों के एक समूह ने सचिवीय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान के स्टॉफ सदस्यों के साथ 30 जून, 2015 को दौरा किया।
23. शासकीय विधि महाविद्यालय, त्रिचिलापल्ली के 47 प्रशिक्षणार्थियों ने 16 जून, 2015 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया।
24. आईएसटीएम के 23 प्रशिक्षणार्थियों के एक समूह ने स्टॉफ सदस्यों के साथ 24 जून, 2015 को दौरा किया।
25. ओमान के राजदूत हमिद सैफ अल रवाही ने 20 जून, 2015 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रीय अभिलेखागार के अभिलेख महानिदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और साझा हितों पर चर्चा की।
26. अपने पाठ्यक्रम के भाग के रूप में आईएसटीएम के 87 प्रशिक्षणार्थियों के एक समूह ने 1 जुलाई 2015 को, 58 प्रशिक्षणार्थियों ने 2 जुलाई, 2015 को, 86 प्रशिक्षणार्थियों ने 3 जुलाई, 2015 को, 96 प्रशिक्षणार्थियों ने 16 जुलाई, 2015 को, 95 प्रशिक्षणार्थियों ने 23 जुलाई, 2015 को, 48 प्रशिक्षणार्थियों ने 30 जुलाई, 2015 को, 257 प्रशिक्षणार्थियों ने 27, 28, 29 और 31 जुलाई, 2015 को दौरा किया।
27. सचिव, संस्कृति मंत्रालय ने 7 जुलाई, 2015 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। राष्ट्रीय अभिलेखागार के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें विभाग का भ्रमण कराया।
28. श्री दुसन वुकी, डिप्टी चीफ ऑफ मिशन, सर्बिया गणराज्य का दूतावास, नई दिल्ली ने 27 जुलाई, 2015 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया तथा साझा हितों पर बातचीत के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया गया और अवलोकन तथा सूचना हेतु प्रस्तुत किया गया।

National Archives of India

16. A group of 25 Deputy Secretaries and Under Secretaries from the Central Tibetan Administration officials undergoing training at Indian Institute of Public Administration along with their course coordinator visited on 7 May 2015.
17. Secretary (Culture) visited on 30 May 2015 in connection with an exhibition in South Africa.
18. Mr. M. Gondane, Joint Secretary, Ministry External Affairs visited on 30 May 2015.
19. A group of 47 trainees from Institute of Secretariat Training and Management visited on 22 and 23 May 2015 as part of their course.
20. A group of six trainees from the Ministry of Law and Justice visited on 5 May 2015.
21. A group of 45 participants along with the staff members of the Clerical Training School of Indo Tibetan Border Police Force on 25 June 2015.
22. A group of trainees of the Foundation Training Programme along with the staff members of the Institute of Secretariat Training and Management on 30 June 2015.
23. A group of 47 trainees from the Government Law College, Trichilapalli visited the National Archives of India on 16 June 2015.
24. A group of 23 trainees of the ISTM along with the staff members visited on 24 June 2015.
25. H.E. Hamed Saif Al Rawahi, Ambassador of Oman visited NAI on 20 June 2015. He held meeting with Director General of Archives and senior Officers of NAI and discussed matters on common interest.
26. A group of 87 trainees from ISTM visited on 1 July 2015, 58 trainees on 2 July 2015, 86 trainees on 3 July 2015, 96 trainees on 16 July 2015, 95 trainees on 23 July 2015, 48 trainees on 30 July 2015, 257 trainees on 27, 28, 29 and 31 July 2015 as part of their course.
27. Secretary, Ministry of Culture visited NAI on 7 July 2015. Sr. officers of NAI shown him round the Department
28. Mr. Dusan Vukic, Deputy Chief of Mission, Embassy of Republic of Serbia, New Delhi visited NAI on 27 July 2015 and held meeting with the senior officers of NAI to discuss matters on common interest. Prepared minutes of the meeting and submitted for perusal and information.

राष्ट्रीय अभिलेखागार

29. हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के 70 प्रशिक्षणार्थियों के एक समूह ने अपने पाठ्यक्रम के भाग के रूप में 30 जुलाई, 2015 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। दौरे के दौरान लिए गए फोटोग्राफ को राष्ट्रीय अभिलेखागार के फेसबुक पर अपलोड किया गया।
30. लिपिकीय प्रशिक्षण विद्यालय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, हरियाणा के 50 प्रशिक्षणार्थियों के एक समूह ने 6 अगस्त, 2015 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया।
31. विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली के विधान मसौदा लेखन और अनुसंधान संस्थान के 14 प्रशिक्षणार्थियों के एक समूह ने 31 अगस्त, 2015 को दौरा किया।
32. 2013 बैच के आईएएस अधिकारियों ने 9 अक्टूबर, 2015 को दौरा किया।
33. अरोमा पब्लिक स्कूल, दिल्ली के 60 छात्रों ने 15 और 16 अक्टूबर, 2015 को दौरा किया।
34. श्री सलिम रायर, असिस्टेंट कम्यूनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरिज, श्री फ्रांकोस वेंडेविले, भारत में इंस्टिट्यूट फ्रांकेस के निदेशक तथा डा. निकोला आइडर, भारत में इंस्टिट्यूट फ्रांकेस में बुक अताशे ने 6 अक्टूबर, 2015 में दौरा किया तथा ब्रूनो रेसिन, अध्यक्ष, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फ्रांस के 26 अक्टूबर, 2015 को राष्ट्रीय अभिलेखागार के दौरे के संबंध में अभिलेख महानिदेशक से बैठक की।
35. राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के 4 सदस्यीय संयुक्त सचिव स्तर के एक प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया।
36. श्री ब्रूनो रेसिन, अध्यक्ष, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फ्रांस की अध्यक्षता में सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 26 अक्टूबर, 2015 को दौरा किया तथा विभाग के अभिलेख महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और साझा हितों पर चर्चा की। बैठक के पश्चात् श्री ब्रूनो रेसिन ने राष्ट्रीय अभिलेखागार के सम्मेलन कक्ष में "सांस्कृतिक विरासत के डिजिटलीकरण" पर व्याख्यान दिया।
37. सचिवीय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान के 50 प्रशिक्षणार्थियों के एक समूह ने 28 अक्टूबर, 2015 को दौरा किया।
38. अब्दुल खालिक मदरासी, दारुल-उलूम, देवबंद, उत्तर प्रदेश के उपकुलपति ने 29, अक्टूबर, 2015 को राष्ट्रीय अभिलेखागार का दौरा किया। उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्हें विभाग का भ्रमण कराया गया।
39. सचिवीय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान के 189 प्रशिक्षणार्थियों ने 17, 18 और 19 नवम्बर, 2015 को दौरा किया।
40. सर्वोदय केंद्र विद्यालय के 170 छात्रों ने अपने 4 शिक्षकों के साथ 3 नवम्बर, 2015 को दौरा किया।

29. A group of 70 trainees from Haryana Institute of Public Administration, Gurgaon visited NAI on 30 July 2015 as part of their course. Photographs shot during the visit were uploaded on NAI face book.
30. A group of 50 trainees of the Clerical Training School, Indo-Tibetan Border Police Force, Haryana visited NAI on 6 August 2015.
31. A group of 14 trainees of the Institute of Legislative Drafting & Research of Legislative Department, Ministry of Law & Justice, New Delhi visited on 31 August 2015.
32. Four IAS officers of 2013 batch visited on 9 October 2015.
33. 60 students of Aroma Public School, Delhi visited on 15 and 16 October 2015
34. Mr. Salim Rawther, Assistant Communication and Development of Libraries, Mr. François Vandeville, Director of the Institut Français in India and Dr. Nicola Idier, Book Attaché of Institute Français in India, Embassy of France in India visited on 6th October 2015 and held meeting with DGA in connection with the visit of Mr. Bruno Racine, President of the National Library of France to NAI on 26 October 2015.
35. A delegation of Joint Secretary Level, comprising 4 members from the National Defence College, Ministry of Defence, New Delhi visited on 14 October 2015.
36. A delegation of members headed by Mr. Bruno Racine, President of the National Library of France visited on 26 October 2015 and held meeting with Director General of Archives and other Sr. officers of the Department and discussed matters on common interest. After the meeting, Mr. Bruno Racine delivered a lecture on "Digitization of Cultural Heritage" at the Conference Hall of NAI.
37. A group of 50 trainees from Institute of Secretariat Training and Management on 28 October 2015.
38. A delegation comprising seven members headed by Addul Khaliq Madrasi, Deputy Vice-Chancellor from the Darul-Ulloom, Deoband, UP visited NAI on 29 October 2015. They held meeting with the senior Officers of the Department and shown them round the Department.
39. 189 trainees of Institute of Secretariat Training and Management visited on 17, 18 and 19 November 2015.
40. 170 students from Sarvodya Kendra Vidhyalaya along with 4 teachers visited on 3 November 2015.

राष्ट्रीय अभिलेखागार

41. कलकत्ता विश्वविद्यालय के 50 छात्रों ने 26 नवम्बर, 2015 को दौरा किया।
42. ईरान से 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 30 नवम्बर, 2015 को दौरा किया।
43. सचिवीय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान के 50 प्रशिक्षणार्थियों ने 7 और 9 दिसम्बर, 2015 को दौरा किया।
44. यूनेस्को पीठ समन्वयक, कजाकिस्तान ने 9 दिसम्बर, 2015 को दौरा किया और अभिलेख महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
45. दिल्ली पब्लिक स्कूल, द्वारका के 120 छात्रों ने 10 दिसम्बर, 2015 को दौरा किया।
46. भारत तिब्बत पुलिस बले के 50 प्रशिक्षणार्थियों ने 22 दिसम्बर, 2015 को दौरा किया।

21.4 अनुसंधान कक्ष

1.	2015 में अनुसंधान कक्ष में पधारे अध्येताओं की कुल संख्या	4996
2.	नामित अध्येताओं की कुल संख्या	1154
	(i) भारतीय अध्येता	1004
	(ii) विदेशी अध्येता	150
3.	अध्येताओं द्वारा मांगे गए अभिलेखों की कुल संख्या	59650

अपनी अभिरक्षा में स्थित अभिलेखों और अन्य सामग्री की देखभाल और संरक्षण राष्ट्रीय अभिलेखागार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अपनी अभिरक्षा के लोक अभिलेखों, पुस्तकों और पांडुलिपियों के संरक्षण/परिरक्षण से संबंधित कार्य को महत्वपूर्ण सरोकार का मामला समझा गया और 2010 में शुरू की गई दो परियोजनाओं को वर्ष 2015 में जारी रखा गया। इन दो परियोजनाओं की प्रगति नीचे दी गई है :

1. राष्ट्रीय अभिलेखागार (परि-1 अनुभाग) के लोक अभिलेखों के संरक्षण और परिरक्षण की परियोजना :
 - क. मरम्मत और लैमिनेशन किया गया – 231528 शीट्स
 - ख. सिलाई और बाइंडिंग की गई – 781 खंड और 1247 दस्तावेज
2. पुस्तकालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार (परि-2 अनुभाग) के दुर्लभ पुस्तकों की मरम्मत और बाइंडिंग की परियोजना :
 - क. मरम्मत और लैमिनेशन किया गया – 224575 शीट्स
 - ख. सिलाई और बाइंडिंग की गई – 539 खंड

41. 50 students from University of Calcutta visited on 26 November 2015.
42. A delegation comprising 5 members from the Iran visited on 30 November 2015.
43. 95 trainees of Institute of Secretariat Training and Management visited on 7 and 9 December 2015.
44. UNESCO Chair Coordinator, Kazakhstan visited on 9 December 2015 and held meeting with Director General of Archives and other senior Officers.
45. 120 Students of Delhi Public School Dwarka visited on 10 December 2015.
46. 50 trainees of Indo Tibetan Border Police visited on 22 December 2015.

21.4 Research Room:

1.	Total number of Scholars visited the Research Room in 2015	49962
2.	Total number Research Scholars enrolled	1154
	(i) Indian Research Scholars enrolled	1004
	(ii) Total number of Foreign Research Scholars enrolled	1503
3.	Total no. records requisitioned by the scholar's	59650

Care and Conservation of records and other holdings in its custody is one of the primary responsibilities of the National Archives of India. The work related to conservation/preservation of public records, books and manuscripts in its custody was identified to be matter of critical concern and two projects started 2010 continued the year 2015. The progress of these two projects are as under:

1. Project of Conservation and Preservation of Public Records of NAI (Pr-1 Section):-
 - a. Repaired and laminated – 231528 sheets
 - b. Stitched and bound – 781 volumes & 1247 documents
2. Project of Repair and Binding of Rare Books of Library, NAI (Pr-2 Section)
 - a. Repaired and laminated – 224575 sheets
 - b. Stitched and bound – 539 volumes

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन संबंधी अभिलेख महानिदेशक की 18वीं रिपोर्ट के संकलन हेतु सूचना देने वाली अभिलेख सृजक एजेंसियों की सूची

क. मंत्रालय/विभाग/अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालय

1. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
2. गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
3. विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
4. रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली
5. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली
6. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली
7. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली
8. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली
9. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
10. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली
11. खान मंत्रालय, नई दिल्ली
12. नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली
13. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली
14. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
15. महिला और बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
16. नौवहन मंत्रालय, नई दिल्ली
17. भारत के उपराष्ट्रपति का सचिवालय, नई दिल्ली
18. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली
19. इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली

**List of Records Creating Agencies that have provided information for compiling
the 18th Report of the Director General of Archives on the Implementation of the
Public Records Act, 1993**

A. Ministries/ Departments/ Subordinate/Attached Offices

1. Prime Minister's Office; New Delhi
2. Ministry of Home Affairs New Delhi
3. Ministry of External Affairs, New Delhi
4. Ministry of Defence, New Delhi
5. Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, New Delhi
6. Ministry of Commerce & Industry, New Delhi
7. Ministry of Communications & Information Technology, New Delhi
8. Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi
9. Ministry of Human Resource and Development, New Delhi
10. Ministry of Labour & Employment, New Delhi
11. Ministry of Mines, New Delhi
12. Ministry of New & Renewable Energy, New Delhi
13. Ministry of Road Transport & Highways, New Delhi
14. Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, New Delhi
15. Ministry of Woman and Child Development, New Delhi
16. Ministry of Shipping, New Delhi
17. Secretariat of the Vice- President of India, New Delhi
18. Ministry of Information & Broadcasting New Delhi
19. Ministry of Steel, New Delhi

राष्ट्रीय अभिलेखागार

20. भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय, नागपुर
21. केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड, केरल
22. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली
23. अंडमान और निकोबार प्रशासन, सचिवालय, पोर्ट ब्लेयर
24. पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर
25. केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली
26. पत्तन प्रबंधन, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर
27. ऊपरी यमुना नदी बोर्ड, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
28. पशुपालन और मात्सिकी विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़
29. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली
30. भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर
31. भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर
32. भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची
33. सचिव का कार्यालय, बेतवा नदी बोर्ड, झांसी
34. प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (एसआर), उच्चतर शिक्षा विभाग, चेन्नई
35. महानिदेशक, सीआरपीएफ, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
36. केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, उच्चतर शिक्षा विभाग, मैसूर
37. व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कोलकाता
38. केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली
39. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
40. केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान स्टेशन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
41. ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़
42. क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़
43. राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान, नई दिल्ली
44. नौवहन सेवा निदेशालय अंडमान और निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर

20. Indian Bureau of Mines, Ministry of Mines, Nagpur
21. Central Plantation Crops Research Institute, Kasaragod, Kerala
22. Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce & Industry, New Delhi
23. Andaman & Nicobar Administration, Secretariat, Port Blair
24. Office of the Director General of Police, Andaman & Nicobar Islands, Port Blair
25. Kendriya Sainik Board, Ministry of Defence, New Delhi
26. Port Management, Andaman & Nicobar Islands, Port Blair
27. Upper Yamuna River Board, Ministry of Water Resource, River Development & Ganga Rejuvenation, New Delhi
28. Department of Animal Husbandry & Fisheries, Chandigarh Administration, Chandigarh
29. Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry, New Delhi
30. Indian Institute of Management, Raipur
31. Indian Institute of Management, Indore
32. Indian Institute of Management, Ranchi
33. Office of the Secretary, Betwa River Board, Jhansi
34. Board of Apprenticeship Training (SR), Department of Higher Education, Chennai
35. Directorate General, CRPF, Ministry of Home Affairs, New Delhi
36. Central Institutes of Indian Languages, Department of Higher Education, Mysore
37. Board of Practical Training (Eastern Region), Ministry of Human Resource Development, Kolkata
38. Central Water Commission, New Delhi
39. Ministry of Water Resources River Development & Ganga Development, New Delhi
40. Central Soil & Materials Research Station, Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, New Delhi
41. Rural Development and Panchayats Department, U.T. Chandigarh
42. Regional Employment Exchange U.T., Chandigarh
43. National Foundation for Communal Harmony, New Delhi
44. Directorate of Shipping Service, Andaman and Nicobar Administration, Port Blair

राष्ट्रीय अभिलेखागार

45. भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ (आईआरएमआरए), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठाणे
46. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मुंबई
47. प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, उच्चतर शिक्षा विभाग, कानपुर
48. जलवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास और डिजाइन केन्द्र, खान मंत्रालय, नागपुर
49. राष्ट्रीय बाल भवन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
50. आयोजना और स्थापत्य कला विद्यालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विजयवाड़ा
51. जिला उद्योग केन्द्र, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पोर्ट ब्लेयर
52. क्षेत्रीय कार्यालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, चेन्नई
53. नमक आयुक्त का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जयपुर
54. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कुरुक्षेत्र
55. वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना (धातु) मुरादनगर
56. केन्द्रीय संगठन ईसीएचएस एडज्युस्टेड जनरल शाखा, रक्षा मंत्रालय (सेना) का मुख्यालय, नई दिल्ली
57. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, हमिरपुर, हिमाचल प्रदेश
58. राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान, खान मंत्रालय, नागपुर
59. राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भोपाल
60. क्षेत्रीय कार्यालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, बेंगलूर
61. सांख्यिकी प्रकोष्ठ, चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़
62. उद्योग निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन, अंडमान और निकोबार, पोर्ट ब्लेयर
63. पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, गृह मंत्रालय, मेघालय
64. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
65. महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, प्रशासन डीटीई : समन्वय अनुभाग, नई दिल्ली
66. पुलिस समन्वय अनुभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
67. महापंजीयक का कार्यालय, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
68. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली
69. केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड

National Archives of India

45. Indian Rubber Manufactures Association (IRMRA) , Ministry of Commerce and Industry, Thane
46. Central Board of Film Certification, Ministry of Information & Broadcasting, Mumbai
47. Board of Apprenticeship Training, Department of Higher Education, Kanpur
48. Jawaharlal Nehru Aluminum Research Development and Design Centre, Ministry of Mines, Nagpur
49. National Bal Bhavan, Ministry of Human Resource Development, New Delhi
50. School of Planning and Architecture, Ministry of Human Resource Development, Vijayavada
51. District Industry Centre, Andaman and Nicobar Island, Port Blair
52. Regional Office , Ministry of Road Transport and Highways, Chennai
53. Office of the Salt Commissioner, Ministry of Commerce & Industry; Jaipur
54. National Institute of Technology, Ministry of Human Resource Development, Kurukhetra
55. Senior Quality Assurance Establishment (Metala) Muradnagar
56. Central Organisation ECHS Adjutant General's Branch, IHQ of MOD (Army) New Delhi
57. National Institute of Technology, Ministry of Human Resource Development, Hamirpur, Himachal Pradesh
58. National Institute of Miners Health, Ministry of Mines, Nagpur
59. National Institute of Technical Teacher's Training and Research, Ministry of Human Resource Development, Bhopal
60. Regional Office, Ministry of Road Transport & Highways, Bangalore
61. Statistical Cell, Chandigarh Administration, Chandigarh
62. Directorate of Industries, Andaman & Nicobar Administration, Andaman & Nicobar, Port Blair
63. North Eastern Police Academy, Ministry of Home Affairs, Meghalaya
64. Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, New Delhi
65. Directorate General, Border Security Force, Administration DTE: Coordination Section, New Delhi
66. Police Coordination Section, Ministry of Home Affairs, New Delhi
67. Office of the Registrar General, India, Ministry of Home Affairs, New Delhi
68. National Book Trust India, New Delhi
69. Central University of Kerala, Kasaragod

राष्ट्रीय अभिलेखागार

70. दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना
71. पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा
72. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली
73. रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय, लुधियाना
74. उपमुख्य श्रम आयुक्त का कार्यालय (केन्द्रीय), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कोचिन
75. केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
76. महानिदेशक, विकलांगों हेतु रोजगार, व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र, मुंबई
77. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली
78. पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी, उज्जैन
79. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, गोवा
80. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, हैदराबाद
81. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मंगलौर
82. कर्मचारी भविष्य निधि, अहमदाबाद
83. कर्मचारी भविष्य निधि, उदयपुर
84. खान-2 अनुभाग, खान मंत्रालय नई दिल्ली
85. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय (आंतरिक कार्य अध्ययन एकक), नई दिल्ली
86. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय, रीवा, मध्य प्रदेश
87. प्रशुल्क आयोग, नई दिल्ली
88. पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन, एमसीआई, नागपुर
89. वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना (जीएस), रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली
90. अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर
91. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
92. स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
93. राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुंबई

70. Central University of South Bihar, Patna
71. Central University of Punjab, Bathinda
72. National Institute of Technology, New Delhi
73. Employment and Training Directorate, Ludhiana
74. Office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Ministry of Labour & Employment, Cochin
75. Central Board for Workers Education, Nagpur
76. Directorate General of Employment, Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Mumbai
77. Employees Provident Fund Organisation, New Delhi
78. Pandit Dindayal Upadaya National Academy for Social Security, Ujjain
79. Employees Provident Fund Organisation, Goa
80. Employees provident Fund Organisation, Hyderabad
81. Employees provident Fund Organisation, Mangalore
82. Employees provident Fund Organisation, Ahemedabad
83. Employees provident Fund Organisation, Udaipur
84. Mines –II Section, Ministry of Mines, New Delhi
85. Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation (Internal Work Study Unit), New Delhi
86. Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Riva Madhya Pradesh
87. Tariff Commission, New Delhi.
88. Petroleum and Explosives Safety Organisation, M.C.I. Nagpur
89. Senior Quality Assurance Establishment (GS), Ministry of Defence, New Delhi
90. Office of the Additional Director, Central Govt. Health Scheme, Jabalpur
91. National Institute of Disaster Management, Ministry of Home Affairs, New Delhi
92. Freedom Fighter Division Ministry of Home Affairs, New Delhi
93. National Institute of Industrial Engineering, Mumbai

94. अभिलेख प्रकोष्ठ, सीजीओ काम्पलेक्स, खान मंत्रालय, नई दिल्ली
95. अंडमान और निकोबार अभिलेखागार, पोर्ट ब्लेयर

ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1. नेशनल हायड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद
2. भारतीय जनजातीय विपणन विकास संघ लिमिटेड, नई दिल्ली
3. भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद
4. कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुंबई
5. नालको (खान मंत्रालय), भुवनेश्वर
6. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्कोदगामा, गोवा
7. चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई
8. खनिज अन्वेषण कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली

94. Record –Cell, CGO, Complex Ministry of Mines, New Delhi
95. Adaman & Nicrobar Archives, Port Blair

B. Public Sector Undertakings

1. National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad
2. Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, New Delhi
3. Bharat Dynamics Limited, Hyderabad
4. Cotton Corporation of India, Ltd., Navi Mumbai
5. NALCO (Ministry of Mines), Bhubaneswar
6. Goa Shipyard Limited, Vasco-Da-Gama, Goa
7. Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai
8. Mineral Exploration Corporation Limited, New Delhi

अर्ध-प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, पुनरीक्षण तथा विनष्टीकरण करने संबंधी जून और दिसम्बर को समाप्त छमाही की विवरणियां प्रस्तुत करने वाली अभिलेख सृजक एजेंसियों की सूची (प्रपत्र 7, लोक अभिलेख नियमावली, 1997)

क्रम संख्या	अभिलेख सृजक एजेंसी का नाम	प्राप्त किए गए छमाही विवरणों की संख्या
क.	मंत्रालय/विभाग/अधीनस्थ कार्यालय आदि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	
	1. कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली	01
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	
	1. वाणिज्य विभाग (अभिलेख प्रकोष्ठ), नई दिल्ली	01
	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
	1. दूरसंचार विभाग, हैदराबाद	01
	रक्षा मंत्रालय	
	1. डी (ओएंडएम/पीजी)	01
	2. केन्द्रीय संगठन ईसीएचएस, नई दिल्ली	01
	3. केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय	01
	विदेश मंत्रालय	
	1. एएंडआरएम प्रभाग, नई दिल्ली	01
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	
	1. अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर	

ANNEXURE-II

**List of Records Creating Agencies that have submitted Half Yearly Return in June
& December on Recoding, Reviewing, Indexing and Weeding of Semi Current
Records (From 7, Public Rules, 1997)**

S. No	Name of the Records Creating Agencies	No. of Half Yearly Returns received
A.	Ministries/ Departments / Subordinate Offices, etc.	
	Ministry of Agriculture & Farmers Welfare	
	1. Department of Agriculture Cooperation & Farmers Welfare, New Delhi	01
	Ministry of Commerce & Industry	
	1. Department of Commerce (Record Cell), New Delhi	01
	Ministry of Communications & Information Technology	
	1. Department of Telecommunications, Hyderabad	02
	Ministry of Defence	
	1. D (O&M/PG)	01
	2. Central Origination ECHS, New Delhi	01
	3. Kindriya Sainik Board Secretariat	01
	Ministry of External Affairs	
	1. A&RM Division, New Delhi	01
	Ministry of Health & Family Welfare	
	1. Office of the Additional Director Central Govt. Health Scheme, Jabalpur	01

राष्ट्रीय अभिलेखागार

क्रम संख्या	अभिलेख सृजक एजेंसी का नाम	प्राप्त किए गए छमाही विवरणों की संख्या
	गृह मंत्रालय	
1.	महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल प्रशासन डीटीई : समन्वय अनुभाग, नई दिल्ली	01
2.	पुलिस समन्वय अनुभाग, नई दिल्ली	01
3.	महापंजीयक का कार्यालय, नई दिल्ली	01
4.	समन्वय प्रभाग, नई दिल्ली	01
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	
1.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली	01
2.	व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता	01
3.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड	01
4.	दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय, पटना	01
5.	पंजाब विश्वविद्यालय, बठिंडा	01
6.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमिरपुर	01
7.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	01
8.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर	01
	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	
1.	रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय, लुधियाना	01
2.	उप-मुख्य श्रम आयुक्त का कार्यालय (केन्द्रीय), कोचिन	01
3.	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर	01
4.	प्रशासन-I, अभिलेख कक्ष, नई दिल्ली	01

National Archives of India

S. No	Name of the Records Creating Agencies	No. of Half Yearly Returns received
	Ministry of Home Affairs	
1.	Directorate General Border Security Force Administration DTE: Coordination Section, New Delhi	01
2.	Police Coordination Section, New Delhi	01
3.	Office of the Registrar General, New Delhi	01
4.	Coordination Division, New Delhi	01
	Ministry of Human Resource and Development	
1.	National Book Trust India, New Delhi	01
2.	Board of Practical Training (Eastern Region), Kolkata	01
3.	Central University of Kerala, Kasaragod	01
4.	Central University of South Bihar, Patna	01
5.	Central University of Punjab, Bathinda	01
6.	National Institute of Technology, Hamirpur	01
7.	National Institute of Technology, Delhi	01
8.	Board of Apprenticeship Training, Kanpur	01
	Ministry of Labour & Employment	
1.	Employment and Training Directorate, Ludhiana	01
2.	Office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Cochin	01
3.	Central Board for Workers Education, Nagpur	01
4.	Admin-1 Record Room, New Delhi	01

क्रम संख्या	अभिलेख सृजक एजेंसी का नाम	प्राप्त किए गए छमाही विवरणों की संख्या
	5. महानिदेशालय, विकलांग हेतु रोजगार, व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, मुंबई	01
	6. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली	01
	7. पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी, उज्जैन	01
	8. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, गोवा	01
	9. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, हैदराबाद	01
	10. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मंगलौर	01
	11. कर्मचारी भविष्य निधि, संगठन, अहमदाबाद	01
	12. कर्मचारी भविष्य निधि, संगठन, उदयपुर	01
	13. कर्मचारी भविष्य निधि, संगठन, बेंगलौर	01
	खान मंत्रालय	
	1. भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर	01
	2. अभिलेख प्रकोष्ठ, नई दिल्ली	01
	3. खान-II अनुभाग, नई दिल्ली	01
	नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय	
	1. नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली	01
	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	
	1. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (ओएंडएम अनुभाग), नई दिल्ली	01

National Archives of India

S. No	Name of the Records Creating Agencies	No. of Half Yearly Returns received
	5. Directorate General of Employment Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Mumbai	01
	6. Employees Provident Fund Organisation, New Delhi	01
	7. Pandit Dindayal Upadaya National Academy for Social Security, Ujjain	02
	8. Employees Provident Fund Organisation, Goa	01
	9. Employees Provident Fund Organisation, Hyderabad	01
	10. Employees Provident Fund Organisation, Mangalore	01
	11. Employees Provident Fund Organisation, Ahmedabad	01
	12. Employees Provident Fund Organisation, Udaipur	01
	13. Employees Provident Fund Organisation, Bengaluru	01
	Ministry of Mines	
	1. Indian Bureau of Mines, Nagpur	01
	2. Record Cell, New Delhi	01
	3. Mines -II Section, New Delhi	01
	Ministry of New & Renewable Energy	
	1. Ministry of New & Renewable Energy, New Delhi	01
	Ministry of Road Transport & Highways	
	1. Ministry of Road Transport & Highways (O&M Section), New Delhi	01

क्रम संख्या	अभिलेख सृजक एजेंसी का नाम	प्राप्त किए गए छमाही विवरणों की संख्या
	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय	
	1. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास (आंतरिक कार्य अध्ययन एकक)	01
	2. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास भर्ती, नई दिल्ली	01
	3. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास भर्ती, (ओएंडएम अनुभाग)	02
	4. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास भर्ती, रीवा, मध्य प्रदेश	01
	महिला और बाल विकास मंत्रालय	
	1. महिला और बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली	01
	संघ राज्य क्षेत्र	
	अंडमान और निकोबार अभिलेखागार, पोर्ट ब्लेयर	01
ख.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कारपोरेशन	
	1. खनिज अन्वेषण कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली	01
	2. नेशनल हायड्रोलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद	02
	3. चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई	01
	4. कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुंबई	01
	5. भारतीय जनजातीय विपणन विकास संघ लिमिटेड, नई दिल्ली	01

National Archives of India

S. No	Name of the Records Creating Agencies	No. of Half Yearly Returns received
	Ministry of Water Resources River Development and Ganga Rejuvenation	
	1. Water Resources River Development and Ganga Rejuvenation (Internal Work Study Unit)	01
	2. Water Resources River Development and Ganga Rejuvenation Recruitment, New Delhi	01
	3. Water Resources River Development and Ganga Rejuvenation Recruitment (O&M Division)	02
	4. Water Resources River Development and Ganga Rejuvenation Recruitment, Riva, Madhya Pradesh	01
	Ministry of Woman and Child Development	
	1. Ministry of Woman and Child Development, New Delhi	01
	Union Territory	
	Andaman & Nicobar Archives, Port Blair	01
B.	Public Sector Undertakings /Corporations:	
	1. Mineral Exploration Corporation Limited, New Delhi	02
	2. National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad	02
	3. Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai	01
	4. Cotton Corporation of India Limited, Navi Mumbai	01
	5. Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, New Delhi	01

वर्गीकृत फाइलों के विवर्गीकरण के संबंध में जून और दिसम्बर को समाप्त छमाही की विवरणियां प्रस्तुत करने वाली अभिलेख सृजक एजेंसियों की सूची

क्रम संख्या	अभिलेख सृजक एजेंसियों का नाम	प्राप्त की गई छमाही विवरणियों की संख्या
	क. मंत्रालय/विभाग/अधीनस्थ कार्यालय आदि	
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	
	1. प्रशुल्क आयोग, नई दिल्ली	01
	2. पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन, नागपुर	01
	संचार और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
	1. दूरसंचार विभाग, हैदराबाद	01
	रक्षा मंत्रालय	
	1. डी (ओएंडएम/पीजी), नई दिल्ली	02
	2. वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना (जीएस) नई दिल्ली	01
	3. वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना (धातु), मुरादनगर	01
	4. केन्द्रीय संगठन ईसीएचएस, नई दिल्ली	01
	विदेश मंत्रालय	
	1. एएंडआरएम प्रभाग, नई दिल्ली	01
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	
	1. अपर निदेशक का कार्यालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर	01

ANNEXURE-III

**List of Records Creating Agencies that have submitted Half Yearly Return in
June & December on downgrading of classified files (From 4, Public Rules, 1997)**

S.No	Name of the Records Creating Agencies	No. of Half Yearly Returns received
A. Ministries/ Departments / Subordinate Offices, etc.		
Ministry of Commerce & Industry		
1.	Tariff Commission, New Delhi	01
2.	Petroleum and Explosives Safety Organisation, Nagpur	01
Ministry of Communication and Information Technology		
1.	Department of Telecommunications, Hyderabad	01
Ministry of Defence		
1.	D (O&M/PG), New Delhi	02
2.	Senior Quality Assurance Establishment (GS), New Delhi	01
3.	Senior Quality Assurance Establishment (Metals), Muradnagar	01
4.	Central Organisation ECHS, New Delhi	01
Ministry of External Affairs		
1.	A&RM Division, New Delhi	01
Ministry of Health & Family Welfare		
1.	Office of the Additional Director Central Govt. Health Scheme, Jabalpur	01

राष्ट्रीय अभिलेखागार

क्रम संख्या	अभिलेख सृजक एजेंसियों का नाम	प्राप्त की गई छमाही विवरणियों की संख्या
	गृह मंत्रालय	
	1. महानिदेशक का कार्यालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली	01
	2. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली	01
	3. पुलिस समन्वय अनुभाग, नई दिल्ली	01
	4. एफएफआर प्रभाग, नई दिल्ली	01
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	
	1. राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुंबई	01
	2. पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा	01
	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	
	1. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई	01
	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	
	1. उप-मुख्य श्रम आयुक्त का कार्यालय (केन्द्रीय), कोचिन	01
	खान मंत्रालय	
	1. अभिलेख प्रकोष्ठ, नई दिल्ली	01
	2. जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास और डिजाइन केन्द्र, नागपुर	01
	नौवहन मंत्रालय	
	1. मुख्य इंजीनियर और प्रशासक का कार्यालय, पोर्ट ब्लेयर	01

National Archives of India

S.No	Name of the Records Creating Agencies	No. of Half Yearly Returns received
	Ministry of Home Affairs	
1.	Office of the Directorate General Central Reserve Police Force, New Delhi	01
2.	National Institute of Disaster Management, New Delhi	01
3.	Police Coordination Section, New Delhi	01
4.	FFR Division, New Delhi	01
	Ministry of Human Resource and Development	
1.	National Institute of Industrial Engineering, Mumbai	01
2.	Central University of Punjab, Bathinda	01
	Ministry of Information & Broadcasting	
1.	Central Board Film Certification, Mumbai	01
	Ministry of Labour & Employment	
1.	Office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Cochin	01
	Ministry of Mines	
1.	Record -Cell, New Delhi	01
2.	Jawaharlal Nehru Aluminum Research Development and Design Centre, Nagpur	01
	Ministry of Shipping	
1.	Office of the Chief Engineer & Administrator, Port Blair	01

क्रम संख्या	अभिलेख सृजक एजेंसियों का नाम	प्राप्त की गई छमाही विवरणियों की संख्या
	उप-राष्ट्रपति सचिवालय	
	1. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली	01
	जल संसाधन, नई विकास और गंगा विकास मंत्रालय	
	1. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास (ओएंडएम एकक)	01
	2. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास (आंतरिक कार्य और अध्ययन एकक)	01
ख.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कारपोरेशन	
	1. नेशनल हायड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद	01
	2. खनिज अन्वेषण कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली	01
	3. भारतीय जनजातीय विपणन विकास और अनुसंधान संघ लिमिटेड, नई दिल्ली	01
	4. कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुंबई	01
	5. चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई	01

National Archives of India

S.No	Name of the Records Creating Agencies	No. of Half Yearly Returns received
	Vice- President Secretariat	
1.	Vice- President Secretariat, New Delhi	01
	Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	
1.	Water Resources River Development and Ganga Rejuvenation (O&M Unit)	01
2.	Water Resources River Development and Ganga Rejuvenation (Internal Works and Study Unit)	01
	B. Public Sector Undertakings /Corporations:	
1.	National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad	01
2.	Mineral Exploration Corporation Limited, New Delhi	02
3.	Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, New Delhi	01
4.	Cotton Corporation of India Limited, Navi Mumbai	01
5.	Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai	01

वर्ष 2015 में अभिलेख प्रबंधन का तीन दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले अभिलेख अधिकारियों के नाम

क. राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र भुवनेश्वर में 07-09 जनवरी, 2015 को संपन्न अभिलेख प्रबंधन में 124वां अभिविन्यास पाठ्यक्रम

क्रम संख्या	नाम एवं पदनाम	प्रायोजक संगठन का नाम
1.	श्री वी.एन.एस.एस प्रसाद, अधिकारी (डीसीएस)	गेल इंडिया लिमिटेड, गेल भवन एवीए रोड, वेंकटेश्वर मंदिर के पास पूर्व गोदावरी, राजमुंद्री-533103
2.	श्री अनुज कुमार सिंह, वरिष्ठ अधिकारी	इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड परमाणु उर्जा विभाग प्लांट नं. 1207, वीर सावरकर मार्ग, सिद्धी विनायक मंदिर के पास, प्रभादेवी, मुंबई-400028 फैक्स : 24220236
3.	श्री सुकांत कुमार साहू, अनुभाग अधिकारी	सहायक आसूचना ब्यूरो गृह मंत्रालय यूनिट-V, विद्युत मार्ग भुवनेश्वर-75100 फैक्स : 0674-2391741 / 2391370
4.	श्री देबशंकर दत्ता, कार्यालय अधीक्षक	बोर्ड ऑफ प्रौक्तिकल ट्रेनिंग (पूर्वक्षेत्र) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ब्लॉक-ईए, सेक्टर-I (लाबोनी कालोनी के सामने) साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700064 फैक्स : 033-2321-6814
5.	श्री एस. सदासिव, उप-प्रबंधक	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, गांधीग्राम विशाखापट्टनम-530005 फैक्स : 91-891-2577502
6.	टी संतोष कुमार, सहायक प्रबंधक	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, गांधीग्राम विशाखापट्टनम-530005 फैक्स : 91-891-2577502

**NAME OF RECORDS OFFICERS WHO ATTENDED THREE- DAY
ORIENTATION COURSES OF RECORDS MANAGEMENT IN 2015**

**A. 124th Orientation Course in Records Management form 07th – 09th January, 2015 held at
National Archives of India, Bhubaneswar**

S.No.	Name & Designation	Details of sponsoring Institution
1.	Shri W.N.S.S. Prasad, Officer (DCS)	Gail India Limited, Gail Bhawan, Ava Road, Near Venkateswara Temple, East Godavari Rajahmundry- 533103
2.	Shri Anuj Kumar Singh, Senior Officer	Indian Rare Earths Limited, Department of Atomic Energy, Plot No. 1207 Veer Savarkar Marg, Near Sddhi Vinayak Temple, Prabhadevi, Mumbai-400028 Fax: 24220236
3.	Shri Sukanta Kumar Sahoo, Section Officer	Subsidiary Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, Unit-V, Bidyut Marg, Bhubaneswar-75100 Fax: 0674-2391741/2391370
4.	Shri Debsankar Dutta, Office Superintendent	Board of Practical Training, (Eastern Region) Under Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Block-EA, Sector-I, (Opposite Labony Estate), Salt Lake City, Kolkate- 700064 Fax: 033-2321-6814
5.	Shri S. Sadasiva, Deputy Manger	Hindustan Shipyard Limited, Gandhigram, Visakhapatnam -530005 Fax: 91-891-2577502
6.	Shri T. Santhosh Kumar, Assistant Manager	Hindustan Shipyard Limited, Gandhigra, Visakhapatnam (A.P.)-530005 Fax: 91-891-2577502

क्रम संख्या	नाम एवं पदनाम	प्रायोजक संगठन का नाम
7.	श्री नयन दास, पुस्तकालय और सूचना सहायक	अधीक्षक पुरातत्ववेत्ता का कार्यालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण गुवाहाटी सर्किल जी.एन.बी. रोड़, अम्बारी, गुवाहाटी, असम-781001 फैक्स : 0361-2634428
8.	श्री तमल कांति बोस, कार्यालय अधीक्षक	पेटेंट कार्यालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, बौद्धिक संपदा भवन सी.पी.-2, सेक्टर-V साल्ट लेक कोलकाता-70009 फैक्स : 033-23671988
9.	डा. संगीता सुन्दर रॉय, वरिष्ठ डीएमओ	पूर्व तटीय रेलवे मुख्यालय कार्यालय, मुख्य चिकित्सा निदेशक, रेल सदन, नॉर्थ ब्लॉक (द्वितीय तल), चंद्रशेखर, भुवनेश्वर-751017
10.	श्री आर.बी. जेना, कार्यशाला कार्मिक अधिकारी	कैरेज रिपेयर वर्कशॉप रेलवे/मेकेनिकल, पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर, ओडिशा-751017
11.	श्री दुलाल चंद्र घोष, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	पर्यावरण और वन मंत्रालय, जूलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, प्राणि विज्ञान भवन एम-ब्लॉक, न्यू अलीपुर, कोलकाता-700053 फैक्स : 033-24008595
12.	श्री अमित दत्ता, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	पर्यावरण और वन मंत्रालय जूलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, प्राणि विज्ञान भवन एम-ब्लॉक, न्यू अलीपुर, कोलकाता-700053 फैक्स : 033-24008595
13.	श्री पी. हेमंतकुमार, सहायक प्रचालन प्रबंधक	प्रचालन, मंडल रेल प्रबंधक, भारतीय रेलवे संबलपुर, ओडिशा-768002

National Archives of India

S.No.	Name & Designation	Details of sponsoring Institution
7.	Shri Nayan Das, Library & Information Assistant	Office of the Superintending Archaeologist, Archaeological Survey of India, Guwahati Circle, G.N.B. Road, Ambari, Guwahati, Assam-781001 Fax: 0361-2634428
8.	Shri Tamal Kanti Bose, Office Superintendent	The Patent Office Ministry of Commerce & Industry, Department of Industrial, Policy & Promotion, Bouddhik Sampada Bhawan, CP-2, Sector-V Salt Lake Kolkata-70009 Fax: 033-23671988
9.	Dr. Sangeeta Sundar Roy, Senior D.M.O.	East Coast Railway, Head Quarters Office, Chief Medical Director Rail Sadan, North Block (2 nd Floor) Chandrasekharpur, Bhubaneswar-751017
10.	Shri R. B. Jena, Workshop Personnel Officer	Carriage Repair Workshop, Railway/ Mechanical, East Coast Railway, Bhubaneswar, Odisha-751017
11.	Shri Dulal Chandra Ghosh, Jr. Administrative Officer	Ministry of Environment and Forests, Zoological Survey of India, Prani Vigyan Bhawan, M- Block, New Alipur, Kolkata- 700053 Fax: 033-24008595
12.	Shri Amit Dutta, Jr. Administrative Officer	Ministry of Environment and Forests Zoological Survey of India, Prani Vigyan Bhawan, M- Block, New Alipur, Kolkata- 700053 Fax: 033-24008595
13.	Shri P. Hemant Kumar, Assistant Operations Manager,	Operating, Divisional Rail Manager, Indian Railway, Sambalpur, Odisha-768002

राष्ट्रीय अभिलेखागार

क्रम संख्या	नाम एवं पदनाम	प्रायोजक संगठन का नाम
14.	श्री स्वपन कुमार सिन्हा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जूट और सहबद्ध फायबर प्रौद्योगिकी, 12, रिजेंट पार्क, कोलकाता-700040 फैक्स : 033-24712583
15.	श्री बहुदी भोई, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कृषि मंत्रालय विद्याधरपुर, कटक-753006
16.	डा. डी मिश्रा, वरिष्ठ विश्लेषक	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निदेशक कार्यालय, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला 3, कायद स्ट्रीट, कोलकाता-700016
17.	श्री ए. मुथुस्वामी, वरिष्ठ प्रभागीय सामग्री प्रबंधक	प्रभागीय रेलवे प्रबंधक (पी) का कार्यालय रेलवे मंत्रालय, पूर्व तटीय रेलवे-वाल्टेयर विशाखापट्टनम-530004 फैक्स : 0891-2728832
18.	श्री सत्येश भट्टाचार्य, कार्यालय अधीक्षक	पेटेंट कार्यालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, बौद्धिक संपदा भवन, सीपी-2, सेक्टर-V, सॉल्ट लेक, कोलकाता-700091 फैक्स : 033-23671988
19.	श्री सचिंद्र कुमार पटनायक, वरिष्ठ प्रभागीय सामग्री प्रबंधक	प्रभागीय रेलवे प्रबंधक (पी) का कार्यालय, रेलवे मंत्रालय, पूर्व तटीय रेलवे पो.आ-जतनी, खुर्दा रोड प्रभाग ओडिशा-752050
20.	श्री जे. सी. पटनायक, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	भौतिकी संस्थान, परमाणु उर्जा विभाग, पो.आ-सैनिक विद्यालय भुवनेश्वर-751005
21.	श्री एम.एन. खान, उप-मुख्य अभियंता	रेल सदन, पूर्व तटीय रेलवे, रेलवे मंत्रालय, इंजीनियरिंग विभाग, पूर्व तटीय रेलवे, चंद्राशेखरपुर, भुवनेश्वर-751017

National Archives of India

S.No.	Name & Designation	Details of sponsoring Institution
14.	Shri Swapan Kumar Sinha, Assistant Administrative Officer	National Institute of Research, Indian Council of Agricultural Research, Jute & Allied Fiber Technology, 12, Regent Park, Kolkata-700040 Fax: 033-24712583
15.	Shri Bahudi Bhoi, Assistant Administrative Officer	Central Rice Research Institute, Ministry of Agriculture, Bidyadharpur, Cuttack -753006
16.	Dr. D. Mishra, Senior Analyst	Food Safety and Standards Authority of India, Ministry of Health & Family Welfare Office of the Director Central Food Laboratory, 3. Kyd Street, Kolkata-700016
17.	Shri A. Muthuswamy, Sr. Divl. Materials Manager	Office of the Divisional Railway Manager(P) Ministry of Railway, E. Co. Railway-Waltair Visakhapatnam -530004 Fax: 0891-2728832
18.	Shri Satyesh Bhattacharjya, Office Superintendent	The Patent Office, Ministry of Commerce & Industry, Department of Industrial Policy & Promotion, Bouddhik Sampada Bhawan, CP-2, Sector-V, Salt Lake, Kolkata-700091 Fax: 033-23671988
19.	Shri Sachindra Kumar Patnaik, Senior Divisional Material Manager	Office of the Divisional Railway Manager(P) Ministry of Railway, East Coast Railway, PO-Jatni, Khurda Road Division Odisha-752050
20.	Shri J.C. Patnaik Jr. Administrative Officer	Institute of Physics, Department of Atomic Energy, PO- Sainik School, Bhubaneswar-751005
21.	Shri M.N. Khan, Deputy Chief Engineer	Rail Sadan East Coast Railway, Ministry of Railway, Engineering Department, East Coast Railway Chandrasekharpur, Bhubaneswar-751017

राष्ट्रीय अभिलेखागार

क्रम संख्या	नाम एवं पदनाम	प्रायोजक संगठन का नाम
22.	श्री रामचंद्र मुदुली, प्रशासनिक अधिकारी	क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर-751023
23.	श्री बलराम सुनार, अनुभाग अधिकारी	क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर-751023
24.	श्री प्रफुल्ल कुमार मोहपात्रा, उप-सचिव	पूर्व तटीय रेलवे, रेलवे मंत्रालय सामान्य प्रशासन विभाग भुवनेश्वर-751017
25.	श्री बी. के. मिश्रा, उप-महाप्रबंधक	राऊरकेला इस्पात संयंत्र, सेल, द्वितीय तल, प्रशासनिक भवन परिसर राऊरकेला, ओडिशा-769011
26.	श्री एस. के. सेनापति, कनिष्ठ प्रबंधक	राऊरकेला इस्पात संयंत्र, सेल, द्वितीय तल, प्रशासनिक भवन परिसर राऊरकेला, ओडिशा-769011
27.	श्री पी. के. जेना, कनिष्ठ प्रबंधक	राऊरकेला इस्पात संयंत्र, सेल, द्वितीय तल, प्रशासनिक भवन परिसर राऊरकेला, ओडिशा-769011
28.	श्री प्रदीप कुमार मोहपात्रा, कनिष्ठ प्रबंधक	राऊरकेला इस्पात संयंत्र, सेल, द्वितीय तल, प्रशासनिक भवन परिसर राऊरकेला, ओडिशा-769011
29.	श्री मनीष माधव सली, सहायक प्रबंधक	मझगांव डॉक लिमिटेड डॉकयार्ड रोड, मुंबई-400010
30.	श्री अरुण मल्होत्रा, प्रबंधक	भारतीय खाद्य निगम, 885/12, जिला कार्यालय रोहतक-124001
31.	सुश्री सरोज कुमार साहू, एसएसओ	रेल सदन, पूर्व तटीय रेलवे, भुवनेश्वर-751017

National Archives of India

S.No.	Name & Designation	Details of sponsoring Institution
22.	Shri Rama Chandra Muduli Administrative Officer	Regional Medical Research Centre (Indian Council of Medical Research), Ministry of Health & Family Welfare Chandrasekharpur, Bhubaneswar-751023
23.	Shri Balaram Sutar Section Officer	Regional Medical Research Centre (Indian Council of Medical Research), Ministry of Health & Family Welfare Chandrasekharpur, Bhubaneswar-751023
24.	Shri Prafulla Kumar Mohapatra Deputy Secretary	East Coast Railway, Ministry of Railway General Administration Department, Bhubaneswar-751017
25.	Shri B.K. Mishra Deputy General Manager	Rourkela Steel Plant, SAIL, 2 nd floor, Administrative Building Complex, Rourkela Odisha-769011
26.	Shri S.K. Senapati Junior Manager	Rourkela Steel Plant, SAIL, 2 nd floor, Administrative Building Complex, Rourkela Odisha-769011
27.	Shri P.K. Jena Junior Manager	Rourkela Steel Plant, SAIL, 2 nd floor, Administrative Building Complex, Rourkela Odisha-769011
28.	Shri Pradeep Kumar Mohapatra Jr.Maneger	Rourkela Steel Plant, SAIL, 2 nd floor, Administrative Building Complex, Rourkela Odisha-769011
29.	Shri Manish Madhab Sali Assistant Manager	Mazagaon Dock Limited, Dockyard Road Mumbai-400010
30.	Shri Arun Malhotra Manager	Food Corporation of India 885/12, District Office, Rohtak-124001
31	Ms. Saroj Kumar Sahoo SSO	Rail Sadan East Coast Railway, Bhubaneswar-751017

राष्ट्रीय अभिलेखागार

क्रम संख्या	नाम एवं पदनाम	प्रायोजक संगठन का नाम
32.	श्री दिनेश कुमार कलामे, प्रभागीय संकेत और दूरसंचार अभियंता	वरिष्ठ डीएसटीआईआई/डब्ल्यूएटी का कार्यालय प्रभागीय रेल प्रबंधक, कार्यालय परिसर विशाखापट्टनम
33.	श्री जगन्नाथ आचार्य, उप-मुख्य नेटवर्क प्रबंधक	मुख्य संकेत और दूरसंचार अभियंता का कार्यालय, भूतल, नॉर्थ ब्लॉक रेल सदन, पूर्व तटीय रेलवे, भुवनेश्वर-751017
34.	श्री निबिर बर्मन, प्रबंधक	भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी असम-781007

ख. राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में 09-11 फरवरी, 2015 को संपन्न अभिलेख प्रबंधन में 125वां अभिविन्यास पाठ्यक्रम

क्रम संख्या	नाम एवं पदनाम	प्रायोजक संगठन का ब्यौरा
1.	श्री सुभाषिष देब, प्रबंधक	भारतीय खाद्य निगम, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एनईएफ क्षेत्र, शिलांग-793003 फैक्स : 0364-2521870
2.	श्री राधा वल्लभ, अनुभाग अधिकारी	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, द्वितीय तल, आईआरसीएस भवन, रेड क्रॉस रोड, नई दिल्ली-110001
3.	श्री दीप चंद्र सती, सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रभारी, आंचलिक परियोजना निदेशालय, जोन-I, पीएयू कैम्पस, लुधियाना-141004, 0161-240108 फैक्स : 2412719

National Archives of India

S.No.	Name & Designation	Details of sponsoring Institution
32.	Shri Dinesh Kumar Kalame Divisional Signal & Telecom Engineer	Office of Sr. DSTEI/WAT, Divisional Rail Manager, Office Complex, Vishakhapatnam
33.	Shri Jagannath Acharya Deputy Chief Network Manager	Office of the Chief Signal & Telecom Engineer Ground Floor, North Block, Rail Sadan, East Coast Railway, Bhubaneswar-751017
34.	Shri Nibir Barman Manager	Food Corporation of India Regional Office, Guwahati, Assam-781007

B. 125th Orientation Course in Records Management from 09th – 11th February, 2015 held at National Archives of India, New Delhi

S.No.	Name & Designation	Details of sponsoring Institution
1.	Shri Subhasish Deb, Manager	Food Corporation of India Ministry of Consumer Affairs for Food & Public Distribution, Regional Office, NEF Region, Shillong -793003 Fax: 0364-2521870
2.	Shri Radha Ballabh, Section Officer	Ministry of Health and Family Welfare, Department of Health Research, 2 nd Floor, IRCS Building, Red Cross Road, New Delhi -110001
3.	Shri Deep Chandra Sati, Assistant Finance & Accounts officer	Indian Council of Agricultural Research I/C Zonal Project Directorate, Zone -I, PAU Campus, Ludhiana:-141004 0161-240108, Fax: 2412719

क्रम संख्या	नाम एवं पदनाम	प्रायोजक संगठन का ब्यौरा
4.	श्री एस.एन. यादव, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	राष्ट्रीय कृषिजन्य महत्वपूर्ण जंतु ब्यूरो, कुसमौर, पोस्ट बैग नं. 6 महू उत्तर प्रदेश-275101 फैक्स : 0547-25300381
5.	श्री श्री. एस. वर्मा, सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी	आईसीएआर-केन्द्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान कृषि मंत्रालय पीबी नं. 17, ग्रास फार्म रोड, मेरठ छावनी-250001 फैक्स : 0121-2657134
6.	श्री बी. आर. शुक्ला, कार्यालय अधीक्षक	गृह मंत्रालय, जनगणना निदेशालय, गुजरात जनगणना भवन, सेक्टर 10ए, गांधीनगर-382010 फैक्स : 079-23237160
7.	हरपाल सिंह दराल, वरिष्ठ अधीक्षक	भारतीय विमान पत्तन, प्राधिकरण, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110037 फैक्स : 011-24632950
8.	श्री अमन दीप, प्रबंधक	भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110037 फैक्स : 011-24632950
9.	श्री सुहास मोहिते, सहायक प्रबंधक	रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर्काइव्स, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय परिसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विश्वविद्यालय रोड, पुणे-411016 फोन : 9120-25538959
10.	श्री ए. के. अब्रोल, उप-मुख्य यांत्रिक अभियंता	उत्तर प्रदेश रेलवे मुख्यालय, जवाहर सर्किल के पास जयपुर-302017 फैक्स : 0141-2725901

National Archives of India

S.No.	Name & Designation	Details of sponsoring Institution
4.	Shri S.N Yadav, Assistant Administrative officer	National Bureau of Agriculturally Important Microorganisms, Kusmaur, Post Bag No. 6 Mau, Uttar Pradesh -275101 Fax -0547-25300381
5.	Shri D.S. Verma, Assistant Finance & Accounts Officer	ICAR-Central Institute for Research on Cattle Ministry of Agriculture, PB No: 17, Grass Farm Road, Meerut Cantt.-250001 Fax: 0121-2657134
6.	Shri B.R Shukla Office Superintendent	Ministry of Home Affairs /Grih Mantralaya Directorate of Census Operation, Gujarat Census Bhavan, Sector-10/A, Gandhinagar - 382010 Fax: 079-23237160
7.	Shri Harpal Singh Daral Senior Superintendent	Airports Authority of India Safdarjung Airport, New Delhi -110037 Fax : 011-24632950
8.	Shri Aman Deep, Manager	Airports Authority of India Safdarjung Airport, New Delhi -110037 Fax:-24625041
9.	Shri Suhas Mohite, Assistant Manager	Reserve Bank of India Archives College of Agricultural Banking Campus Reserve Bank of India University Road, Pune-411016 Ph.: 9120-25538392 Fax: 9120-25538959
10.	Shri A.K. Abrol, Dy.Chief Mechanical Engineer	North Western Railway Head Quarter, Near Jawahar Circle Jaipur- 302017 Fax:-0141-2725901

क्रम संख्या	नाम एवं पदनाम	प्रायोजक संगठन का ब्यौरा
11.	श्री मानसिंह मीणा, वरिष्ठ प्रभागीय सामग्री प्रबंधक	उत्तर प्रदेश रेलवे मुख्यालय, जवाहर सर्किल के पास जयपुर-302017 फैक्स : 0141-2725901
12.	सुश्री श्यामला पूवप्पा कुंडेर प्रबंधक	एयर इंडिया लिमिटेड 21वां तल, एयर इंडिया भवन नरीयन पाईट मुंबई-400021 फैक्स : 022-22796381 / 022-22023686
13.	श्री जे. एस. भारद्वाज, प्रबंधक	एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर सेक्टर 33, फरीदाबाद हरियाणा-121003 मोबाइल : 9650996929
14.	श्री गोविन्द कुमार तुलस्यान, सहायक प्रबंधक	एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर सेक्टर 33, फरीदाबाद हरियाणा-121003 मोबाइल : 08800764387
15.	श्री मकरंद पी. नातु, सहायक प्रबंधक	एयर इंडिया लिमिटेड 21वां तल, एयर इंडिया भवन नरीयन पाईट मुंबई-400021 फैक्स : 022-22793686
16.	श्री लारेंस खाखा, प्रबंधक	भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय कुरुक्षेत्र-136118
17.	श्री सुखदेव महतो, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	आईसीएआर (भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान) कल्याणपुर, कानपुर-208024 फैक्स : 2572582

National Archives of India

S.No.	Name & Designation	Details of sponsoring Institution
11.	Shri Man Singh Meena, Sr. Divisional Materials Manager	North Western Railway Head Quarter, Near Jawahar Circle Jaipur- 302017 0151-2544685
12.	Ms. Shyamla Poovappa Kunder, Manager	Air India Limited 21 st Floor Air India Building Nariman Point, Mumbai -400021 Fax:- 022-22796381/022-22023686
13.	Shri. J.S Bhardwaj, Manager	N.H.P.C Office Complex, Sector 33, Faridabad Haryana- 121003 Mobile:- 9650996929
14.	Shri. Govind Kumar Tulsyan Assistant Manager	N.H.P.C Office Complex, Sector 33, Faridabad Haryana- 121003 Mobile:- 08800784387
15.	Mr. Makarand P. Nattu Assistant Manager	Air India Limited 21 st Floor Air India Building Nariman Point, Mumbai -400021 Fax:- 022-22793686
16.	Shri. Lawrence Xaxa Manager	Food Corporation of India Disst. Office, Kurukshetra Pin:-136118
17.	Shri Sukadeo Mahto Assistant Administrative officer	ICAR (Indian institute of Pulses Research) Kalyanpur, Kanpur -208024 Fax: 2572582

ग. राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में 25-27 मई, 2015 को संपन्न अभिलेख प्रबंधन में 126वां अभिविन्यास पाठ्यक्रम

क्रम संख्या	नाम एवं पदनाम	प्रायोजक संगठन का ब्यौरा
1.	श्री राजेश चोपड़ा, प्रबंधक	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 5वां तल, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन भवन काम्पलेक्स, नई दिल्ली-110001
2.	श्रीमती सरिता चौहान, सहायक	भारत के उप राष्ट्रपति का सचिवालय, नई दिल्ली-110011
3.	श्री महेंद्र सिंह, परियोजना इंजीनियर	ब्रॉड कास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टंट्स इंडिया लिमिटेड, 14-बी, रिंग रोड, इंद्राप्रस्थ एस्टेट
4.	श्री रमेश कुमार, प्रशासनिक अधिकारी	राइट्स भवन नं. 1 सेक्टर-26, गुडगांव-122001 फोन : 0124-2818518
5.	श्री एच. एल. मीणा, अनुभाग अधिकारी तथा अभिलेख अधिकारी	भारतीय मानक ब्यूरो मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
6.	श्री घनश्याम तिवारी, अपर निदेशक	राजभाषा निदेशालय तथा ओएंडएम रक्षा अनुसंधान और विकास रक्षा मंत्रालय 'बी' ब्लॉक, द्वितीय तल, डीआरडीओ भवन, राजाजी मार्ग नई दिल्ली-110011
7.	श्री सुभाष चंद, सीएमडी के वरिष्ठ निजी सचिव और अभिलेख प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रभारी	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, स्कोप मीनार, कोर-1 और 2 लक्ष्मी नगर जिला सेंटर, लक्ष्मी नगर दिल्ली-110092
8.	श्री के. बालसुब्रमणियन, सहायक विकास आयुक्त	एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रशासनिक कार्यालय भवन, राष्ट्रीय राजमार्ग-45 ताम्बरम, चेन्नई-600045
9.	श्री आर. एच. के. चौधरी, वरिष्ठ प्रबंधक	ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी) महाप्रबंधक का कार्यालय, दिशेरगढ़

National Archives of India

C. 126th Orientation Course in Records Management form 25th – 27th May, 2015 Held at National Archives of India, New Delhi

S.No.	Name & Designation	Details of sponsoring Institution
1.	Shri Rajesh Chopra, Manager	Dedicated Freight Corridor, Corporation of India Limited 5 th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building Complex, New Delhi -11000
12.	Smt. Sarita Chauhan, Assistant	Secretariat of the Vice-President of India New Delhi- 11001
13.	Shri Mahendra Singh, Project Engineer	Broadcast Engineering Consultants India Limited, 14-B, Ring Road, Indraprastha Estate.
4.	Shri Ramesh Kumar, Administrative officer	RITEs Bhawan No-1 Sector-26, Gurgaon-122001 Phone -0124-2818518
5.	Shri H.L.Meena, Section Officer & Record Officer	Bureau of Indian Standards Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
6.	Shri Ghanshyam Tiwari, Additional Director	Directorate of Rajbhasha and O&M Defense Research and Development, Ministry of Defence, "B" Block, IInd Floor, DRDO Bhawan, Rajaji Marg, New Delhi-110011
7.	Shri Subhash Chand, Sr. Private Secretary to CMD and Incharge of Record Management Cell	National Scheduled castes Finance and Development Corporation, 14 th Floor, Scope Minar, Core -1 & 2, Laxmi Nagar District Center, Laxmi Nagar, Delhi- 110092
8.	Shri K. Balasubramanian, Assistant Development Commissioner	MEPZ Special Economic Zone Administrative Office Building, National Highway-45, Tambaram, Chennai- 600045
9.	Shri R.H.K. Choudhury, Senior Manager	Eastern Coalfields Limited (A Subsidiary of Coal India Limited) Office of The G.M. Ministry of Human Resource Development Department, Dishergarh

राष्ट्रीय अभिलेखागार

क्रम संख्या	नाम एवं पदनाम	प्रायोजक संगठन का ब्यौरा
10.	श्री घासी लाल मीणा, अनुभाग अधिकारी	श्री चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, कोटा रोड, बंबाला, सांगनेर के पास जयपुर-302003
11.	श्री एस. बी. मथपाल, अपर महाप्रबंधक	एमएमटीसी लिमिटेड कोर-I, स्कोप काम्पलेक्स, लोधी रोड नई दिल्ली-110003
12.	श्री पी. सी. बोरो, आपूर्ति अधिकारी	चाय बोर्ड, वाणिज्य विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) 14, बी.टी.एम. सरणि (ब्रेबोर्न रोड) पो. बॉ. नं. 2172, कोलकाता-700001
13.	श्रीमती शिल्पा तनेजा, अनुसंधान अधिकारी	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) त्रिकूट-1, भिकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली-110066
14.	श्री एच. एस. पांडे, मुख्य प्रबंधक	कारपोरेट एचआर (कर्मचारी विकास) आईटीआई लिमिटेड, एफ-29, प्रथम तल, दुर्वानीनगर, बेंगलूर-560016
15.	श्री पी. के. राय, इंजीनियर	कारपोरेट एचआर (कर्मचारी विकास) आईटीआई लिमिटेड, एफ-29, प्रथम तल, दुर्वानीनगर, बेंगलूर-560016
16.	श्री डी. एन. मंडल, उपनिदेशक	जनजाति कार्य मंत्रालय, अगस्त क्रांति भवन, नई दिल्ली
17.	श्री अरिदम कुंडु, सहायक प्रबंधक	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद-828125
18.	श्री नीलांजन चक्रवर्ती, सहायक प्रबंधक	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद-828125

National Archives of India

S.No.	Name & Designation	Details of sponsoring Institution
10.	Shri Ghasi Lal Meena, Section Officer	Shri Charan Singh National Institute of Agricultural Marketing, Kota Road, Bambala Near Sanganer, Jaipur- 302003
11.	Shri S.B. Mathpal, Additional General Manger	MMTC Limited, Core-1, Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi- 110003
12.	Shri P.C. Boro, Supply Officer	Tea Board, Deptt. of Commerce (Ministry of Commerce and Industry) 14, B.T.M. Sarani (Brabourne Road), P.O. Box No. 2172, Kolkata-700001
13.	Mrs. Shilpa Taneja, Research Officer	National Commission for Backward Classes Department of Social Justice & Empowerment (Ministry of Social Justice & Empowerment), Trikoort-1, Bhikaji Cama Place, New Delhi- 110066
14.	Shri H.S. Pandey, Chief Manager	Corporate HR (Employee Development) ITI Limited, F-29, First Floor, Doorvaninagar, Bangalore- 560016
15.	Shri P.K. Rai, Engineer	Corporate HR (Employee Development) ITI Limited, F-29, First Floor, Doorvaninagar, Bangalore- 560016
16.	Shri D. N. Mandal, Deputy Director	Ministry of Tribal Affairs, August Kranti Bhawan New Delhi
17.	Shri Arindam Kundu Assistant Manager	Bharat Coking Coal Limited Dhanbad-828125
18.	Shri Nilanjana Chakraborty Assistant Manager	Bharat Coking Coal Limited Dhanbad-828125

राष्ट्रीय अभिलेखागार

क्रम संख्या	नाम एवं पदनाम	प्रायोजक संगठन का ब्यौरा
19.	श्री आशीष कुमार मिश्रा, सहायक प्रबंधक (एचआर/पी)	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद-828125
20.	श्री आनंद प्रकाश, सहायक प्रबंधक	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद-828125
21.	श्री संतोष कुमार सिन्हा, सहायक प्रबंधक	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद-828125
22.	श्री सुनिल कुमार, सहायक प्रबंधक	नेशनल हायड्रो पावर कारपोरेशन सेक्टर-33, फरीदाबाद
23.	श्री टी. श्रीनिवास राव, उप प्रबंधक	नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि. प्लॉट नं. 67-68 सेक्टर-25, फरीदाबाद-121004 (हरियाणा)
24.	श्री सुनिल कुमार, प्रबंधक	नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि. प्लॉट नं. 67-68 सेक्टर-25, फरीदाबाद-121004 (हरियाणा)
25.	श्री कुलभूषण, वरिष्ठ केमिस्ट	क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशाला डब्ल्यू-6, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस-2 ओखला, नई दिल्ली

घ. राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में 1-3 जुलाई, 2015 को संपन्न अभिलेख प्रबंधन में 127वां अभिविन्यास पाठ्यक्रम

क्रम संख्या	नाम एवं पदनाम	प्रायोजक संगठन का ब्यौरा
1.	श्री सुभाषशिष कुंडु, उप प्रबंधक	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड भारत भवन 4 और 6, करीमभाई रोड, बल्लार्ड एस्टेट, पी.बी. नं. 688 मुंबई-400001
2.	श्री दिग्विजय परदेसी, सहायक प्रबंधक	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, भारत भवन 4 और 6, करीमभाई रोड, बल्लार्ड एस्टेट, पी.बी. नं. 688 मुंबई-400001

National Archives of India

S.No.	Name & Designation	Details of sponsoring Institution
19.	Shri Ashish Kumar Mishra Assistant Manager (HR/P)	Bharat Coking Coal Limited Dhanbad-828125
20.	Shri Anand Prakash Assistant Manager	Bharat Coking Coal Limited Dhanbad-828125
21.	Shri Santosh Kumar Sinha Assistant Manager	Bharat Coking Coal Limited Dhanbad-828125
22.	Shri Sunil Kumar Assistant Manager	National Hydro Power Corporation Sector -33, Faridabad
23.	Shri T Srinivasa Rao Deputy Manager	National Project Construction Corporation Limited, Plot No 67-68, Sector -25, Faridabad -121004 (Haryana)
24.	Shri Suni Kumar Manager	National Project Construction Corporation Limited, Plot No 67-68, Sector -25 Faridabad -121004 (Haryana)
25.	Shri Kul Bhushan Senior Chemist	Regional Agmark Laboratory New Delhi W-6 Okhla Industrial Area phase-2 Okhla, New Delhi

D. 127th Orientation Course in Records Management form 1st -3rd July 2015 Held at National Archives of India, Regional Office, Bhopal.

S.No.	Name & Designation	Details of sponsoring Institution
1.	Sh. Subhashis Kundu, Deputy Manager	Bharat Petroleum Corporation Limited Bharat Bhavan 4 & 6, Currimbhoy Road, Ballard Estate, P.B. No. 688, Mumbai 400 001
2.	Shri Mr. Digvijay Pardeshi, Assistant Manager	Bharat Petroleum Corporation Limited Bharat Bhavan 4 & 6, Currimbhoy Road, Ballard Estate, P.B. No. 688, Mumbai 400 001

राष्ट्रीय अभिलेखागार

क्रम संख्या	नाम एवं पदनाम	प्रायोजक संगठन का ब्यौरा
3.	श्री सुनिल डी. पाटिल, उप प्रबंधक	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, भारत भवन 4 और 6, करीमभाई रोड़, बल्लार्ड एस्टेट, पी.बी. नं. 688 मुंबई-400001
4.	श्रीमती दीपाली ठाकरे, प्रबंधक	भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, भारत स्काउट और गाईड भवन, द्वितीय तल, श्यामला हिल्स, भोपाल
5.	श्री एम. टी. सोनी, अनुभाग अधिकारी	भारतीय मानक ब्यूरो, ई-5, मानकालय अरेरा कालोनी, विहन मार्केट दशहरा मैदान के सामने भोपाल-462016
6.	श्री दुरईपांडियन, अनुभाग अधिकारी	अंतरिक्ष विभाग अंतरिक्ष भवन, न्यू बीईएल रोड़, बेंगलूर-560231
7.	श्री अशोक गुलाबराव बाबर, उप प्रबंधक	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड भारत भवन 4 और 6, करीमभाई रोड़ बल्लार्ड एस्टेट, पी.बी. नं. 688 मुंबई-40000
18.	श्री महेश कुमार, प्रबंधक	खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड सेमिनरी हिल्स, नागपुर-440006

ड राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र, जयपुर में 19-21 अगस्त, 2015 को संपन्न अभिलेख प्रबंधन में 128वां अभिविन्यास पाठ्यक्रम

क्रम संख्या	नाम एवं पदनाम	प्रायोजक संगठन का ब्यौरा
1.	श्री डी. चंद्रशेखर, मुख्य प्रबंधक	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड भारत भवन 4 और 6 करीमभाई रोड़ बल्लार्ड एस्टेट, पी.बी. नं. 688 मुंबई-400001
2.	सुश्री वंसत रघु, प्रबंधक	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड भारत भवन 4 और 6 करीमभाई रोड़ बल्लार्ड एस्टेट, पी.बी. नं. 688 मुंबई-400001

National Archives of India

S.No.	Name & Designation	Details of sponsoring Institution
3.	Suni .D. Patil, Deputy Manager	Bharat Petroleum Corporation Limited Bharat Bhavan 4 & 6, Currimbhoy Road, Ballard Estate, P.B. No. 688, Mumbai 400 001
4.	Smt. Deepali Thakre Manager	Food Corporation of India District Office Bharat Scout & Guide Building, IInd Floor Shyamla Hills, Bhopal
5.	Shri M.T. Sonny, Section Officer	Bureau of Indian Standards E-5, Manakalaya, Arera Colony, Bittan Market Opposite Dushera Maidan, Bhopal- 462016
6.	Shri R. Duraipandiyan, Section Officer	Department of Space Antariksh Bhavan, New BEL Road Bangalore- 560231
7.	Shri Ashok Gulabrao Babar, Deputy Manager	Bharat Petroleum Corporation Limited Bharat Bhavan 4 & 6, Currimbhoy Road, Ballard Estate, P.B. No. 688, Mumbai 400 00
18.	Shri Mahesh Kumar Manger Mineral	Exploration Corporation Limited & Eminary Hills, Nagpur -06

E. 128th Orientation Course in Records Management form 19th - 21st August 2015 Held at National Archives of India, Record Centre, Jaipur.

S.No.	Name & Designation	Details of sponsoring Institution
1.	Shri D. Chandrashekhar, Chief Manager	Bharat Petroleum Corporation Ltd. Bharat Bhavan 4 & 6, Currimbho Road, Ballard Estate, P.B. No. 688, Mumbai 400 001
2.	Ms. Vasantha Reghu, Manager	Bharat Petroleum Corporation Ltd. Bharat Bhavan 4 & 6 Currimbhoy Road, Ballard Estate, P.B. No. 688, Mumbai 400 001

राष्ट्रीय अभिलेखागार

क्रम संख्या	नाम एवं पदनाम	प्रायोजक संगठन का ब्यौरा
3.	श्री दीपक अग्रवाल, प्रबंधक	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, भारत भवन 4 और 6 करीमभाई रोड़ बल्लार्ड एस्टेट, पी.बी. नं. 688 मुंबई-400001
4.	श्री संग्राम सावंत, उप प्रबंधक	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड भारत भवन 4 और 6 करीमभाई रोड़ बल्लार्ड एस्टेट, पी.बी. नं. 688 मुंबई-400001
5.	श्री ए. एम. बालसुब्रमणियन, अवर सचिव	अंतरिक्ष विभाग अंतरिक्ष भवन, न्यू बीईएल रोड़ बेंगलूर-560231
6.	श्रीमती राधा जय सिन्हा, अवर सचिव	अंतरिक्ष विभाग अंतरिक्ष भवन, न्यू बीईएल रोड़ बेंगलूर-560231

च. राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में 22-24 सितम्बर, 2015 को संपन्न अभिलेख प्रबंधन में 129वां अभिविन्यास पाठ्यक्रम

क्रम संख्या	नाम एवं पदनाम	प्रायोजक संगठन का नाम
1.	श्री पी. जी. भट, अनुभाग अधिकारी	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 5वां तल, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
2.	श्री नवनीत प्रकाश शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी	साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, 9वां तल, एनडीसी-II, जयसिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001
3.	श्री शिवानंद एस, अधीक्षक	राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय, 18-20, सामुदायिक केन्द्र, साकेत नई दिल्ली-110017
4.	श्री वेद प्रकाश, वरिष्ठ प्रबंधक	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, महाप्रबंधक का कार्यालय ब्लॉक-II एरिया बी.सी.सी.एल पो.आ. नवगढ़ धनबाद-826003

National Archives of India

S.No.	Name & Designation	Details of sponsoring Institution
3.	Shri Deepak Agrawal, Manager	Bharat Petroleum Corporation Ltd. Bharat Bhavan 4 & 6 Currimbhoy Road, Ballard Estate, P.B. No. 688, Mumbai 400 001
4.	Shri Sangram Sawant, Deputy Manager	Bharat Petroleum Corporation Ltd. Bharat Bhavan 4 & 6 Currimbhoy Road, Ballard Estate, P.B. No. 688 Mumbai 400 001
5.	Shri A. M. Balasubramaniam, Under Secretary	Department of Space Antariksh Bhawan, New BEL Road Bangalore -560231
6.	Smt. Radha Jaisimha Under Secretary	Department of Space Antariksh Bhawan, New BEL Road, Bangalore-560231

F. 129th Orientation Course in Records Management form 22nd - 24th September 2015 Held at National Archives of India, New Delhi

S.No.	Name & Designation	Details of sponsoring Institution
1.	Shri. P. G. Bhatt Section Officer	National Commission for Scheduled Castes 5 th Floor, Loknayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003
2.	Shri Navneet Prakash Sharma Admin Officer	Software Technology Parks of India 9 th Floor, NDCC-II, Jai Singh Marg, New Delhi- 110001
3.	Shri Shivanand S. Superintendent	National Water Development Agency Ministry of Water Resources, River Development of India and Ganga Rejuvenation, 18-20, Community Centre, Saket, New Delhi -110017
4.	Shri Ved Prakash Senior Manager	Bharat Coking Coal Limited Office of the General Manager Block-II Area B.C.CL P.O Nawagarh, Dhanbad-826003

राष्ट्रीय अभिलेखागार

क्रम संख्या	नाम एवं पदनाम	प्रायोजक संगठन का नाम
5.	श्री शशांक शरण, एम.टी.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, महाप्रबंधक का कार्यालय ब्लॉक-II एरिया बी.सी.सी.एल पो.आ. नवगढ़ धनबाद-826003
6.	श्री ऋषि गुप्ता, अभिलेख अधिकारी	भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड मध्य मार्ग, 19-बी चंडीगढ़-160019
7.	श्री धरमवीर आहुजा, अधीक्षक	भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड मध्य मार्ग, 19-बी चंडीगढ़-160019
8.	श्री एल. मूर्ति, प्रबंधक	नं.-1 रंगनाथन गार्डन्स 11वां मुख्य मार्ग, अन्ना नगर (प.) चेन्नई-60040
9.	श्री दीपक राय, प्रबंधक	बी. पी. सी. एल. शांति भवन, बलार्ड एस्टेट, मुंबई-400001
10.	श्री अश्विनी कुमार सुतार, सहायक अधिकारी	राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, खान और रिफाइनरी काम्पलेक्स दमन जोड़ी-763008 जिला-कोरापुट, ओडिशा
11.	श्री अशोक कुमार, अवर सचिव	आईसीएआर मुख्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
12.	श्री चंद्र वल्लभ, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	आईएसआरआई, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान पुस्तकालय एवेन्यु, पूसा, नई दिल्ली-110012
13.	श्री लक्ष्मी चंद, डी.डी.ओ	आईसीएआर-सीएसडब्ल्यूआरडी अविकानगर (मालपुरा) टोंक, राजस्थान-304001
14.	श्री जनार्दन राय, अधिकारी - एचआरएस	आईटीआई लिमिटेड, मानकापुर संयंत्र मानकापुर-गोंडा, उत्तर प्रदेश-271308
15.	श्री शांतिलाल बौरासी, अनुभाग अधिकारी	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमरा संख्या - 646ए, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

National Archives of India

S.No.	Name & Designation	Details of sponsoring Institution
5.	Shri Shashank Sharan, MT	Bharat Coking Coal Limited Office of the General Manager, Govindpur Area, Bharat Cooking Coal Ltd., P.O Sonardih, Dist- Dhanbad - 828125
6.	Shri Rishi Gupta Record Officer	Bhankhra Byas Management Board Madhya Marg, 19-B, Chandigarh- 160019
7.	Shri Dharmvir Ahuja, Superintendent	Bhankhra Byas Management Board Madhya Marg, 19-B, Chandigarh- 160019
8.	Shri L. Moorthy, Manager	No-1 Ranganathan Gandens Off 11 th main road, Annm Nagar (W) Chennai-60040
9.	Shri Deepak Rai, Manager	B.P.C.L Shanti Building Balard Estate, Mumabi :-400001
10.	Shri Aswini Kumar Sutar Assistant Officer	National Aluminium Co.Ltd. Mines & Refinery Complex Damanjodi -763008 Dist-Koraput, Odisha
11.	Shri Ashok Kumar Under Secretary	ICAR Hqrs, Indian Council of Agricultural Research Krishi Bhavan, New Delhi:-110001
12.	Shri Chander Vallabh, Assistant administrative Officer	IASRI Indian Agriculture Statistics Research Institute Library, Avenue, Pusa New Delhi -110012
13.	Shri Laxmi Chand D.D.O.	ICAR -CSWRD Avikanagar (Malpura) Tonk - 304001, Rajasthan
14.	Shri Janardan Rai, Officer-HRS	ITI Limited , Mankapur Plant Mankapur- Gonda Uttar Pradesh- 271308
15.	Shri Shantilal Bourasi Section officer	Ministry of Social Justice & Empowerment R.No 646-A Shastri Bhawan New DeLHI -110001

राष्ट्रीय अभिलेखागार

क्रम संख्या	नाम एवं पदनाम	प्रायोजक संगठन का नाम
16.	श्री पंकज शर्मा, कनिष्ठ प्रबंधक	ब्राडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड 56ए/ 17, ब्लॉक-सी सेक्टर-62, नोएडा-201307
17.	श्री अविनाश खन्ना, कनिष्ठ प्रबंधक	बीईसीआईएल सी-56ए/ 17 ब्लॉक-सी, सेक्टर-62, नोएडा-201307
18.	श्री रणजीत कुमार, सी.सी.टी.	ब्राडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड 56ए/ 17, ब्लॉक-सी सेक्टर-62, नोएडा-201307

छ. राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र, पुडुचेरी में 18-20 नवम्बर, 2015 को संपन्न अभिलेख प्रबंधन में 130वां अभिविन्यास पाठ्यक्रम

क्रम संख्या	नाम एवं पदनाम	प्रायोजक संगठन का ब्यौरा
1.	श्री एन. एस. रवींद्रनाथ, वरिष्ठ प्रबंधक	किओच लिमिटेड ब्लॉक- II, कोरामंगला, सर्जापुर रोड़ बेंगलौर-560034
2.	श्री मुरगेश एस, उप प्रबंधक	केआईओसीएल लिमिटेड पनाम्बुर, मंगलौर-575010
3.	श्री वी. रमेश, अनुभाग अधिकारी	सहायक आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय 29, पापनसम, सीवन सलाई मैलापुर, संथोम चेन्नई-600004
4.	श्री एस. आर. नवीन, एमटीएसएस-ईएसवीआई	सॉफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क्स ऑफ इंडिया, 9वां तल, एनडीसीसी- II, जयसिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001
5.	श्री वैथीस्वरण वी, ओ एंड एम अधिकारी	द रबर बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पी. बी. नं. 1122, सब जेल रोड़ कोट्यम-686002
6.	श्री एस. विजयलक्ष्मी, प्रशासनिक अधिकारी	उपायुक्त केन्द्रीय उत्पाद कर और सेवा कर आयुक्त का कार्यालय पुडुचेरी आयुक्तालय पी.बी. नं. 104, गोबर्ट एवेन्यु, पुडुचेरी-605001

National Archives of India

S.No.	Name & Designation	Details of sponsoring Institution
16.	Shri Avinash Khanna Junior Manager	Broadcasting Engineering consultants India Ltd., 56-A/17, Block -C, Sector 62 Noida - 201307
17.	Shri Pankaj Sharma Junior Manager	BECIL C-56-A/17 sector -62 Nodia -201309
18.	Shri Ranjeet Kumar C.C.T	Broadcasting Engineering consultants India Ltd., 56-A/17, Block -C, Sector 62 Noida - 201307

G. 130th Orientation Course in Records Management form 18th - 20th November 2015 Held at National Archives of India, Record Centre, Puducherry.

S.No.	Name & Designation	Details of sponsoring Institution
1.	Shri N.S. Ravindranath Senior Manager	KIOCH LIMITED Block II, Koramangala, Sarjapura Road Bangalore 560 034
2.	Shri Murgesh S Deputy Manager	KIOCL LIMITED Panambur, Mangalore-575010
3.	Shri V. Ramesh Section Officer	Subsidiary Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, 29, Papanasam, Sivan Salai, Mylapore, Santhome, Chennai- 600004
4.	Shri S. R. Navein MTSS-ESVI	Software Technology Parks of India 9 th Floor, NDCC-II, Jai Singh Marg, New Delhi- 110001
5.	Shri Vaitheeswaran V O & M Officer	The Rubber Board Ministry of Commerce & Industry PB No. 1122, Sub Jail Road, Kottayam- 686 002
6.	Shri S. Vijayalakshmi, Administrative Officer	Deputy Commissioner Office of the Commissioner of Central Excise & Service Tax, Puducherry Commissionerate P.B No 104, Goubert Avenue Puducherry - 605001

राष्ट्रीय अभिलेखागार

क्रम संख्या	नाम एवं पदनाम	प्रायोजक संगठन का ब्यौरा
7.	श्री मैथ्यु थरियन	फैक्ट लिमिटेड उद्योग मंडल पी.ओ.-683501 एर्नाकुलम जिला, केरल
8.	श्री उदय कुमार, कर सहायक	मुख्य उत्पाद कर आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद कर और सेवा कर टैक्स बीच रोड़, पुडुचेरी-605001
9.	श्री जयमन कुरियाकोसे, वरिष्ठ प्रबंधक	फैक्ट लिमिटेड उद्योग मंडल विपणन प्रभाग कोचि-683501

National Archives of India

S.No.	Name & Designation	Details of sponsoring Institution
7.	Shri Mathew Tharian	FACT LTD Udyoggamandal Po 683501, Erankulam Dist. Kerala
8.	Shri Uday Kumar Tax Assistant	Chief Excise Commissioner of Central Excise and Service Tax Beach Road, Puduchery 605001
9.	Shri Jaymon Kuriakose Senior Manager	FACT LTD Udyoggamandal Marketing Division, Kochi -683501

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा नामित
अभिलेख अधिकारियों की सूची

क्रम संख्या	अभिलेख सृजक एजेंसी का नाम	अभिलेख अधिकारियों का ब्यौरा
1.	पत्र सूचना कार्यालय	श्रीमती सोनाली दत्ता अनुभाग अधिकारी (सतर्कता) कमरा संख्या 703 बी, "ए" विंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली-110001 फोन : 011-23381137 फैक्स : 011-23073551 ई-मेल :vigilance@pic@gov.in
2.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	श्री डी.पी. सिंह अनुभाग अधिकारी, कमरा संख्या 104, पंचशील भवन अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110049 फोन : 26493282 मोबाइल : 9868236318 ई-मेल : devinder.s58@gov.in
3.	विद्युत मंत्रालय	श्री बिशन कुमार सहायक अनुभाग अधिकारी, "एफ" विंग, द्वितीय तल निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड़, नई दिल्ली-110001 फोन : 23063509 ई-मेल : Email bishan.kumar@gov.in
4.	विश्वेस्वरा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	श्री रजनेश सहायक पंजीयक, विश्वेस्वरा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागपुर

**List of Records Officers nominated by various Ministries/
Department /PSU etc.**

S.No	Name of the Records Creating Agency	Details of the Records Officers
1.	Press Information Bureau	Smt. Sonali Dutta Section Officer (Vigilance) Room No 703-B "A" Wing Shastri Bhawan New Delhi -11001 Phone 011-23381137 Fax 011-23073551 Email : vigilance@pic@gov.in
2.	Ministry of Food Processing Industries	Shri. D.P. Singh Section Officer Room 104, Panchseel Bhawan August Kranti Marg New Delhi -110049 Phone 26493282, Mob 9868236318 Email devinder.s58@gov.in
3.	Ministry of Power	Shri Bishan Kumar Assistant Section Officer "F" Wing 2 nd Floor, Nirman Bhavan Maulana Azad Road, New Delhi -110001 Phone 23063509 Email bishan.kumar@gov.in
4.	Visvesvaraya National Institute of Technology	Shri Rajnesh Assistant Registrar, Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur

राष्ट्रीय अभिलेखागार

क्रम संख्या	अभिलेख सृजक एजेंसी का नाम	अभिलेख अधिकारियों का ब्यौरा
5.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	श्री ए. पलानीवेल पंजीयक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तंजावर रोड तमिलनाडु फोन : 0431-2503052 फैक्स : 0431-2500133 ई-मेल : registrar@nitt.edu
6.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	सुश्री शिबानी दास अनुभाग अधिकारी, 12/227 लोधी कालोनी नई दिल्ली-110003 फोन : 011-23473390 मोबाइल : 9811865117 ई-मेल : dshibani@gmail.com shibani.das@nic.in
7.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	श्री श्वेतांक परिहार सहायक पंजीयक, लेखा अनुभाग, प्रशासनिक ब्लॉक मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद-211004 (कारन) फोन : 0532-2271021 मोबाइल : 9415014453 फैक्स : 0532-25845341 ई-मेल : shwetankar@mnnit.ac.in
8.	उपराष्ट्रपति सचिवालय	श्रीमती सरिता चौहान सहायक, उप राष्ट्रपति सचिवालय, 6, मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली फोन : 23018684 फैक्स : 23018124 ई-मेल : sarita vps@yahoo.com

National Archives of India

S.No	Name of the Records Creating Agency	Details of the Records Officers
5.	National Institute of Technology	Shri. A.Palanivel Registrar National Institute of Technology, Tanjore Road Tamil Nadu Phone 0431-2503052 Fax 0431-2500133 Email registrar@nitt.edu
6.	Ministry of Labour and Employment	Ms. Shibani Das Section Officer 12/227 Lodhi Colony, New Delhi-11003 Phone 011-23473390 Mob 9811865117 Email: dshibani@gmail.com shibani.das@nic.in
7.	Motilal Nehru National Institute of Technology	Shri Shwetank Parihar Assistant Register, Accounts Section, Administrative Block Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad-211004 (India) Phone 0532-2271021, Mob 9415014453 Fax No 0532-25845341 Email shwetankar@mnnit.ac.in
8.	Vice-President Secretariat	Smt. Sarita Chauhan Assistant Vice-President Secretariat No 6 Maulana Azad Road, New Delhi Phone 23018684 Fax 23018124 Email sarita_vps@yahoo.com

क्रम संख्या	अभिलेख सृजक एजेंसी का नाम	अभिलेख अधिकारियों का ब्यौरा
9.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय	श्री वी. के. बाल्यान अवर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय 'बि' विंग, भूतल शास्त्री भवन नई दिल्ली फोन : 23074005 मो. : 9958422311 ई-मेल : usea-mowr@nic.in
10.	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	श्री राजेंद्र प्रसाद अनुभाग अधिकारी कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय कमरा संख्या 18, कृषि भवन नई दिल्ली-110001 फोन : 23388130 ई-मेल : rprashad14@gmail.com
11.	आयुष मंत्रालय	सुश्री सुषमा जस अनुभाग अधिकारी, स्थापना-II अनुभाग आयुष भवन, "बी" ब्लॉक, जीपीओ काम्प्लेक्स आईएनए, नई दिल्ली-11023 फोन : 24651499 फैक्स : 24651499 ई-मेल : sushma.jas@gov.in
12.	भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय	श्रीमती सिम्मी नारनौलिया अवर सचिव भारी उद्योग विभाग कमरा संख्या 428, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110001 फोन : 23061140 ई-मेल : simmi.narnaulia@nic.in

National Archives of India

S.No	Name of the Records Creating Agency	Details of the Records Officers
9.	Ministry of Water Resources, River Development and Ganaga Rejuvenation	Shri V.K Balayan Under Secretary Ministry of Water Resources, River Development and Ganaga Rejuvenation B Wing Ground Floor Shastri Bhawan, New Delhi Phone 23074005, Mob 9958422311 Email usea-mowr@nic.in
10.	Ministry of Agriculture and Farmers Welfare	Shri Rajinder Parshad Section Officer Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare Room, 18 Krishi Bhwan New Delhi -110001 Phone 23388130 Email rprashad14@gmail.com
11.	Ministry of AYUSH	Ms. Sushma Jas Section officer, Estt.II Section AYUSH Bhawan, "B" Block GPO Complex INA New Delhi -110023 Phone 24651499 Fax 24651499 Email sushma.jas@gov.in
12.	Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises	Smt. Simmi Narnaulia Under Secretary Department of Heavy Industry Room No 428 Udyog Bhawan New Delhi -11001 Phone 23061140 Email simmi.narnaulia@nic.in

क्रम संख्या	अभिलेख सृजक एजेंसी का नाम	अभिलेख अधिकारियों का ब्यौरा
13.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	श्री विनोद डोले, पंजीयक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैंड चुमुकेडिया, दिमापुर-797103 फोन : 9811078740 ई-मेल : binod.doley@gmail.com
14.	रक्षा मंत्रालय	श्री अंकेश कुमार श्रीवास्तव अनुभाग अधिकारी कमरा सं. 156, बी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली फोन : 23017828
15.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	श्री गौरव कुमार शर्मा सहायक पंजीयक (अकादमिक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमिरपुर, हिमाचल प्रदेश-177005 फोन : 9718161295 फैक्स : 01972-223834 ई-मेल : gauravsharma@nith.ac.in
16.	व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र)	श्री देबशंकर दत्ता कार्यालय अधीक्षक, व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) ब्लॉक-ईए, सेक्टर-1 (लबोनी कालोनी के सामने), साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700064 फोन : 033-23370750 फैक्स : 033-23216814 ई-मेल : os@bopter.gov.in
17.	इस्पात मंत्रालय	श्री परमजीत सिंह अनुभाग अधिकारी इस्पात मंत्रालय, कमरा संख्या - एसबी-10, उद्योग भवन, नई दिल्ली फोन : 23063560 फैक्स : 23063236 ई-मेल : paramjitsingh.dang@nic.in

National Archives of India

S.No	Name of the Records Creating Agency	Details of the Records Officers
13.	National Institute of Technology	Shri Binod Doley Register National Institute of Technology Nagaland Chumukedia, Dimapur -797103 Phone 9811078740 Email binod.doley@gmail.com
14.	Ministry of Defence	Shri Ankesh Kumar Srivastava Section Officer Room No 156 B- Wing Sena Bhawan, New Delhi Phone 23017828
15.	National Institute of Technology	Shri Gaurav Kumar Sharma Assistant Registrar (Academic) National Institute of Technology Hamirpur Himachal Pradesh 177005 Phone 9718161295 Fax 01972-223834 Email gauravsharma@nith.ac.in
16.	Board of Practical Training (Eastern Region)	Shri Debsankar Dutta Office Superintendent Board of Practical Training (Eastern Region) Block-EA, Sector-I (Opp. Labony Estate), Salt Lake City Kolkata -700064 Phone 033-23370750, Fax 033-23216814 Email os@bopter.gov.in
17.	Ministry of Steel	Shri Paramjit Singh Section Officer, Ministry of Steel Room No SB-10 Udyog Bhavan, New Delhi Phone 23063560 Fax 23063236 Email Paramjitsingh.dang@nic.in

राष्ट्रीय अभिलेखागार

क्रम संख्या	अभिलेख सृजक एजेंसी का नाम	अभिलेख अधिकारियों का ब्यौरा
18.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विकास, प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड	श्री एन. सी. गांगडे सहायक निदेशक (प्रशिक्षण) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विकास, प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, पश्चिम क्षेत्र, मुंबई एटीआई कैम्पस, वी.एन. पुख मार्ग सायन, मुंबई-400022 फोन : 022-24055923 फैक्स : 022-24055923 ई-मेल : director.boatwr@gmail.com
19.	विद्युत वित्त निगम लिमिटेड	श्री महेश वर्मा वरिष्ठ प्रबंधक (प्रशासन) विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, उर्जानिधि भवन, बाराखंभा लेन, कनाट प्लेस फोन : 23456350 फैक्स : 23456300 ई-मेल : Mahesh verma@pfindia.com
20.	नवीन और अक्षय उर्जा मंत्रालय	श्री लीलाधर सहायक अनुभाग अधिकारी, नवीन और अक्षय उर्जा मंत्रालय, एमएनआरई, ब्लॉक नं. 14 सीजीओ काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 फोन : 011-24360707
21.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	श्री हरप्रीत सिंह अधीक्षक (भंडार और क्रय) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली सेक्टर ए-7, सांस्थानिक क्षेत्र नरेला, दिल्ली-110040 फोन : 9711061616 फैक्स : 011-27787503 ई-मेल : harpreetsinghnanda@nitdelhi.ac.in

National Archives of India

S.No	Name of the Records Creating Agency	Details of the Records Officers
18.	Ministry of Human Resource and Development, Development of Higher Education Board Apprenticeship Training	Shri. N.C. Gangde Assistant Director of Training Ministry of Human Resource and Development Development of Higher Education Board Apprenticeship Training Western Region Mumbai ATI Campus V.N. Purav Marg Sion Mumbai -400022 Phone 022-24055923 Fax 022-24055923 Email director.boatwr@gmail.com
19.	Power Finance Corporation Limited	Shri Mahesh Verma Senior Manager (Admin), Power Finance Corporation Limited Urjanidhi Building 1 Barakhamba Lane, Connaught Place Phone 23456350 Fax 23456300 Email Mahesh verma@pfindia.com
20.	Ministry of New & Renewable Energy	Shri Lila Dhar Assistant Section Officer Ministry of New & Renewable Energy MNRE, Block No -14 CGO Complex Lodhi Road, New Delhi -110003 Phone 011-24360707
21.	National Institute of Technology	Shri Harpreet Singh Superintendent (Store & Purchase) National Institute of Technology, New Delhi Sector A-7 Institutional Area Narela Delhi -110040 Phone 9711061616 Fax 011-27787503 Email harpreetsinghnanda@nitdelhi.ac.in

राष्ट्रीय अभिलेखागार

क्रम संख्या	अभिलेख सृजक एजेंसी का नाम	अभिलेख अधिकारियों का ब्यौरा
22.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	श्री राजीव कहार सहायक पंजीयक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर, असम-788010 फोन : 8876321165 फैक्स : 0384224797 ई-मेल : kaharraj@gmail.com
23.	आयोजना और स्थापत्य कला विद्यालय	श्री पी.वी. एस. श्याम कुमार सहायक पंजीयक (प्रशासन) आयोजना और स्थापत्य कला विद्यालय, विजयवाड़ा फोन : 08866246944 ई-मेल : registrar@spav.ac.in
24.	महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर	श्री प्रदीप सैनी कार्यालय सहायक भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर फोन : 9871781440 ई-मेल : pardeep.saini@iimrohtak.ac.in
25.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड	श्री जुगनू कुमार प्रशासनिक सह लेखा अधिकारी, प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तर क्षेत्र), 16/1, लखनपुर, कानपुर फोन : 0512-2581310 फैक्स : 0512-2581504 ई-मेल : aao@boatnr.org
26.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	श्री जी. आर. सामंतराय पंजीयक प्रभारी पंजीयक का कार्यालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र - 136116, हरियाणा फोन : 01744-233208 फैक्स : 01744-238050 ई-मेल : registrar@nitkkr.ac.in

National Archives of India

S.No	Name of the Records Creating Agency	Details of the Records Officers
22.	National Institute of Technology	Shri Rajib Kahar Assistant Register National Institute of Technology, Silchar Assam - 788010 Phone 8876321165, Fax 0384224797 Email kaharraj@gmail.com
23.	School of Planning and Architecture	Shri P.V.S. Shyam Kumar Assistant Register (Admin) School of Planning and Architecture, Vijayawada Phone 08866246944 Email registrar@spav.ac.in
24.	Maharishi Dayanand University Campus	Shri Pardeep Saini Office Assistant Indian Institute of Management Rohtak Maharishi Dayanand University Campus Phone 9871781440 Email pardeep.saini@iimrohtak.ac.in
25.	Board of Apprenticeship Training	Shri Jugnu Kumar Administrative Cum Accounts Officer Board of Apprenticeship Training (NR) 16/1-A, Lakhanpur, Kanpur Phone 0512-2581310 Fax 0512-2581504 Email aao@boatnr.org
26.	National Institute of Technology	Shri G.R. Samantaray Registrar Incharge Office of the Registrar National Institute of Technology Kurukshetra – 136116 Haryana Phone 01744-233208 Fax 01744-238050 Email registrar@nitkkr.ac.in

क्रम संख्या	अभिलेख सृजक एजेंसी का नाम	अभिलेख अधिकारियों का ब्यौरा
27.	भारतीय प्रबंधन संस्थान	श्री हेमंत कुमार देबता वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर, जीईसी कैम्पस रायपुर-492015 छत्तीसगढ़ फोन : 0771-2474706 फैक्स : 0771-2474604 ई-मेल : fa cao@immraipur.ac.in
28.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	श्री धरम पाल अनुभाग अधिकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, उद्योग भवन
29.	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	श्री ए. के. सिन्हा अवर सचिव (प्रशासन) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, कमरा संख्या 308सी, निर्माण भवन नई दिल्ली-110011 फोन : 23061530
30.	विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड	श्रीमती राधिका एस. उम्मालकर सहायक कार्मिक अधिकारी, परमाणु उर्जा विभाग विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड ब्रिट/बार्क, वाशी काम्प्लेक्स, सेक्टर-20, वाशी, नवी मुंबई-400703 फोन : 022-27887013 फैक्स : 27887019 ई-मेल : apoestt@britatom.gov.in
31.	खान मंत्रालय	श्री विकास राज अनुभाग अधिकारी 5वां तल, कमरा संख्या 528, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोधी रोड, खान मंत्रालय, नई दिल्ली फोन : 24364196 ई-मेल : vikas.raj@nic.in

National Archives of India

S.No	Name of the Records Creating Agency	Details of the Records Officers
27.	Indian Institute of Management	Shri Hemanta Kumar Debata Financial Advisor & Chief Account Officer Indian Institute of Management Raipur GEC Campus, Raipur-492015 Chhattisgarh Phone 0771-2474706 Fax 0771-2474604 Email fa_cao@immraipur.ac.in
28.	Ministry of Commerce and Industry	Shri Dharam Pal Section Office Ministry of Commerce and Industry Department of Industrial Policy & Promotion Udyog Bhavan New Delhi
29.	Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation	Shri A.K. Sinha Under Secretary (Administration) Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation, Room No 308 C Nirman Bhawan, New Delhi -110011 Phone 23061530
30.	Board of Radiation & Isotope Technology	Smt Radhika S. Umbralkar Assistant Personnel Officer Department of Atomic Energy Board of Radiation & Isotope Technology BRIT/BARC, Vashi Complex sector -20 Vashi Navi Mumbai -400703 Phone 022-27887013 Fax 27887019 Email apoestt@britatom.gov.in
31.	Ministry of Mines	Shri Vikas Raj Section Officer 5 th Floor Room No 528, CGO Complex Lodhi Road, Ministry of Mines, New Delhi Phone 24364196 Email vikas.raj@nic.in

क्रम संख्या	अभिलेख सृजक एजेंसी का नाम	अभिलेख अधिकारियों का ब्यौरा
32.	साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, कोलकाता	श्री असित रंजन देब प्रशासनिक अधिकारी साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान 1/एएफ, विधान नगर, कोलकाता-700064, पश्चिम बंगाल फोन : 033-23375345 फैक्स : 033 : 23374637 ई-मेल : asit.deb@saha.ac.in
33.	गनी खान चौधरी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान	डॉ. सुरजीत चटोपाध्याय एसोसिएट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग, गनीखान चौधरी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, मालदा फोन : 09735353700 ई-मेल : surajitchattopadhyay@gmail.com
34.	भारतीय प्रबंधन संस्थान	श्री के. शंकर प्रशासनिक अधिकारी (एसएओ) भारतीय प्रबंधन संस्थान, तिरुचिरापल्ली, एनआईटीटी कैम्पस, तंजावर मेन फोन : 043-2505053 फैक्स : 0431-2501124 ई-मेल : sankar@iimtrichy.ac.in
35.	युवा कार्य और खेल मंत्रालय	श्री एन. ए. श्रीजेत अनुभाग अधिकारी युवा कार्य और खेल मंत्रालय प्रशासनिक अनुभाग कमरा संख्या - 17, सी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 फोन : 23382396 ई-मेल : nedugayil.asokan@nic.in

S.No	Name of the Records Creating Agency	Details of the Records Officers
32.	Saha Institute of Nuclear Physics, Kolkata	Shri Asit Ranjan Deb Administrative Officer Saha Institute of Nuclear Physics 1/AF Bidhannagar, Kolkata -700064 West Bengal Phone 033-23375345 Fax 033-23374637 Email Asit.deb@saha.ac.in
33.	Ghani Khan Choudhury Institute of Engineering & Technology	Dr. Surajit Chattopadhyay Associate Professor Department of Electrical Engineering Ghani Khan Choudhury Institute of Engineering & Technology, Malda Phone 09735353700 Email surajitchattopadhyay@gmail.com
34.	Indian Institute of Management	Shri K.Sankar Administrative Officer (SAO) Indian Institute of Management tiruchirappalli, NITT Campus, Thanjavur Main Phone 0431-2505053 Fax 0431-2501124 Email sankar@iimtrichy.ac.in
35.	Ministry of Youth Affairs & Sports	Shri N.A. Sreejet Section Officer Ministry of Youth Affairs & Sports Administrative Section Room No -17, C Wing Shastri Bhawan New Delhi -110001 Phone no 23382396 Email nedugayil.asokan@nic.in

क्रम संख्या	अभिलेख सृजक एजेंसी का नाम	अभिलेख अधिकारियों का ब्यौरा
36.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, दक्षिण क्षेत्र	श्री पी. एस. पार्थसारथी कार्यालय अधीक्षक प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, दक्षिण क्षेत्र, IV क्रॉस रोड, सीआईटी कैम्पलस, तरामनी, चेन्नई-600113 फोन : 044-2254226 फैक्स : 044-22541563 ई-मेल : officsup@boat-srp.com
37.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	श्री बेनी अब्राहम सहायक पंजीयक (क्रय) मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल - 462003
38.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	श्री शेखर पी वरिष्ठ अधीक्षक स्थापना अनुभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक, सुर्यकाल, मंगलौर, कर्नाटक फोन : 0824-2473019 फैक्स : 0824-2474033 ई-मेल : shekarp@nitk.ac.in
39	नमक आयुक्त का कार्यालय	श्री मोहिता सहायक नमक आयुक्त, लवण भवन, 2-ए लवण मार्ग, झालाना डुंगरी, जयपुर-302004 फोन : 0141-2704598 फैक्स : 0141-27005821 ई-मेल : lavan-rj@nic.in

National Archives of India

S.No	Name of the Records Creating Agency	Details of the Records Officers
36.	Board of Apprenticeship Training Southern Region	Shri P.S. Parthasarathy Office Superintendent Board of Apprenticeship Training Southern Region, IV Cross Road, CIT campus Taramani Chennai – 600113 Phone 044-2254226 Fax 044-22541563 Email officsup@boat-srp.com
37.	Maulana Azad National Institute of Technology	Shri Benny Abraham Asst. Registrar (Purchase) Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal-462003
38.	National Institute of Technology	Shri Shekar P Senior Superintendent Establishment Section National Institute of Technology Karnataka, Surathkal, Managlore, Karnataka India Phone 0824-2473019 Fax No 0824-2474033 Email shekarp@nitk.ac.in
39.	Office of the Salt Commissioner	Shri Mohita Assistant Salt Commissioner Lavan Bhawan 2-A Lavan Marg Jhalana Doongri Jaipur-302004 Phone 0141-2704598 Fax 0141-2705821 Email lavan-rj@nic.in

क्रम संख्या	अभिलेख सृजक एजेंसी का नाम	अभिलेख अधिकारियों का ब्यौरा
40.	वस्त्र मंत्रालय	श्री राजेश कुमार साहू अपर डी. सी (हथकरघा) कमरा संख्या 555ए, उद्योग भवन, नई दिल्ली
41.	राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान	डॉ. उत्पल कुमार देबनाथ पंजीयक राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, विहार लेक रोड, मुंबई फोन : 022-28573371 फैक्स : 022-2873251 ई-मेल : coenitie@gmail.com registrar@nitic.ac.in
42.	केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण	श्रीमती विनिता झा सहायक निदेशक, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, बाल विकास मंत्रालय, पश्चिम ब्लॉक-8, विंग-2 द्वितीय तल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 फोन : 011-26103378 फैक्स : 011-26180198 ई-मेल : jha.vinita@nic.in
43.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	श्री आर. के. पांडे अवर सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय, जीवन विहार बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन : 011-23340304

National Archives of India

S.No	Name of the Records Creating Agency	Details of the Records Officers
40.	Ministry of Textiles	Shri Rajesh Kumar Sahu Additional D.C. Handlooms Room No 555A Udyog Bhavan New Delhi
41.	National Institute of Industrial Engineering	Dr Utpal Kuamr Debnath Registrar, National Institute of Industrial Engineering Vihar Lake Road , Mumbai Phone 022- 28573371 Fax 022-28573251 Email Coenitie@gmail.com registrar@nitic.ac.in
42.	Central Adoption Resource Authority	Mrs. Vinita Jha Assistant Director Central Adoption Resource Authority Ministry of Child and Development West Block -8 Wing -2 2 nd Floor, R.K Puram New Delhi -110066 Phone 011-26103378 Fax 011-26180198 Email jha.vinita@nic.in
43.	Ministry of Woman & Child Development	Shri R.K Pandey Under Secretary Ministry of Woman & Child Development Jeevan Vihar Building Parliament Street New Delhi -110001 Phone 011-23340304

राष्ट्रीय अभिलेखागार

क्रम संख्या	अभिलेख सृजक एजेंसी का नाम	अभिलेख अधिकारियों का ब्यौरा
44.	परमाणु ऊर्जा विभाग	श्री विजयकुमार बी सहायक कार्मिक अधिकारी, निर्माण सेवा और राज्य प्रबंधन निदेशालय द्वितीय तल, नार्थ विंग, वी.एस. भवन, अणुशक्ति नगर, मुंबई-400094 फोन : 022-25487216 फैक्स : 022-25570026 ई-मेल : gensection@dcsem.gov.in
45.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान	डॉ. एस. के. धमीजा प्रोफेसर राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, सेक्टर-26, चंडीगढ़-160019 फोन : 0172-2759612 मो. : 9876113712 फैक्स : 0172-2791366, 2793893 ई-मेल : skdhameja@gmail.com
46.	भारतीय प्रबंधन संस्थान	श्री टी. आर. गिरिजा वल्लभ प्रशासनिक अधिकारी भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ म. सं. 418, आईआईएम कैम्पस प्रबंध नगर, आईआईएम रोड, लखनऊ-226013 फोन : 0522-6696418 फोन : 0522-6696418 फैक्स : 0522-2734025 ई-मेल : giri@iiml.ac.in

National Archives of India

S.No	Name of the Records Creating Agency	Details of the Records Officers
44.	Department of Atomic Energy	Shri Vijayakumar B Assistant Personal Officer Directorate of Construction, Services & State Management 2 nd Floor, North Wing V.S Bhavan Anushaktinagar Mumabi -40094 Phone 022-25487216 Fax 022-25570026 Email gensection@dcsem.gov.in
45.	National Institute of Technical Teachers Training & Research	Dr. S.K. Dhameja Professor National Institute of Technical Teachers Training & Research Sector 26, Chandigarh -160019 Phone 0172-2759612 Mobile 9876113712 Fax 0172-2791366,2793893 Email skdhameja@gmail.com
46.	Indian Institute of Management	Shri T R Girija Vallabhan Administrative Officer Indian Institute of Management Lucknow H.No 418, IIM Campus Prabandh Nagar IIM Raod, Lucknow -226013 Phone 0522-6696418 FAX 0522-2734025 Email giri@iiml.ac.in

राष्ट्रीय अभिलेखागार

क्रम संख्या	अभिलेख सृजक एजेंसी का नाम	अभिलेख अधिकारियों का ब्यौरा
47	भारतीय प्रबंधन संस्थान	डॉ. अख्तर परवेज पुस्तकालयाध्यक्ष भारतीय प्रबंधन संस्थान, पीथमपुर रोड इंदौर-453556 फोन : 0731-2439626 मो. : 7389906902 ई-मेल : akhtar@iimidr.ac.in
48.	केन्द्रीय भू-जल बोर्ड	श्री हजारी लाल मुख्य ड्राफ्ट्समैन निदेशक कार्यालय (प्रशासनिक) केन्द्रीय भूजल बोर्ड (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा विकास मंत्रालय के अधीन) भुजबल भवन एनएच-IV फरीदाबाद- 121001 (हरियाणा) फोन : 0129-2477120 फैक्स : 0129-2477111 ई-मेल : diradmn.cgwb@nic.in
49.	केन्द्रीय पुस्तकालय	डॉ. संजय गुप्ता पुस्तकालयाध्यक्ष केन्द्रीय पुस्तकालय, एसएसआईटीई लोंगवाला जिला-संगरूर, पंजाब -148106
50.	भौतिकी संस्थान	श्री बौला तुडु सहायक भौतिकी संस्थान प्रो-सैनिक स्कूल भुवनेश्वर-751005
51.	भारतीय प्रबंधन संस्थान	श्री बी.एस. पांडा एसएओ (एलआर) एवं पीआईओ, भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता पी.ओ-जोका, डी.एच. रोड, कोलकाता फोन : 033-24678300 / 8306 / 8313 फैक्स : 033-2468307 / 2467-8062-7851 ई-मेल : bspanda@iimcal.ac.in

National Archives of India

S.No	Name of the Records Creating Agency	Details of the Records Officers
47.	Indian Institute of Management	Dr Akhtar Parvez Librarian Indian Institute of Management Indore Prabandh Shikhar Rau-Pithampur Road, Indore -453556 Phone 0731-2439626 Mobile 7389906902 Email akhtar@iimidr.ac.in
48.	Central Ground water Board	Shri Hazari Lal Chief Draftsman Office of the Director (Administrative) Central Ground Water Board Under Ministry of Water Resources River Development and Ganga Rejuvenation Bhujal Bhawan NH-IV Faridabad 121001 (Haryana) Phone no 0129-2477120 Fax no 0129-2477111 Email diradmn.cgwb@nic.in
49.	Central Library	Dr. Sanjay Gupta Librarian Central Library, SLIET Longwal, District Sangrur, Punjab -148106
50.	Institute of Physics	Shri Baula Tudu Assistant Institute of Physics, Pro-Sainik School Bhubaneswar -751005
51.	Indian Institute of Management	Shri B.S. Panda SAO (LR) & PIO Indian Institute of Management Calcutta P.O Joka, D.H. Road, Kolkata 700104 Phone 033-24678300/8306/8313 Fax No. 033-2468307/2467-8062-7851 Email bspanda@iimcal.ac.in

राष्ट्रीय अभिलेखागार

क्रम संख्या	अभिलेख सृजक एजेंसी का नाम	अभिलेख अधिकारियों का ब्यौरा
52.	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	श्री मो. फुर्कान उल्ला सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जल विज्ञान भवन, आईआईटी, रुड़की कैम्पस, रुड़की-247667 फोन : 01332-249256 मो. : 9760316770 फैक्स : 01332-272123 ई-मेल : lib@nih.ernet.in furqan@nih.ernet.in
53.	राष्ट्रीय महिला आयोग	श्री प्रवीण अलेक्स अनुसंधान अधिकारी राष्ट्रीय महिला आयोग, प्लॉट नं. 21, जसोला सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110025 फोन : 26944754 / 220 ई-मेल : preveenalex.new@gov.in
54.	शिक्षा और अनुसंधान विभाग, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान	डॉ. अजित दीक्षित एसोसिएट प्रोफेसर शिक्षा और अनुसंधान विभाग, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान एनआईटीटीटीआर, शामला हिल्स भोपाल, (म.प्र.)- 462011 फोन : 0755-2661600 फैक्स : 0755-266796 ई-मेल : adisxit@nitttrbpl.ac.in
55.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान	श्री एस. के. बरुआ सहायक निदेशक (प्रशासन) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईएफटी मुख्यालय, नई दिल्ली स्थापना शाखा, कमरा संख्या 9 प्रशासनिक विभाग, द्वितीय तल, मुख्यालय एनआईएफटी, हौजखास नई दिल्ली-110016 फोन : 26542016 फैक्स : 26535890 ई-मेल : ad.admin.ho@nift.ac.in

National Archives of India

S.No	Name of the Records Creating Agency	Details of the Records Officers
52.	National Institute of Hydrology	Shri Mohd. Furqan Ullah Asst. Library & Information Officer National Institute of Hydrology Jalvigyan Bhawan, IIT Roorkee Campus Roorkee-247667 Phone 01332-249256 Mobile 09760316770 Fax 01332-272123 Email lib@nih.ernet.in furqan@nih.ernet.in
53.	National Commission for Woman	Shri Preveen Alex Research Officer National Commission for Woman Plot No 21 Jasola Institutional Area New Delhi 110025 Phone 26944754/220 Email preveenalex.new@gov.in
54.	Department of Education & Research, National Institute of Technical Teachers Training and Research	Dr. Ajit Dixit Associate Professor Department of Education & Research, National Institute of Technical Teachers Training and Research, NITTTR, Shamla Hills, Bhopal (MP) -462022 Phone 0755-2661600 Fax No 0755-266796 Email adisxit@nitttrbpl.ac.in
55.	National Institute of Fashion Technology	Shri S.K Barua Assistant Director (Admin) National Institute of Fashion Technology NIFT Head Officer, New Delhi Establishment Department Room No 9 Administrative Department 2 nd Floor Head Office, National Institute of Fashion Technology, (NIFT) Hauz Khas New Delhi -110016 Phone No 26542016 Fax 26535890 Email ad.admin.ho@nift.ac.in

राष्ट्रीय अभिलेखागार

क्रम संख्या	अभिलेख सृजक एजेंसी का नाम	अभिलेख अधिकारियों का ब्यौरा
56.	राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड	श्री ज्ञान चंद अनुभाग अधिकारी राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड गृह मंत्रालय, प्रथम तल, शिवाजी स्टेडियम एनेक्सी, भगत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन : 011-23444258 फैक्स : 011-2444280/81 ई-मेल : id so.ad.nig@nic.in
57.	परमाणु ऊर्जा विभाग	श्री टी. पी. नौफाल अनुभाग अधिकारी परमाणु ऊर्जा विभाग प्रशासनिक अनुभाग, सचिवीय सहायता अनुभाग अनुशक्ति भवन, सी.एस. मार्ग, मुंबई-400001 फोन : 022-2862702 फैक्स : 022-22048476 ई-मेल : sss@dea.gov.in
58.	राष्ट्रीय जूट बोर्ड	श्री सुशांत पाल मुख्य प्रचालन अधिकारी राष्ट्रीय जूट बोर्ड, 3ए और 3बी पार्क प्लाजा, 71 पार्क स्ट्रीट, कोलकाता-700016 फोन : 033-2172107, 22172540 फैक्स : 033-22172456 ई-मेल : jute@njbindia.in
59.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद	श्रीमती रीना सिखानी अनुवादक राष्ट्रीय ब्लॉक-VIII, विंग 7 प्रथम तल, सेक्टर-1 आर. के. पुरम नई दिल्ली-110066 फोन : 011-26180106-7 फैक्स : 011-26180109 ई-मेल : ncpsi.delhi@gmail.com

National Archives of India

S.No	Name of the Records Creating Agency	Details of the Records Officers
56.	National Intelligence Grid	Shri Gain Chand Section Officer National Intelligence Grid Ministry of Home Affairs, First Floor Shivaji Stadium Annexe, Shaheed Bhagat Singh Marg, New Delhi -110001 Phone -011-23444258 Fax 011-2444280/81 Email id so.ad.nig@nic.in
57.	Department of Atomic Energy	Shri T.P Noupal Section Officer Department of Atomic Energy Administrative Section Secretarial Support Section Anushakti Bhavan C.S. Marg, Mumbai -400001 Phone 022-2862702 Fax 022-22048476 Email sss@dea.gov.in
58.	National Jute Board	Shri Susant Pal Chief Operating Officer National Jute Board 3A&3B Park Plaza, 71 Park Street Kolkata -700016 Phone no 033-2172107, 22172540 Fax No 033-22172456 Email id jute@njbindia.in
59.	National Council for Promotion of Sindhi Language	Mrs. Reena Sirwani Translator National Council for Promotion of Sindhi Language, West Block -VIII, Wing No 7, 1 st Floor, Sector-1 RK Puram, New Delhi -110066 Phone 011-26180106-7 Fax No 011-26180109 Email id ncpsi.delhi@gmail.com

क्रम संख्या	अभिलेख सृजक एजेंसी का नाम	अभिलेख अधिकारियों का ब्यौरा
60.	भारतीय विज्ञान संस्थान	श्री विराना कम्मर सहायक पंजीयक (अकादमिक अनुभाग) भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलूर-560012 फोन : 080-22932706 / 2293355 मो. : 9482711906 फैक्स : 080-23600757 ई-मेल : aracas@admin.iisc.ernet.in
61.	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड	श्री आर.बी. कोडापे सहायक निदेशक केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, उत्तर अंबाझरी रोड, वी.एन. आईटी गेट के पास, नागपुर-440033
62.	भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	श्री एस.एम. म्हात्रे सहायक कार्मिक अधिकारी भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, केन्द्रीय काम्प्लेक्स, तृतीय तल ट्राम्बे-40084 फोन : 022-25593722 फैक्स : 022-25505151 ई-मेल : smhatr@barc.gov.in
63.	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान	डॉ. विजय राधव तिवारी पुस्तकालयाध्यक्ष, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता, मोहनपुर जिला नाडिया पश्चिम बंगाल-741246 ई-मेल : vijay.rt@iiserkol.ac.in
64.	बनसागर नियंत्रण बोर्ड	श्री रमेश प्रसाद शर्मा वरिष्ठ मानचित्रपाल बनसागर नियंत्रण बोर्ड, रिवा, म. प्र. फोन : 07662-226318 फैक्स : 07662-242433 ई-मेल : bcb242433@gmail.com

National Archives of India

S.No	Name of the Records Creating Agency	Details of the Records Officers
60.	Indian Institute of Science	Shri Veeranna Kammar Assistant Registrar (Academic Section) Indian Institute of Science Bangalore -560012 Phone 080-22932706/2293355 Mobile no 9482711906 Fax no 080-23600757 Email aracas@admin.iisc.ernet.in
61.	Central Board for Workers Education	Shri R.B. Kodape Assistant Director Central Board for Workers Education North Ambazari Road, Near V.N.I.T. Gate, Nagpur- 440033
62.	Bhabha Atomic Research Centre	Shri S.M Mhatre Assistant Personnel Officer Bhabha Atomic Research Centre Central complex 3 rd Floor Trombay -40084 Phone 022-25593722 Fax no 022-25505151 Email id smhatr@barc.gov.in
63.	Indian Institute of Science Education & Research	Dr Vijay Raghav Tiwari Librarian Indian Institute of Science Education & Research, Kolkata Mohanpur Dist Nadia, West Bengal 741246 Email id vijay.rt@iiserkol.a.c.in
64.	Bansagar Control Board	Shri Ramesh Prasad Sharma Sr. Cartographies Bansagar Control Board Riva M.P Phone 07662-226318 Fax 07662-242433 Email id bcb242433@gmail.com

क्रम संख्या	अभिलेख सृजक एजेंसी का नाम	अभिलेख अधिकारियों का ब्यौरा
65.	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान	श्री विवेक बक्षी सहायक पंजीयक आईआईएसईआर, भोपाल-462066 फोन : 462066 फोन : 755262312 फैक्स : 0755-4092392 ई-मेल : vbakshi@iiserb.ac.in
66.	नौवहन मंत्रालय	श्री डी. के. भिन्ना प्रभु अनुभाग अधिकारी नौवहन मंत्रालय, स्थापना अनुभाग, 72/1बी, सेक्टर-2, डीआईजी, कालीबाड़ी मार्ग, गोल मार्केट, नई दिल्ली-110001 फोन : 9013965813 ई-मेल : minna.dl@nic.in
67.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	श्री पवनकुमार भटनागर वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रधान लेखा कार्यालय, उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 फोन : 011-23061085 फैक्स : 011-23061615 ई-मेल : prao-dipp@nic.in
68.	ऊर्जा बचत ब्यूरो	श्री अनिल राय सहायक प्रशासनिक अधिकारी ऊर्जा बचत ब्यूरो, चौथा तल, सेवा भवन, नई दिल्ली फोन : 011-26179699 फैक्स : 011-26178352 ई-मेल : akrai@beenet.in

National Archives of India

S.No	Name of the Records Creating Agency	Details of the Records Officers
65.	Indian Institute of Science Education and Research	Shri Vivek Bakshi Assistant Registrar IISER Bopal -462066 Phone 755262312 Fax 0755-4092392 Email vbakshi@iiserb.ac.in
66.	Ministry of Shipping	Shri D.K Minna Prabhu Section Officer Ministry of Shipping Establishment section 72/1-B, Sector -2 DIZ Area, Kali Bari Marg, Gole Market, New Delhi -110001 Phone 9013965813 Email minna.dl@nic.in
67.	Ministry of Commerce and Industry	Shri Pawan Kumar Bhatnagar Sr. Accounts Officer Principal Accounts Office Ministry of Industry Udyog Bhawan, New Delhi -110011 Phone 011-23061088 Fax 011-23061615 Email id prao-dipp@nic.in
68.	Bureau of Energy Efficiency	Shri Anil Rai Assistant Administrative Officer Bureau of Energy Efficiency 4 th Floor Sewa Bhawan, New Delhi Phone 011-26179699 Fax no 011-26178352 Email id akrai@beenet.in

क्रम संख्या	अभिलेख सृजक एजेंसी का नाम	अभिलेख अधिकारियों का ब्यौरा
69.	केन्द्रीय फिल्म बोर्ड	श्री संजय जैस्वाल वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी केन्द्रीय फिल्म बोर्ड, 91-ई भारत भवन, व्हाइट हाऊस मुंबई-400006
70.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	श्री डी.ए. सोम्यजुलु उपनिदेशक (इलेक्ट्रिकल) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद, झारखंड-826001 फोन : 0326-2221018 फैक्स : 0326-2221007 ई-मेल : dir.sdhq@gmail.com Dir.sd@dgms.gov.in
71.	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान	श्री एस. के. एस. चन्देल सहायक पंजीयक, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान प्लॉट नं. 97, सेक्टर-56, एचएसएचडीसी इंडस्ट्रीयल एस्टेट, कुंडली-131028, सोनीपत (हरियाणा) फोन : 0130-2281079 मो. : 9215611973 ई-मेल : suneelchandel.niftem@gmail.com
72.	दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	श्री कुमार कौशल सहायक पंजीयक दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय पटना कैम्पस, बीआईटी कैम्पस, पीओ-बीवी महाविद्यालय, पटना-800014 (बिहार) फोन/फैक्स : 0612-2226535, 2226536

National Archives of India

S.No	Name of the Records Creating Agency	Details of the Records Officers
69.	Central Film Board	Shri Sanjay Jaswal Sr. Administration Officer Central Film Board 91-E Bhart Bhwan, White House Mumbai - 400006
70.	Ministry of Labor and Employment	Shri D.A. Somayjulu Deputy Director (Electrical) Ministry of Labor and employment Directorate General of Mines Safety Dhanbad, Jharkhand -826001 Phone 0326-2221018 Fax no 0326-2221007 Email id dir.sdhq@gmail.com Dir.sd@dgms.gov.in
71.	National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management	Shri S.K.S Chandel Assistant Registrar, National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management, Plot No 97, Sector No -56 HSHDC Industrial Estate Kundli-131028, sonapat (Haryana) Phone 0130-2281079 Mob 9215611973 Email suneelchandel.niftem@gmail.com
72.	Central University of South Bihar	Shri Kumar Kaushal Assistant Registrar Central University of South Bihar Patna Campus BIT Campus P.O BV College Patna -800014 (Bihar) Phone /fax 0612-2226535,2226536

क्रम संख्या	अभिलेख सृजक एजेंसी का नाम	अभिलेख अधिकारियों का ब्यौरा
73.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण	श्री ओम प्रकाश वर्मा हिंदी-सह-अभिलेख अधिकारी नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, नर्मदा सदन सेक्टर-बी, विजय नगर, स्कीम नं. 74, इंदौर फोन : 0731-255824 फैक्स : 0731-2575752
74.	आसूचना ब्यूरो	सुश्री लीला अर्चना कश्यप संयुक्त उपनिदेशक आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय 35, एसपी मार्ग, बापू धाम, नई दिल्ली
75.	कृषि मंत्रालय	डॉ. अतुल कुमार सिंह वरिष्ठ तकनीकी सहायक गन्ना विकास निदेशालय, 8वां तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ (उ. प्र.) पिन - 226024 फोन : 05522-2323913 फैक्स : 0522-2323913, 2324480 ई-मेल : dsd@nic.in
76.	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	श्रीमती रितु वर्मा प्रशासनिक अधिकारी गेहूं विकास निदेशालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स-I, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद-201002 (उ. प्र.) फोन : 0120 - 2710897 फैक्स : 0120-2711380
77.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	श्री पवन कुमार भटनागर वरिष्ठ लेखाअधिकारी प्रधान लेखा कार्यालय कमरा सं. 517डी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 फोन : 011-23061088 फैक्स : 011-23061615 ई-मेल : prao-dipp@nic.in

National Archives of India

S.No	Name of the Records Creating Agency	Details of the Records Officers
73.	Narmada Control Authority	Shri Om Prakash Verma Hindi-Cum-Record Officer Narmada Control Authority, Narmada Sadan Sector-B Vijay Nagar scheme No 74 Indore Phone 0731-255824 Fax no 0731-2575752
74.	Intelligence Bureau	Mss Leela Archana Kachhap Joint Deputy Director Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs 35 SP Marg, Bapu Dham, New Delhi
75.	Ministry of Agriculture	Dr. Atul Kumar Singh Sr. Technical Assistant Directorate of Cane Development 8 th Floor Central Building Aliganj, Lucknow (UP) Pin -226024 Phone No:- 05522-2323913 Fax No :- 0522-2323913, 2324480 Email Id:- dsd@nic.in
76.	Ministry of Agriculture & Farmers Welfare	Smt. Ritu Verma Administrative Officer Directorate of Wheat Development CGO Complex -I, Kamal Nehru Nagar Ghaziabad -201002 (U.P) Phone-0120-2710897 Fax No 0120-2711380
77.	Ministry of Commerce and Industry	Shri Pawan Kumar Bhatnagar Sr. Account Officer Principal Account Office, Room No 517-D Ministry of Commerce and Industry Udyog Bhawan, New Delhi -110011 Phone No 011-23061088 Fax No 011-23061615 Email ID prao-dipp@nic.in

राष्ट्रीय अभिलेखागार

क्रम संख्या	अभिलेख सृजक एजेंसी का नाम	अभिलेख अधिकारियों का ब्यौरा
78.	प्रधान लेखा कार्यालय	श्री सौरभ दुबे सहायक सचिव एवं अभिलेख अधिकारी राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान, 9वां तल, सी विंग, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
79.	केन्द्रीय जल आयोग	श्री के. रविंद्रन सहायक निदेशक-II ओ एंड एम अनुभाग, कमरा संख्या 326 (एस) केन्द्रीय जल आयोग सेवा भवन, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066 फोन : 26105943 फैक्स : 26105943
80.	आंतर राज्य परिषद सचिवालय	श्री पी.एस. ठाकुर अवर सचिव कमरा संख्या 357, द्वितीय तल आंतर राज्य परिषद सचिवालय, विज्ञान भवन एनेक्सी, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110001 फोन : 011-23022155 फैक्स : 011-23022155 ई-मेल : idpstindu@yahoo.co.in
81.	राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी कार्यालय अधीक्षक	श्री अशोक साहा अनुभाग अधिकारी राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी, गृह मंत्रालय, हाउस नं. 20, लाचित नगर, उलुबाड़ी, गुवाहाटी-701007 फोन : 0361-2462600 फैक्स : 0361-2462662 ई-मेल : sahaashok66@gmail.com

National Archives of India

S.No	Name of the Records Creating Agency	Details of the Records Officers
78.	Principal Account Office	Shri Sourabh Dubey Assistant Secretary & Records Officer National Foundation for Communal Harmony 9 th Floor, C Wing Lok Nayak Bhavan, Khan Market, New Delhi - 110003
79.	Centre water Commission	Shri K. Raveendran Assistant Director - II O&M Section, Room No 326(S) Central Water Commission Sewa Bhavan, R.K Puram New Delhi - 110066 Phone 26105943 Fax no 26105943
80.	Inter State Council Secretariat	Shri P.S. Thakur Under Secretary Room No 357, 2 nd Floor Inter State Council, Secretariat Vigyan Bhavan Annexe, Maulan Azad Road, New Delhi - 10011 Phone 011-23022155 Fax 011-23022155 Email idpst_indu@yahoo.co.in
81.	National Investigation Agency	Shri Ashok Saha Office Superintendent section officer National Investigation Agency Ministry of Home Affairs House No 20, Lachit Nagar, Ulubari Guwahati - 701007 Phone No 0361-2462600 Fax no 0361-2462662 Email id sahaashok66@gmail.com

राष्ट्रीय अभिलेखागार

क्रम संख्या	अभिलेख सृजक एजेंसी का नाम	अभिलेख अधिकारियों का ब्यौरा
82.	नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स	श्री एस. रवि क्रय और भंडार कार्यालय नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स आउटर रिंग रोड, ईश्वर नगर, बनावसकांकी द्वितीय चरण, बंगलुरु-560070 फोन : 080-26934400 मो. : 09448141794 फैक्स : 080-26934401 ई-मेल : nirmpurchase@gmail.com
83.	राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी	श्री एस.एन. पांडे एसपी (एसडीएम) 7वां तल, एनडीसीसी-II, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001 फोन : 011-23438217 फैक्स : 011-23438235 ई-मेल : satyanadpandy.nia@gov.in
84.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	श्रीमती एम. ऊषा सहायक पंजीयक (प्रशासन) आर. एस. विद्यापीठ, तिरुपति-517501 फोन : 0877-2287690, एक्सटेंशन - 248 फैक्स : 0877-2287809 ई-मेल : mokausha283@gmail.com
85.	राष्ट्रीय अनुसंधान विकास विभाग	डॉ. नरेश शर्मा प्रबंधन (हिंदी) आईएमपीएलएमटी एवं अभिलेख (एमजीएमटी) अनुसंधान विकास, 20-22 जमरुदपुर सामुदायिक केन्द्र, कैलाश कालोनी एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110048 फोन : 29240401

National Archives of India

S.No	Name of the Records Creating Agency	Details of the Records Officers
82.	National Institute of Rock Mechanics	Shri S. Ravi Purchase and stores office National Institute of Rock Mechanics Outer Ring Road, Eshwar Nagar Banaskankari 2 nd Stage, Bengaluru-560070 Phone No 080-26934400 Mob 09448141794 Fax no 080-26934401 Email id nirmpurchase@gmail.com
83.	National Investigation Agency	Shri S.N Pandey SP(ADM) 7 th Floor, NDCC-II, Jaisingh Road New Delhi -110001 Phone no 011-23438217 Fax no 011-23438235 Email id satyanadpandy.nia@gov.in
84.	Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha	Mrs M.Usha Assistant Registrar (Administrative) R.S. Vidyapeetha Tirupati -517501 Phone no 0877-2287690 Ext -248 Fax no 0877-2287809 Email id mukkakausha283@gmail.com
85.	National Research Development Corporation	Dr. Naresh Sharma Manager (Hindi) IMPLMT, & Records MGMT.) Anusandhan Vikas, 20-22 Zamroodpur Community Centre, Kailash Colony Extension, New Delhi -110048 Phone 29240401

राष्ट्रीय अभिलेखागार

क्रम संख्या	अभिलेख सृजक एजेंसी का नाम	अभिलेख अधिकारियों का ब्यौरा
86.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद	श्रीमती परमजीत कौर साहनी सहायक कार्यक्रम समन्वयक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली-110016 मो. : 9810718025
87.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	श्री मंगन लाल अवर सचिव कमरा सं. 429-डी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, मौलाना आजाद मार्ग, नई दिल्ली-110011
88.	पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन	श्री एस.डी. मिश्रा विस्फोटक नियंत्रक पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ए ब्लॉक, 5वां तल, सीजीओ काम्प्लेक्स सेमिनार हिल्स, नागपुर-440006 फैक्स : 0712-2510577 ई-मेल : sdmishra@explosive.gov.in
89.	महापंजीयक का कार्यालय	श्री गणेश कुमार अनुभाग अधिकारी अभिलेख प्रबंधन प्रकोष्ठ (एएस II) सेवा भवन, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066 फोन : 011-26104513 ई-मेल : gkumar.rgi@censusindia.gov.in
90.	केन्द्रीय ऊन विकास	श्री जुगल चौधरी प्रशासनिक अधिकारी केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय सी-3, शास्त्री नगर, जोधपुर (राजस्थान) फोन : 0291-2616328 ई-मेल : woolindiajodhpur@dataone.in

National Archives of India

S.No	Name of the Records Creating Agency	Details of the Records Officers
86.	National Council of Educational Research and Training	Smt Paramjeet Kaur Sahni Assistant Programme Coordinator National Council of Educational Research and Training, Sri Aurobindo Marg, New Delhi- 110016 Mob 9810718025
87.	Ministry of Micro , Small & Medium Enterprises	Shri Mangan Lal Under Secretary Room No 429-D Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Udyog Bhawan, Maulana Azad, Marg New Delhi -110011
88.	Petroleum and Explosive Safety Organisation	Shri S.D. Mishra Controller of Explosive Petroleum and Explosive Safety Organisation Ministry of Commerce & Industry A Block, 5 th Floor, CGO Complex Seminar Hills, Nagpur – 440006 Fax No. 0712-2510577 Email-Id sdmishra@explosive.gov.in
89.	Office of the Registrar General	Shri Ganesh Kumar Section Officer, Government of India Record Management Cell (As-II), Sewa Bhawan, R.K. Puram, New Delhi-110066 Phone No. 011-26104513 Email-Id gkumar.rgi@censusindia.gov.in
90.	Central Wool Development	Shri Jugal Chaudhary Administrative Officer Central Wool Development Board Ministry of Textile, C-3, Shastri Nagar, Jodhpur (Raj.) Phone No. 0291-2616328 Email-Id woolindiajodhpur@dataone.in

राष्ट्रीय अभिलेखागार

क्रम संख्या	अभिलेख सृजक एजेंसी का नाम	अभिलेख अधिकारियों का ब्यौरा
91.	कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मानद अधिकारी ग्रेड-डी (प्रशासन)	श्री आर. पी. फाडतरे कापुस भवन, प्लॉट नं. 3/ए सेक्टर-10, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400614
92.	राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी	श्री एम. बी.पी. रेड्डी अनुभाग अधिकारी राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी, गृह मंत्रालय, हाउस नं. 1-10-68/8 अलामेलु हाइट्स, चिकोटी गार्डन बेगमपेट, हैदराबाद-500016
93.	वस्त्र समिति	श्री एल.यू. पाटिल सहायक निदेशक (निर्यात संवर्धन और गुणवत्ता आश्वासन) वस्त्र समिति, वस्त्र मंत्रालय पी. बालु रोड, प्रभादेवी, मुंबई-400025
94.	रक्षा मंत्रालय	श्री एल.यू. पाटिल सहायक निदेशक (निर्यात संवर्धन और गुणवत्ता आश्वासन) वस्त्र समिति, वस्त्र मंत्रालय पी. बालु रोड, प्रभादेवी, मुंबई-400025
95.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	श्री हरीश वैद्य सहायक पंजीयक मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल-462007 (म. प्र.) फोन : 07755-4051040 फैक्स : 0755-2670562
96.	भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड	श्रीमती विजय पाटनी सहायक प्रबंधक भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड नोएडा काम्प्लेक्स, ए-2 सेक्टर-2 उद्योग मार्ग, नोएडा-201301

National Archives of India

S.No	Name of the Records Creating Agency	Details of the Records Officers
91.	The Cotton Corporation of India Limited	Shri R.P Phadtare Hon. Officer Gr.- D (Administration) Kaspas Bhavan Plot No 3/A, Sector 10, CBD Belapur, Navi Mumbai – 400614
92.	National Investigation Agency	Shri M.B.P. Reddy Section Officer National Investigation Agency Ministry of Home Affairs HNO-1-10-68/8, Alamelu Heights Chikoti Garden, Begumpet Hyderabad -500016
93.	Textiles committee	Shri L. U. Patil Assistant Director (Export Promotion and Quality Assurance) Textiles Committee, Ministry of Textiles P.Balu Road, Prabhadevi, Mumbai-400025
94.	Ministry of Defence	Shri L. U. Patil Assistant Director (Export Promotion and Quality Assurance) Textiles Committee, Ministry of Textiles P.Balu Road, Prabhadevi, Mumbai -400025
95.	Maulana Azad National Institute of Technology	Shri Harish Vaidya Assistant Registrar Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal – 462003 (MP) Phone :- 07755-4051040 Fax No 0755-2670562
96.	The Handicrafts & Handloom Export Corporation of India Limited	Smt. Vijay Patni Assistant Manager The Handicrafts & Handloom Export Corporation of India Limited\ Noida Complex A-2, Sector-2, Udyog Marg, Noida-201301

क्रम संख्या	अभिलेख सृजक एजेंसी का नाम	अभिलेख अधिकारियों का ब्यौरा
97.	समन्वय प्रभाग	श्री रविकान्त सिन्हा अनुभाग अधिकारी कमरा संख्या 15, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
98.	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय	श्री नवल किशोर गुपता उप निदेशक (गैर-तकनीकी) वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, निष्ठा भवन, 48, न्यू भरीन लाइन्स मुंबई-400020
99.	पूर्वोत्तर विद्युत निगम लिमिटेड	श्री वसंत कुमार विभाग वरिष्ठ प्रबंधक ब्रूक लैंड कंपाउंड, लोअर न्यू कालोनी, निपको लिमिटेड, शिलांग, मेघालय-793003
100.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	श्री किशोर कुमार शिक्षा अधिकारी कमरा संख्या 323, यूजीसी, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
101.	सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी	श्री प्रदीप पी एएलआईओ सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी शिवरामपल्ली, हैदराबाद-52
102.	केन्द्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला	श्री डी. के. त्रिपाठी कार्यालय अधीक्षक निदेशक का कार्यालय सीएफएसएल (सीबीआई) चौथा तल, ब्लॉक 4 सीजीओ काम्प्लेक्स, नई दिल्ली

National Archives of India

S.No	Name of the Records Creating Agency	Details of the Records Officers
97.	Coordination Division	Shri Ravi Kumar Sinha Section Officer Room No 15, North Block, New Delhi Government of India Ministry of Commerce & Industry
98.	Office of the textiles commissioner	Shri Naval Kishore Gupta Deputy Director (Non-Technical) Office of the Textiles Commissioner Ministry of Textiles Nistha bhavan 48, New Marine Lines Mumbai - 400020
99.	North Eastern Electric Power Corporation Limited	Shri Basant Kumar Tigga Sr. Manager Brook Land Compound Lower New Colony NEEPCO Limited Shillong, Meghalaya - 793003
100.	Ministry of Human Resources and Development	Shri Kishor Kumar Education Officer Room No 323 University Grants Commission Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002
101.	Sadar Vallabhbhai Patel National Police Academy	Shri Pardeep P. ALIO Sadar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Shivarampally, Hyderabad-52
102.	Central Forensic Science Laboratory	Shri D.K. Trivedi Office Supdt. Office of Director CFSL (CBI) 4th Floor Block No 4, CGO Complex, New Delhi

राष्ट्रीय अभिलेखागार

क्रम संख्या	अभिलेख सृजक एजेंसी का नाम	अभिलेख अधिकारियों का ब्यौरा
103.	प्रधानमंत्री कार्यालय	श्री अग्नि कुमार दास अवर सचिव (प्रलेखन अनुभाग) प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली
104.	केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल	श्री गोविन्द लाल अनुभाग अधिकारी केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय विंग वेस्ट ब्लॉक-1, सेक्टर-1 आर.के. पुरम, नई दिल्ली

National Archives of India

S.No	Name of the Records Creating Agency	Details of the Records Officers
103.	Prime Minister's Office	Shri Agni Kumar Das Under Secretary (Documentation Section) Prime Minister's Office New Delhi
104.	Central Record Office, Indo-Tibetan Border Police Force	Shri Gobind Lal Section Officer Central Record Office Wing West Block -1 Sector -1 R.K. Puram, New Delhi

क्र.सं.	संस्था/अभिलेख	संस्था/अभिलेख	संस्था/अभिलेख
1	प्रधानमंत्री कार्यालय	Prime Minister's Office	प्रधानमंत्री कार्यालय
2	उप-सचिव (सामान्य)	Under Secretary (General)	उप-सचिव (सामान्य)
3	प्रधानमंत्री कार्यालय	Prime Minister's Office	प्रधानमंत्री कार्यालय
4	नया दिल्ली	New Delhi	नया दिल्ली
5	सह-सचिव (सामान्य)	Joint Secretary (General)	सह-सचिव (सामान्य)
6	सेक्शन ऑफिसर	Section Officer	सेक्शन ऑफिसर
7	सेन्ट्रल रिकॉर्ड ऑफिस	Central Record Office	सेन्ट्रल रिकॉर्ड ऑफिस
8	विंग/वेस्ट ब्लॉक-1 सेक्टर-1	Wing West Block-1 Sector-1	विंग/वेस्ट ब्लॉक-1 सेक्टर-1
9	ए.ए.पी. नया दिल्ली	A.A.P. New Delhi	ए.ए.पी. नया दिल्ली

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Scan complete
19/09/2023
Total pages - 206

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Back Cover:

**Dadabhai Naoroji Collection from Private Papers of
National Archives of India**



TO: MR. J. M. GERRARD
HOTEL CECIL, LONDON

G 10/11

HOTEL CECIL,
LONDON, W.C.

20th November 1906.

Dear Sir,

May I remind you that Mr Morley receives the
Deputation regarding the Transvaal British Indians on Thursday
at 12.30 and that the members meet at 12 o'clock at the India
Office?

Yours faithfully,

W. Morley

Am Dadaabhai Harroji Esq
22 Kensington Road
Lambeth
S.E

National Archives of India

Janpath, New Delhi-110 001

Tel. Nos.: 23383436, 23381467 Fax No.: 23384127

Email: archives@nic.in Website: www.nationalarchives.nic.in

www.abhilekh-patal.in

859
1